National Judicial Academy, India
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत



ANNUAL REPORT
वार्षिक प्रतिवेदन
2019-20

National Judicial Academy, India

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत

ANNUAL REPORT

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

Academic Year : 1 July 2019 - 30 June 2020

Financial Year : 1 April 2019 - 31 March 2020

Pursuant to the National Judicial Academy (NJA) Rules and Regulations No. 16, this Annual Report of the NJA for the academic year 2019-20 is prepared after obtaining the approval from the members of the Governing Council (GC) and the General Body (GB) of the NJA.

The annual report summarizes training activities of the Academy undertaken as well as describes the work or projects completed for the academic year 2019-20. A brief description of deliberations held during the trainings conducted in the academic year 2019-20 along with audited accounts for the financial year 2019-20 is also provided.

Both the range of our activities and their quality owe much to the sustained interest and substantial contributions of the Hon'ble Justice of the Supreme Court of India and members of the Governing Council, the General Body, the Executive Committee, the Academic Council and the newly formed body - the National Judicial Academic Council. They all continuously guide, mentor and approve of our proposals pertaining to day to day functioning of the Academy.

The Academy expresses its gratitude to experts who traveled to Bhopal for their contributions to various training courses in this academic year. The Academy also benefitted immensely from the recommendations and suggestions of participating judges who attended various courses. Their ideas help the Academy in improving the content and the discourse of training.

This Annual Report is bi-lingual, with English language section covered up to page 68 and thereafter, Hindi language translation covered from page 69 onwards.

Contents

1.	Establishment of NJA	1
2.	Governing Bodies of NJA	2
3.	Staff at the NJA	5
4.	The Year at Glance	8
5.	Summary of Programmes Conducted	14
6.	Programme Evaluation Reports	43
7.	Internships	46
8.	Global Presence	46
9.	Research & Publication	46
10.	Audit Report of the CAG about NJA	47
11.	Action Taken Report	51
12.	Annual Accounts as Approved by GB-GC of NJA	55

1. Establishment of NJA

The necessity to nurture the proficiency of judicial officers for enhanced performance of the judicial system has been emphasised by several reports of the Law Commission of India. Accentuating the need of judicial training, the Law Commission of India in its Fourteenth Report on Reform of Judicial Administration, way back in 1958 perceived that delay in the disposal of cases and accumulation of arrears was predominantly due to the inability of judicial officers to organize their work meticulously, to appreciate and apply provisions of Procedural Codes. The Fifty-fourth Report of the Law Commission in 1973 further highlighted the subject and recommended immediate establishment of a National Academy for Judicial Training. The One Hundred and Seventeenth Report of the Law Commission is entirely devoted to the training of judicial officers. The 1985, Conference of Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministers unanimously resolved and requested the Central Government to set up an academy for judicial training with the Chief Justice of India as its Chairman. In *All India Judges' Association vs Union of India* (1992) 1 SCC 119, the Supreme Court issued specific directions for setting up of an All India Institute of In- service Training for higher officers of judiciary including the District Judges within one year.

In the background of various reports of Law Commission of India, the resolution adopted in the conference of Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministers and the Judgment of the Supreme Court of India in *All India Judges' Association case*, the National Judicial Academy was formally established in 1993 as a society registered under the Societies Registration Act, 1860. The Academy is an independent society, fully funded by the Government of India and works under directions of the Supreme Court of India.

Since its establishment, the Academy has expanded and diversified its activities manifolds. National Judicial Academy is the apex institute of judicial education and training for Judges, Judicial and Quasi-Judicial Officers, particularly focusing on High Courts and Tribunals operating at federal level. Collaboration with foreign judicial training institutions and academies is yet another achievement of the NJA. The Academy organized workshop for Indian High Court Justices in collaboration with the Central and East European Law Initiative Institute, (CEELI), Prague, and Federal Judicial Center (FJC), Washington, at United States and Bhopal. The Academy has entered into Memorandum of Understanding (MoUs) with countries like- Bangladesh, Bhutan, Myanmar and Maldives for training of their judges and judicial officers at the NJA. Besides, the Academy regularly organizes sensitization and capacity building sessions for District level judges as well as conferences / colloquia for Superior Court Judges of foreign countries with whom there is no MoU such as, Fiji Republic, Egypt etc. Moreover, the Academy focuses on research activities.

2. Governing Bodies of NJA

(01.04.2019 to 31.03.2020)

The Governing Council:

1. Chairperson of the NJA the Hon'ble Chief Justice of India
   - Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi *[3.10.2018 to 17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019- Present]*
2. Two Judges of the Supreme Court of India
   - Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra *[27.11.2019 to Present]*
   - Hon'ble Mr. Justice N.V. Ramana *[27.11.2019 – Present]*
3. Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice, GOI
4. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, GOI
5. Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, GOI
6. Secretary General Supreme Court of India
7. Director, NJA Bhopal

The General Body:

1. Chairperson of the NJA the Hon'ble Chief Justice of India
   - Hon'ble Mr. *Justice Ranjan Gogoi [3.10.2018 -17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019- Present]*
2. Two puisne judges of the Supreme Court of India
   - Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra *[27.11.2019 -Present]*
   - Hon'ble Mr. Justice N.V. Ramana *[27.11.2019- Present]*
3. Chief Justice of a High Court
   - Hon'ble Mr. Justice Hrishikesh Roy, Chief Justice Kerala High Court *[11.01.2019-09.10.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice A K Goswami, Chief Justice, High Court of Sikkim *[10.10.2019 – Present]*
4. One Judge of another High Court
   - Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Jharkhand High Court *[25.11.2015 – 01.07.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Gauhati High Court *[02.07.2019- Present]*
5. Ex- officio members:
   - Minister for Law & Justice, GOI
   - Chairperson Bar Council of India
   - Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice, GOI
   - Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, GOI
   - Secretary Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, GOI
   - Secretary, Department of Personnel and Training, GOI
   - Two Law Academics: [as nominated]
     i. *Dean, Faculty of Law, University of Delhi*
     ii. *Director NLIU Bhopal*
   - Secretary General Supreme Court of India
   - Director, NJA Bhopal

The Executive Committee:

1. Chairperson of the NJA the Hon'ble Chief Justice of India
   - Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi *[03.10.2018 to 17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019- Present]*
2. Three Senior Most Judges of the Supreme Court of India
   - Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra *[27.11.2019 -Present]*
   - Hon'ble Mr. Justice N.V. Ramana *[27.11.2019 – Present]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[11.01.2019 – 17.11.2019]*
3. Director, NJA Bhopal

The Financial Committee:

- Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi *[03.10.2018 to 17.11.2019]*
- Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019- present]*

The Academic Council:

1. Chairperson of the NJA the Hon'ble Chief Justice of India
   - Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi *[03.10.2018 -17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019 – 08.02.2020]*
2. Three Judges of the Supreme Court of India
   - Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra *[25.07.2015- 08.02.2020]*
   - Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran *[25.07.2019 – 08.02.2020]*
   - Hon'ble Ms. Justice R. Banumathi *[05.06.2019 – 24.02.2020]*
   - Hon'ble Mr. Justice N.V. Ramana *[27.11.2019- 08.02.2020]*
3. Judges of High Courts
   - *Hon'ble Ms. Justice Reva khetrapal [25.07.2015- 08.02.2020]*
   - *Hon'ble Mr. Justice Ram Mohan Reddy [25.07.2015- 08.02.2020]*
   - *Hon'ble Mr. Justice A.K. Goswami [05.06.2019- 08.02.2020]*
4. Senior Advocates, Supreme Court of India
   - *Mr. Fali S. Nariman [25.07.2015- 08.02.2020]*
   - *Mr. K.K. Venugopal [25.07.2015- 08.02.2020]*
   - *Ms. Meenakshi Arora [27.03.2018- 08.02.2020]*
   - *Mr. Gopal Subramanium [25.07.2015- 08.02.2020]*
   - *Mr. H.N. Nagamohan Das* [*25.07.2015- 08.02.2020]*
5. Academicians
   - *Prof. C. Raj Kumar [25.07.2015 - 08.02.2020]*
   - *Prof. Ms. Sashikala Gurpur [25.07.2015- 08.02.2020]*
6. The Secretary General, Supreme Court of India
7. Director, Indian Law Institute
8. Director/ Additional Director of Delhi Judicial Academy
9. Director, NJA Bhopal

*The Academic Council of the National Judicial Academy dissolved by the Governing Council of NJA on its meeting 09.02.2020.

The National Judicial Academic Council:

1. Chairperson of the NJA the Hon'ble Chief Justice of India
   - Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi *[3.10.2018 – 17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[18.11.2019-Present]*
2. Other members of the National Judicial Academic Council
   - Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde *[24.05.2019 – 17.11.2019]*
   - Hon'ble Mr. Justice N.V. Ramana *[24.05.2019- Present]*
   - Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra *[06.07.2020- Present]*
   - *Judge-in-Charge, Judicial Training & Research Institute, Lucknow, U.P*
   - *President, Board of Governors, Andhra Pradesh Judicial Academy, Secundrabad, AP*
   - *Director & Member of Maharashtra Judicial Academy & Training Institute, Uttan*
   - *Chairman, Judicial Officers Training Institute, Maharashtra*
   - *Judge-in-Charge, West Bengal Judicial Academy, Kolkata*
   - *Chairman, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur, Chhattisgarh*
   - *Chairperson (Judge-in-Charge), Delhi Judicial Academy, Delhi*
   - *Judge In-charge (Training), Judicial Academy, Guwahati, Assam*
   - *President, Gujarat State Judicial Academy, Ahmedabad, Gujarat*
   - *President, Himachal Pradesh Judicial Academy, Shimla, Himachal Pradesh*
   - *Chairman, J&K State Judicial Academy, Jammu/Srinagar, J&K.*
   - *Patron-in-Chief (Chairman) Judicial Academy, Ranchi, Jharkhand*
   - *President, Karnataka Judicial Academy, Bengaluru, Karnataka*
   - *President of the BOG, Kerala Judicial Academy, Kochi, Kerala*
   - *Judge In-charge, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur, MP*
   - *President, Tamil Nadu State Judicial Academy, Chennai, Tamil Nadu*
   - *Chairpersons/Judge-in-Charge, Manipur Judicial Academy, Imphal, Manipur.*
   - *Chairperson, Odisha Judicial Academy, Cuttack, Odisha*
   - *Chairman, Bihar Judicial Academy, Patna, Bihar*
   - *President, Chandigarh Judicial Academy, Chandigarh*
   - *Chairman/Judge-in-Charge, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur, Rajasthan*
   - *President, Sikkim Judicial Academy, Gangtok, Sikkim*
   - *Judge-in-Charge, Tripura Judicial Academy, Agartala, Tripura*
   - *Judge-in-Charge, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Nanital, Uttarakhand*
   - *Jude-in-charge, State Judicial Academy, Meghalaya, Shillong*
   - *Secretary, Department of Justice, Government of India*
3. Nominee of the Chief Justice of India
   - *Senior Advocate Mr. F.S. Nariman [29.04.2016 – Present]*
   - *Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal, Chairman, NCMS [29.04.2016- 21.05.2018]*
   - *Prof. Madhav Menon [22.05.2018- 08.05.2019]*
   - *Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal, Chairman, NCMS [24.05.2019 - Present]*
4. Member Secretary
   - *Director, National Judicial Academy, Bhopal*

3. Staff at the NJA

FACULTY MEMBERS

1. Hon'ble Mr. Justice G. Raghuram (Retd.), Director
2. Prof. D.P. Verma, Additional Director (Research & Training)
3. Dr. Geeta Oberoi, Professor
4. Mr. S.P. Srivastava, Professor
5. Mr. Rajesh Suman,Assistant Professor
6. Dr. Amit Mehrotra, Assistant Professor
7. Ms. Paiker Nasir, Research Fellow
8. Mr. Yogesh Pratap Singh, Research Fellow
9. Mr. Sumit Bhattacharya, Research Fellow
10. Mr. Rahul Ishwar Sonawane, Research Fellow
11. Ms. Shruti Jane Eusebius,Research Fellow
12. Ms. Sonam Jain, Research Fellow
13. Mr. Prasidh Raj Singh,Law Associate
14. Ms. Nitika Jain, Law Associate
15. Ms. Ankita Pandey, Law Associate
16. Mr. Krishna Sisodia, Law Associate
17. Mr. Shashwat Gupta, Law Associate

ASSISTANCE TEAM- FACULTY BLOCK

18. Mr. Nishant Sharma, Jr. DEO cum Office Asst.
19. Ms. Shefali Negi, Attendant
20. Mr. Satish Pandey, Attendant

OFFICE OF DIRECTOR

21. Mr. Kishore Vaishnav, Jr. Steno cum DEO
22. Ms. Akanksha Wankhede, Data Entry Operator
23. Mr. Mohd. Kalim, Driver cum Attendant
24. Mr. Prashant Thombare, Driver-cum-Attendant
25. Mr. Suresh Sen, Attendant

OFFICE OF ADDITIONAL DIRECTOR (Research & Training)

26. Ms. Shikha Saxena, Stenographer
27. Mr. Umesh Prasad, Driver-cum-Attendant

OFFICE OF REGISTRAR (ADMINISTRATION)

28. Mr. K. Uthirapathy, Registrar(Administration)
29. Mr. Srinivasa Rao Parchuri, Stenographer
30. Ms. Sudha Rajendran, Jr. Steno cum DEO
31. Mr. Safar Ahmad, Driver-cum-Attendant

ACCOUNTS OFFICE

32. Mr. Avinash Choudhary, Chief Accounts Officer/ Administrative Officer I/C

33. Mr. R.K.Dixit, Assistant Accounts Officer
34. Mr. Devendra Kr. Soni, Assistant Accountant
35. Ms. Piyali Deb, Assistant Accountant
36. Mr. Manohar Lal Jain, Assistant Accountant
37. Mr. Pramod Prakash, Data Entry operator
38. Ms. Deepti Mishra, Documentation Assistant
39. Mr. Sher Singh, Driver cum Attendant

LIAISON/ TRANSPORT & EVENT MANAGEMENT

40. Mr. Chetan Nehete,Event Manager
41. Mr. Salman Khan, Protocol Officer
42. Mr. Bipul Kumar Mishra, Assistant Manager (Field programme)
43. Mr. Vivek Jain, Assistant Protocol Officer
44. Mr. Vishnu P. Sharma, Assistant Protocol Officer
45. Mr. Vishal Singh Thakur, Assistant Event Manager
46. Mr. Krishna Kant Kirar, Technician
47. Mr. Lalit Yogi, Attendant
48. Mr. Ram Kishore Yaduwanshi, Attendant
49. Mr. Alok Soni, Attendant [upto 04.07.2019]

HOSPITALITY UNIT

50. Mr. Ranjan Verma, Manager (Hospitality)
51. Mr. Lokendra Singh Shekawat, Assistant Manager (Hospitality)
52. Mr. Sanchay Verma, Attendant
53. Mr. Hiralal Dawar, Attendant
54. Mr. Rupesh Kr. Goswami, Attendant
55. Mr. Tara Prasad Bashyal, Attendant
56. Mrs. Saroj Kushwah, Attendant
57. Mr. Shyam Sundar Tigga, Attendant
58. Mr. Indramani Prasad Verma, Attendant
59. Mr. Sudama, Attendant
60. Mr. Bhagwan Das Yadav, Attendant
61. Mr. Chhohan Lal Teli, Attendant
62. Mr. Man Singh Baghel, Attendant
63. Mr. Narayan Kamble,Attendant
64. Mr. Deepak Parashar, Attendant

OPERATION & MAINTENANCE

65. Mr. Ajay Saini, Maintenance Engineer
66. Mr. Sayeed Ahmad, Assistant Maintenance Engineer
67. Mr. Sajid Khan Mansuri, Maintenance Supervisor cum TA
68. Mr. Sasrasti Gupta, Maintenance Supervisor cum TA
69. Mr. Gitanshu Singh, Maintenance Supervisor cum TA
70. Mr. Praveen Kr. Chaurasia, Maintenance Supervisor cum TA
71. Mr. Mathew C. John, Electrician

72. Mr. Manoj Shrivastava,Electrician
73. Mr. Yadorao Sakre, Electrician
74. Mr. Hiralal Patel,Fitter cum Pump Operator
75. Mr. Narayan Singh, Fitter cum Pump Operator
76. Mr. Ramesh Vishwakarma,Attendant
77. Mr. Brijbhan Patel, Attendant
78. Mr. Gopal Baggan, Attendant
79. Mr. Mohd. Shadab, Attendant
80. Mr. Prakash Vishwakarma, Attendant
81. Mr. Lakhan S. Namdeo, Attendant
82. Mr. Tulsi Ram, Attendant
83. Mr. Nilesh Sahu, Attendant
84. Mr. Badri Prasad Meena, Attendant
85. Mr. Ramdayal Malviya, Attendant

LIBRARY

86. Mr. Sunil Kumar Soni, Deputy Librarian
87. Mr. Shishupal Bankhede,Library Assistant
88. Mr. Asit Kumar Yadav, Library Assistant
89. Mr. Mahesh Snehi, Attendant

DOCUMENTATION/COMMUNICATION/PR UNIT

90. Mr. Utkarsh Dwivedi, Manager (DCPR) [upto 20.07.2019]
91. Mr. Sunil Kr. Soni, Dy. Librarian – I/c Manager (DCPR) [from 21.07.2019]
92. Ms. Anuragini Pandey, Documentation Assistant
93. Mr. Bheem Sen Kahar,Jr. Office Asst. cum DEO
94. Mr. D.S. Negi, Attendant

GENERAL ADMINISTRATION

95. Mr. Avinash Choudhary, Chief Accounts Officer–cum-Administrative Officer I/C
96. Mr. Rajiv Choudhary,Senior Office Assistant
97. Mr. Amzad Khan,Senior Office Assistant
98. Ms. Preeti Baghel, Attendant
99. Mr. Rajnish Kumar Sharma, Attendant
100. Mr. Arvind Kurmi, Attendant [from 09.12.2019]

STORE

101. Mr. Kailsh Kr. Soni, Storekeeper
102. Mr. Ranjeet Singh Chouhan, Attendant

COMPUTER/NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION

103. Mr. Vikas Sahu, Website/Network System Administrator-cum-Computer System Administrator (I/c)

4. The Year at Glance

	No. of Participants
Total No. of Programmes (53)	1891
High Court Justices (8)	184
Regional Conferences (5)	580
PDJs (5)	195
Special Court Presiding Officers (6)	192
ADJs (5)	192
Magistrates (3)	118
Junior Division (4)	150
CEEP Programme (10)	43
Special Events (7)	237

Total No. of Programmes	53
Total No of Participants	1891
Total No. of Resource Persons	356
Total No. Sessions	392
Total No. of Programme Days	148

(Academic Programme- Aug. 2019– April, 2020)

S. No.	Progs. No.	Particulars	Dates	Participants to be Nominated	Number of Participants
1	P-1163	Workshop on Adjudicating Terrorism Cases in collaboration with CEELI Institute and Federal Judicial Center, Washington [Phase IV, Part I]	10/08/2019 To 12/08/2019	Principal District and Sessions Judges OR Additional District and Sessions Judges dealing with Trial of Extremism/Terrorism Cases	40
2	SE-01	Seminar for Foreign Judges [Myanmar]	23/08/2019 To 29/08/2019	Judges and Judicial Officers at the District and Township Level	40
3	P-1164	Workshop on Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994	31/08/2019 To 01/09/2019	Magistrates	37
4	P-1165	Workshops for Additional District Judges	06/09/2019 To 08/09/2019	Additional District Judges	42
5	P-1166	Orientation Programme for Junior Division Judges	06/09/2019 To 12/09/2019	Junior Division Judges	37
6	P-1167	Seminar for Principal District and Sessions Judges	13/09/2019 To 15/09/2019	Principal District and Sessions Judges	38
7	P-1168	Refresher Courses for Family Courts	20/09/2019 To 24/09/2019	Family Court Judges	31
8	P-1170	Workshop on Adjudicating Terrorism Cases in collaboration with CEELI Institute and Federal Judicial Center, Washington [Phase IV, Part II]	27/09/2019 To 29/09/2019	Principal District and Sessions Judges OR Additional District and Sessions Judges dealing with Trial of Extremism/Terrorism Cases	38
9	P-1171	Workshop for High Court Justices on Goods and Services Tax (GST)	28/09/2019 To 29/09/2019	High Court Justices dealing with or likely to deal with Taxation Roster	28

S. No.	Progs. No.	Particulars	Dates	Participants to be Nominated	Number of Participants
10	P-1172	Refresher Course for NDPS Courts	04/10/2019 To 06/10/2019	NDPS Court Judges	35
11	P-1173	Workshop for High Court Justices	05/10/2019 To 06/10/2019	High Court Justices	14
12	SE-03	Seminar for Members of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal	11/10/2019 To 13/10/2019	Members of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal	18
13	P-1174	Workshop for Newly Elevated High Court Justices	12/10/2019 To 13/10/2019	Newly Elevated High Court Justices	21
14-23	P-1175-P-1184	Court Excellence Enhancement Programme – I	18/10/2019 To 20/10/2019	All Stakeholders of a Court [Judicial Officer, Advocate, Prosecutor, Clerk and Reader] [12 High Courts Only]	43
24	P-1185	Regional Conference (West Zone-I)	19/10/2019 To 20/10/2019	High Court Justices, Registrar (Recruitment), Registrar (Budget preparation), Principal District Judges and Chief Judicial Magistrates	103
25	SE-05	Seminar for Foreign Judges [Bangladesh]	01/11/2019 To 07/11/2019	Senior Assistant Judges, Assistant Judges and Magistrates (Level 2)	39
26	P-1186	Workshop for High Court Justices on Intellectual Property Rights (IPRs)	02/11/2019 To 03/11/2019	High Court Justices	24
27	P-1187	Seminar for Principal District and Sessions Judges	08/11/2019 To 10/11/2019	Principal District and Sessions Judges	39
28	P-1188	Workshop for Additional District Judges	15/11/2019 To 17/11/2019	Additional District Judges	39

S. No.	Progs. No.	Particulars	Dates	Participants to be Nominated	Number of Participants
29	P-1189	Orientation Programme for Junior Division Judges	15/11/2019 To 21/11/2019	Junior Division Judges	39
30	P-1190	Workshop on Negotiable Instruments Act, 1881	22/11/2020 To 24/11/2019	Magistrates	39
31	SE-02	Seminar for Presidents of District Consumer Forum	22/1/2019 To 24/11/2019	Presidents of District Consumer Forum	29
32	P-1191	Orientation Programme on Cases Concerning Persons Residing Abroad	23/11/2020 To 24/11/2019	Additional District Judges	33
33	P-1192	Regional Conference (North Zone-I)	30/11/2019 To 01/12/2019	High Court Justices, Registrar (Recruitment), Registrar (Budget preparation), Principal District Judges and Chief Judicial Magistrates	133
34	P-1193	Refresher Course for CBI Courts	06/12/2019 To 08/12/2019	CBI Court Judges	33
35	SE-07	Seminar for Foreign Judges [Bangladesh]	13/12/2019 To 19/12/2019	District Judges / Session Judges, Additional and Joint Session Judge and Additional District Judges (Level 1)	40
36	P-1194	Workshop on Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015	21/12/2019 To 22/12/2019	Magistrates	42
37	P-1195	Regional Conference (East Zone-I)	28/12/2019 To 29/12/2019	High Court Justices, Registrar (Recruitment), Registrar (Budget preparation), Principal District Judges and Chief Judicial Magistrates	105

S. No.	Progs. No.	Particulars	Dates	Participants to be Nominated	Number of Participants
38	P-1196	Refresher Course for POCSO Courts	03/01/2020 To 05/01/2020	POCSO Courts Judges	36
39	P-1197	Workshop for High Court Justices on Goods and Services Tax (GST)	04/01/2020 To 05/01/2020	High Court Justices dealing with or likely to deal with Taxation Roster	23
40	P-1198	Workshops for Additional District Judges	10/01/2020 To 12/01/2020	Additional District Judges	41
41	P-1199	Orientation Programme for Junior Division Judges	10/01/2020 To 16/01/2020	Junior Division Judges	35
42	P-1200	Refresher Course for Commercial Courts	17/01/2020 To 19/01/2020	Commercial Courts Judges	33
43	P-1201	Workshop for Newly Elevated High Court Justices	18/01/2020 To 19/01/2020	Newly Elevated High Court Justices	24
44	P-1202	Seminar for Principal District and Sessions Judges	31/01/2020 To 02/02/2020	Principal District and Sessions Judges	40
45	P-1203	Regional Conference (South Zone-II)	01/02/2020 To 02/02/2020	High Court Justices, Registrar (Recruitment), Registrar (Budget preparation), Principal District Judges and Chief Judicial Magistrates	132
46	P-1204	Refresher Course for Money Laundering Courts	07/02/2020 To 09/02/2020	Money Laundering Courts Judges	24
47	P-1205	Workshop for High Court Justices on Arbitration including International Arbitration	08/02/2020 To 09/02/2020	High Court Justices	24
48	SE-04	Seminar for Members of the Income Tax Appellate Tribunal	11/02/2020 To 13/02/2020	Income Tax Appellate Tribunal	31

S. No.	Progs. No.	Particulars	Dates	Participants to be Nominated	Number of Participants
49	SE-09	Seminar for Foreign Judges [Bangladesh]	14/02/2020 To 20/02/2020	Senior Assistant Judges, Assistant Judges and Magistrates (Level 2)	40
50	P-1206	National Convention for Senior High Court Justices: Strengthening Fiscal and Administrative Protocols in High Courts	15/02/2020 To 16/02/2020	Puisne Justices 1 to 3 in Seniority	26
51	P-1207	Orientation Programme for Junior Division Judges	21/02/2020 To 27/02/2020	Junior Division Judges	39
52	P-1208	Workshop for Additional District Judges	21/02/2020 To 23/02/2020	Additional District Judges	37
53	P-1209	Regional Conference (West Zone-II)	29/02/2020 To 01/03/2020	High Court Justices, Registrar (Recruitment), Registrar (Budget preparation), Principal District Judges and Chief Judicial Magistrates	107
Total					**1891**

5. Summary of Programmes Conducted

This section provides brief summary of programmes conducted during the Academic Year 2019-2020.

P-1163: Workshop on Adjudicating Terrorism Cases in collaboration with CEELI Institute and Federal Judicial Center, Washington [Phase IV, Part I]:10-12August, 2019

This Academic Year (2019-2020) NJA organized two workshops on Adjudicating Terrorism Cases during phase IV of multi-stage project in collaboration with the Central and East European Law Initiative (CEELI Institute), Prague and the Federal Judicial Center, Washington D.C. These workshops were designed for Principal District and Sessions Judges dealing with trial of extremism/terrorism related cases. The two workshops were designed to disseminate the knowledge gathered to a larger cross section of Indian Judges with a different batch of judicial officers, subjects dealt in these two workshops were similar. The workshop included sessions on core areas which are dealt by judges while adjudicating terrorism cases such as Fair trial; Laws relating to terrorism trials; Evidence, MLATs and extradition; Forensics and Digital Evidence; Managing media while adjudicating terrorism trial; Case Management in terrorism cases & offences against national security; Judicial and courtroom security; and Framing charges with unique features in terrorism trials.

The present workshop was final faculty development (pre-program meeting) wherein, justices (core group of 8 master trainers) worked together on reviewing and refining individual sessions and presentations for the pilot workshop on subsequent two days. The workshop provided insights to judges about contemporaneous best practices and jurisprudence pertaining to counter-terrorism control norms, adjudication protocols and allied areas. The international and Indian sources of law were pointed out, emphasizing on general principles of fair trial. The sessions included discussions on the concept of reverse burden, speedy trial through the perspective of terrorism cases, open versus in-camera trials and sub-conscious bias and preconceived notions. Key points to be practiced by trial judges while adjudicating terrorism cases were highlighted. On framing of charges, participants were assisted to understand how to commence a terrorism related trial by framing appropriate charges and ensuring adequate defense for the defendant. Further, importance of continuous trial in terrorism cases was deliberated upon. Judicial officers pointed out their difficulties pertaining to technicalities of evidence during trial stage, and access to evidence in other countries through MLATs. Discussions during the session on Judicial and Courtroom Security highlighted that security is not static is a continuous goal which requires constant vigilance and continuous supervision and review of court security plans.

SE-01: Training Program for Myanmar Judges and Judicial Officers: 23 - 29 August, 2019

A Memorandum of Understanding (*hereinafter* MoU) was entered between the National Judicial Academy (NJA), India and the Office of the Union Chief Justice (*hereinafter,* OUCJ), under the Supreme Court of the Republic of the Union of Myanmar for organising Training and Capacity Building programs for Myanmar Judges and Judicial Officers. For the year 2019-20, two batches, each of 40 judicial officers were proposed to visit India and participate in a 07 days training program. Pursuant to the said MoU, a 7 days program for the first batch of Myanmar Judges and Judicial Officers at the District and Township Level nominated by Myanmar, was organized by NJA at Bhopal from 23rd to 29th August, 2019. The program included sessions on judicial skills, constitutional, civil, criminal, human rights laws and correlative jurisprudence. The program acquainted participants with elements of judicial behaviour- ethics, neutrality

and professionalism, skills of judging and judgment writing. The program facilitated also discussions on court & case management and use of ICT in administration of justice.

The session on *Overview and Architecture of the Indian Constitutional Arrangement* focused on historical factors which led to formation of Constitutional Law and how it reflects values and beliefs of people, importance of Constitution in upholding democratic values and various aspects of Constitutional law in India including independence of judiciary, federalism, fundamental rights and directive principles of state policy and their comparison with the Myanmar situation. The session on *Indian Judiciary: Organizational Structure, Jurisdiction and Approaches* discusse dissues related to the scope of judicial review and judicial activism along with reference to corresponding position in the legal system of Myanmar

The discussion on *Goals, Role and Mission of Courts: Constitutional Vision of Justice,* focused on various elements of the Preamble to the Constitution and historical factors behind formation of Indian Constitution and Constituent Assembly Debates of India. While deliberating on *Elements of Judicial Behaviour* various features of judicial behavior including giving equal opportunity to parties for fair hearing, maintaining neutrality, discharging public duty without getting influenced by anyone and following decent, dignified and courteous behavior were highlighted. The importance of Constitutional values in guiding judicial behavior was emphasized.

The session on *Judging Skills* discussed value of judgment in judicial career along with the meaning and purpose of judgment. The impact of judgments on social norms and reforms was discussed and the leadership role of judges was emphasized. In the session on *Judge the Master of the Court: Court Management & Case Management,* the concept of team leadership and various elements of court management was also discussed. In the session on *Principles of Evidence: Appreciation in Civil and Criminal Cases* the basic principles behind law of evidence was discussed and the importance of rules of evidence in restricting scope of arbitrary inquiry was highlighted.

In the session on*Electronic Evidence: New Horizons, Collection, Preservation and* the usage of Call Data Records (CDR) in crime investigation, mechanism of location tracing and jurisprudence on Section 65B of the Indian Evidence Act was discussed. Further, the use of DNA in solving crime and limitations of DNA evidence due to insufficient sample, contaminated sample and lack of qualified experts was discussed. The drawbacks relating to forensic evidence in India including improper collection, improper preservation, non-collection of evidence, non-maintenance of chain of custody and delayed dispatch for analysis were discussed.

The role of judges in adversarial and inquisitorial system and the scope of judicial role was discussed. The role of a judge in a criminal trial in Myanmar and the procedures followed by police while undertaking investigation there was accentuated. In the session on *Criminal Justice Administration: Fair and Speedy trial and Human Rights* Article 20 of the Indian Constitution and the corresponding provisions in the Constitution of Myanmar was discussed. The right to speedy trial under Article 21 of the Constitution was also discussed. Various judgements of the Supreme Court of India on fair and speedy trial and human rights were referred to.

In the session on *ICT and E-Judiciary: Indian Perspective* benefits of ICT enablement of Indian courts, formation of the E-Committee of the Supreme Court and various actions undertaken in Phase-I and Phase –II of the eCourts project were discussed. The discussions also focused on the development of software used in the courts i.e. C.I.S. (Case Information System) and various features of NJDG (National Judicial Data Grid).

While discussing recent developments in Civil Laws in India recently enacted civil laws and amendments in several legislations were discussed including like - Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

The ways to improve efficient service of summons through electronic mode and reducing grant of adjournment was highlighted. Various other methods to expedite civil proceedings were discussed by referring to judgements of the Supreme Court of India. Benefits of Alternative Dispute Resolutions as a method for amicable resolution of disputes, mediation in commercial disputes and family disputes in India and the concept of plea bargaining was highlighted.

Local Visit & Study Tour -The participant judges from Myanmar were taken for local visit to the State Museum and Tribal Museum on 25 August, 2019. They were taken for study visits to AIIMS, Bhopal on 26 August, 2019, District Court, Bhopal on 27 August, 2019 and Central Prison, Bhopal on 28 August, 2019.

P-1164: Workshop for Magistrates on Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994: 31 August - 1 September, 2019

The Workshop was designed to enhance capacity of Judicial Magistrates in implementation of provisions of The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994(hereinafter, PC & PNDT Act) and expeditious disposal of cases. The workshop focused on issues regarding social context of the PC & PNDT Act; grey areas between medical termination of pregnancy and sex-selection; role and functions of authorities under PC & PNDT Act; jurisprudence concerning implementation of PC & PNDT Act; trial process and appreciation of evidence under PC & PNDT Act.

There is need to change social mindset about the issue and focused implementation of the law is required. Provisions of International Conventions addressing sex selection regarding gender equity and equality were discussed. The composition and role of the advisory committee was discussed. It was suggested that the Act must be amended to address some crucial issues. It was suggested that one should not jump to conclusions as procedure must always be adhered to and principles of natural justice should not be defeated at any stage of the case. The principle of arrest and remand was discussed. Section 30 concerning powers to search and seize records was also discussed. With regard to the general rule of evidence, it was emphasized that identification parade is a weak evidence unless corroborated with other evidences. It was emphasized that the best evidence is direct evidence and oral evidence should be excluded in presence of documentary evidence. While recording evidence of child witness the court has to satisfy itself about the competence of child to give evidence.

P-1165: Workshop for Additional District Judges: 06 – 08 September, 2019

The workshop provided a platform to participants for sharing experiences and best practices'; stimulating them to address challenges in implementation of ADR system; critically analyzing prevalent sentencing practices and advantages of integrating court and case management systems in subordinate Courts. Topics covered included issues and practices pertaining to collection, preservation and appreciation of electronic evidence; issues in laws regulating cybercrimes and importance of fair sessions trials. On a critical analysis of the implementation and impact of ADR system for effective reduction of case-load, it was asserted that

since the dispute resolution is often a managerial function and mediation being a preferred ADR technique, the dearth of trained mediators and continuous honing of mediation skills are the two clear takeaways. While dealing with the topic of "Court and Case Management", maximization of efficiency and innovativeness in a particular court room to deliver incrementally better output was discussed. One of the sessions covered major principles of "Fair Trial" and covering its evolution in India citing case law jurisprudence. Victimology, witness protection, principles of natural justice and examination of witness and recording of their statements as envisaged under provisions of CrPC enabling a fair trial formed part of the seminal discourse. The session on "Laws relating to Cybercrimes: Advances and Problem Areas" unfolded intricacies of the scope of prevailing legislature addressing cybercrimes in India through the Information and Technology Act, 2000 (*hereinafter* IT Act). The inception and purpose of the IT Act, specifically for regulating "e-commerce", and its evolution over years expanding its scope to regulate various criminal acts and omissions viz. fraudulent electronic signatures, voyeurism, cyber stalking, child pornography, cyber-bullying, cyber terrorism, cyber extortion, data privacy etc. was briefly discussed. Various tools used to commit cybercrimes and their *modus operandi*; law relating to the "intermediary liability" under the IT Act: Intermediaries Guidelines Rules, 2011 and relevant case law jurisprudence formed part of discussion. The session on "Electronic Evidence: Collection, Preservation and Appreciation" highlighted the indispensable relevance of e-evidence both in physical and virtual crimes. The session on "Sentencing: Issues and Challenges" was premised on the fact of absence of any policy or guideline on sentencing unlike the western countries. The cardinal factors of "uniformity" and "proportionality" in sentencing practices in order to abandon arbitrariness and rope in the rigor of certainty in punishment was dwelt upon. Another session covered the understanding, scope and principle centered on distinctions between "Appellate and Revision Jurisdiction" of the District and Sessions Judges while exercising their civil and criminal jurisdictions.

P-1166: Orientation Programme for Junior Division Judges: 06-12 September, 2019

The programme facilitated participants in comprehending judicial role and understanding their responsibility in a constitutional democracy. Alongside, recent developments in juridical thinking and technological advances relevant to accrete performance standards were discussed. Several aspects of law and practice relevant to enhance the quality of performance in judges formed an integral part of the deliberations.

The session on *Constitutional Vision of Justice* stressed that 'justice' is a virtue that transcends all boundaries and it is this very virtue which is the philosophy of our Constitution. The role of the judiciary is to protect rights of the people against the ever expanding powers of government. The session on *Role of Courts in a Constitutional Democracy and Adherence to Core Judicial Values* highlighted that law contains a lot of irregularities and the purpose of courts is to remove those irregularities. The new challenges or tendencies that are posed before judges needs to be addressed properly. Therefore, it is necessary for courts to maintain and respect the content of the rule of law at both the behavioral and institutional level. In session *Discovering Current Judicial Methods* it was highlighted that access to justice for majority of litigants is not easy and therefore, it is important for judges to know their role in safeguarding legal rights of vulnerable sections of the society else poor people will not have their voices being heard in a republic. During the session on *Courtroom Technology: Use of ICT in Courts* various ICT related best practices and systems that have improved court systems were discussed in detail. Discussions during the session on *Managing the Docket: Court and Case Management* emphasized that foundation of success is teamwork which is possible

when the team incorporates elements of management that is – planning, organizing, directing, coordinating and controlling. The deliberation on *ADR and Plea Bargaining* suggested that in case of pending matters judges can refer for mediation at the time of hearing of interim application or after issues are framed and evidence is recorded or even after part trial. In case of new matters mediation can be a good option at the time of filing itself or after the first hearing. Session on *Electronic Evidence: Collection, Preservation and Appreciation* suggested that while appreciating evidence standard of proof, source of authenticity and best evidence rule is very significant. While discussing *Forensic Evidence in Civil and Criminal Trials* various sub-categories of forensic experts and their role was discussed. Those categories included Forensic Narcotics, Forensic Toxicology, Forensic DNA analysis, Forensic Serology, Forensic Ballistics etc. Concepts like DNA fingerprinting, DNA profiling and DNA data banks were discussed in detail along with its importance in the justice delivery system.

The discussion during the session on *Judging Skills: Framing of Charges* suggested that in criminal trials charge is the foundation of indictment therefore lots of care must be taken to see that it is accurately framed. The session on *Judging Skills: Art, Craft and Science of Drafting Judgment* underlined that *judicial* pronouncements must be judicial in nature and should not depart from sobriety and moderation. While delivering a judgment, the court must precisely state the factual matrix of the case and principles of law applicable therein and it's finding on each issue. Deliberations in the session on *Art of Hearing: Promoting Rational Discourse in the Courtroom* stressed that a judge must participate in the proceeding by posing questions to witnesses in order to ascertain the truth. It was suggested that a court should not pass different interim orders/final orders in similar cases as it leads to agitation, loss of confidence in the judicial system and public feels confused and result creates chaos. While discussing the *Role of Magistrates at First Production of Arrested Person* participants were suggested to give order only in consonance with law and should not flow with the emotions. At the same time participants were also suggested not to be mechanical in passing orders for remand. The discussion on *Fair Trial: Fair Processes* elaborated on various attributes of fair trial viz. speedy trial, presumption of innocence, right of representation by lawyer of choice, right to silence of accused, importance of public trial and public hearing, fair investigation, independent and impartial courts etc. While discussing *Role of Courts in Securing Gender Justice* the concept of gender justice enshrined in the Constitution of India in Part III and Part IV, international treaties and conventions and landmark judgments of the Supreme Court were elaborated. Session on *Law of Precedents: Identification and Application of Ratio Decidendi*illustrated on the meaning of *Ratio Decidendi* and how it is different from *Obiter Dicta*. During the discourse on *Occupational Stress in Judges: Identification and Consequences of Stress* it was emphasized that since judges are expected to be multitaskers it is essential for them to realize their potentials so that they can manage stress through enhanced emotional intelligence. Further, the session on *Managing Judicial Stress: Institutional Strategies and Techniques* recommended diverse methodologies that can be of immense use to combat stress at the institutional level.

P-1167: Seminar for Principal District & Sessions Judges on Court administration, Management and ICT, 13– 15 September, 2019

The seminar provided a forum to participant judges to deliberate upon contemporary themes including re-engineering court process through technology amalgamation, relationship management between stakeholders, court management, human resource management, cadre management, fiscal management, performance assessment and time management to strengthen court administration, better accessibility and transparency in justice delivery.

Deliberating upon re-engineering court processes through technology, it was emphasized that in order to reap the optimum benefits of computerization, many internal processes of justice delivery system shall have to be streamlined and a few of them may even have to be done away with and many new processes shall have to be designed. It was explained how technology integration can help courts and what are the pre-requisites to harness the technology in courts. Important aspects of digitalization such as document management system, digital preservation of court records, retrieval & preservation/archival, indexing of documents, water-marking, digital signature, and quality checking & elimination of scanned documents were explained. Various objectives of new case management system such as early resolution of dispute, reduction of trial time, effective use of judicial resources, monitoring of case load, development of ICT support and enhanced public accountability were highlighted. Important aspects of court and Case management such as judicial commitment and leadership, court supervision of case progress, monitoring information system and strict control of adjournments were also discussed in the seminar.

P - 1168: Refresher Course for Family Courts: 20- 24 September, 2019

The programme facilitated deliberations among participants with the objective to discuss the Constitutional and Legislative Mandate of Family Courts, Communication Skills and Techniques for Effective Resolution of Family Disputes, Role of Judges in Divorce & Maintenance Proceedings, Adjudication of Property Disputes by Family Courts, Child custody and Guardianship issues etc. The session on *Constitutional and Legislative Mandate of Family Courts* commenced by emphasizing that Family Courts Act specifically provides that advocates cannot appear in family courts unless specifically authorised by the Court. This provision was introduced with a view to make the Family Courts more informal in procedure and atmosphere. It is expected that a family court judge will have a socio-legal approach and s/he should act as a social engineer. The aim of the family court judge should be to preserve the institution of family and to render socially desirable result vis-à-vis the articulation of individuality. It was stressed that a family court judge to a certain extent should act as a mediator, a facilitator and also as a counsellor to enable parties arrive at an amicable resolution of disputes. A family court judge should be aware of the guiding principles enshrined in the Constitution and International Covenants like CEDAW. In the session on *Communication Skills and Techniques for Effective Resolution of Family Disputes*, it was stressed that judge should take care that his courtroom does not look like a regular courtroom with all procedural rigidity. His/her behaviour should be litigant friendly. A family court should treat litigants with utmost respect with a certain degree of dignity and politeness. Sessions on *Role of Judges in Divorce Proceedings and Maintenance Proceedings: Radical Approach of Family Courts*, stressed that, even in contemporary times women are socially and economically not independent. There are too many inequalities and gender biases. Therefore, while deciding cases of maintenance this social status of women should always be kept in mind. The amount of maintenance should be such which is sufficient for a wife to live a dignified life. While awarding maintenance, social and economic status of parties and their lifestyle prior to the dispute should also be given due consideration. Some important precedents viz. *Shailkumari Devi v/s. Krishan Bhagwan Pathak*. (II (2008) DMC 363 SC), *Rohatash Singh v/s.Ramendri* (I (2000) DMC 338 SC) etc. were discussed in detail. The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 was also discussed in detail with special reference to case of *Mohd. Ahmed Khan v/s. Shah Bano Begam,* (AIR 1985 SC 945) and its aftermath. Judicial precedents like *Daniel Latifi v/s. Union of India* (2001) 7 SCC 740 and *Shabana Banu v/s. Iman Khan* AIR 2010 S.C. 315 were also discussed in detail. The session on *Child Custody and Guardianship: Issues and Challenges*, commenced with a simulation exercise followed by a panel

discussion. It was emphasized that judges should be utmost careful in all child custody cases and should treat every case as their own.

It was emphasized that child custody dispute should not be seen as dispute between husband and wife over their rights on child, but should be seen as dispute about rights of child. Various provisions of International Conventions like Child Rights Convention, UDHR were discussed along with corresponding provisions under the Constitution of India and other legislations. In session on *Counselling, Conciliation & Mediation in Resolving Family Disputes—Relevance and Importance* it was stated that Family Courts in India were established with the objective of amicable settlement of matrimonial disputes and that the Family Courts Act, 1984 recognized conciliation as means of settling matrimonial disputes. The discussion highlighted certain attributes of a mediator such as communication skills, impartiality/neutrality, patience, sensitivity, creativity etc. It was reiterated that the court must consider the suitability of a case for referral by ascertaining the nature of the dispute. It was also pointed out that although a family dispute can be referred for mediation at any stage of the proceedings but ideally it must be done after service of notice on the opposite party and before filing of objections/written statement. The session on *Gender Justice and Gender Bias: Maintaining Equilibrium* discussed the menace of gender bias inherent in our society and the need for a more sensitive judicial approach in this regard. The session on *Psychological Perspectives to determine the Best Interest of the Child* explored the issues relating to the best interest concept from the psychological and developmental perspectives while dealing with custody matters and the need for a sensitive and pro-active approach of family court judges especially while dealing with custody of a child. Further, the discussion highlighted the importance of Rational Emotive Therapy and Multiple Knots Theory in connection to custody disputes and it was agreed that the ideal way to decide custody disputes is through mediation/conciliation and these must be resorted to in appropriate cases. The sessions on *Significance of Couple Therapy and Group Therapy in Matrimonial Disputes* and *Understanding Family Disputes: A Psycho-Social Approach* were premised on role play by participants on the basis of four case studies. The basic objective behind these simulation exercises was to make judges understand family disputes from a psychological perspective by putting them in someone else's shoe so that they are able to empathize with their perspective, opinion or point of view.

The session on *Cases of NRI Marriages solemnized in India: Issues and Challenges* asserted that NRI marriages have given rise to serious issues not only for the wife and the children but also for the society as a whole and for which swift and accessible legal remedies are almost eluding. Apart from the social aspect, some of the major legal issues that arise in such cases were highlighted, such as, jurisdiction of courts; law applicable in resolving such dispute; procedure to be followed; recognition of foreign judgments; enforcement of foreign judicial orders; forum hunting for divorce decrees; interpretation of statutory law in the absence of Private International Law in India; meaning of residence and domicile in the context of NRI marriages; personal appearance & impounding of passport for defiance of Court summons etc. A reference was made to the Bill on Registration of Marriage of Non-Resident of India which was introduced in Upper House of the Parliament in February, 2019 while stressing on the need for an appropriate legislation in order to create more accountability and offer more protection against exploitation of Indian women by their NRI spouses. In the session on *Challenges and Constraints affecting the working of Family Courts* participants provided their insight and inputs on the objective of family courts, challenges faced by family courts and solutions to overcome the said challenges.

P-1170: Workshop on Adjudicating Terrorism Cases in collaboration with CEELI Institute and Federal Judicial Center, Washington [Phase IV, Part II]: 27-29 September, 2019

The workshop was attended by 40 judicial officers other than those who had attended workshop held in August 2019 (P-1163). The session on Forensics and digital evidence threw light on aspects relating to appreciating forensic evidence in terror attack cases. The overall concept of this multi-stage program was to sensitize judges about the Hague Memorandum of good practices and implementation of steps outlined in "the Rabat Memorandum" in criminal justice system of India. It also aimed to impart judicial education by adopting adult learning techniques like group discussion, case study, brain storming activities etc. The participants were encouraged to share their experiences to make learning effective. These workshops were based on more conventional ways of imparting judicial training at the Academy.

P-1171: Workshop for High Court Justices on the Regime of Goods and Services Tax, 28-29 September, 2019

The workshop was conceived to provide insights into the legislation – The Goods and Services Tax [GST] Act, 2017. It aimed to provide a forum for deliberating normative issues relevant to the evolution of indirect taxes, from a regime of distinct and multiple taxation to one of substantial uniformity across diverse tax domains and jurisdictions i.e., Federal and State. It aimed to explore and classify potential areas of conflict and litigation consequential to this legislative shift; the constitutional evolution in the area and the adjudicative and socio-judicial inferences that may arise thereby.

The session on *Indirect Taxes – Historical Perspective & GST: Constitutional Perspective and Overview of GST* focused on comparative analysis of indirect taxation system in the country in pre and post GST period. The reasons of implementing GST regime in the country including tax reform, elimination of 'cascading effect', equitable taxation, simpler system and one market were discussed. It was emphasized that GST regime marks a shift from lists based levies system and aims to provide equal platform to Parliament and State legislature to make laws with respect to GST. The 101 constitutional amendment and Article 246 A(1) of the Constitution was discussed at length. In the session on *Concept of Supply the* definition of supply under the CGST Act, applicability of GST on activities in Schedule I and concept of compensation and consideration were discussed. The concept of supply with reference to situations i.e. in the course or furtherance of business and impact of Section 7(1A) of the CGST Act on the scope of supply and its links with Schedule II were highlighted. The issue related to Schedule I that whether Parliament can treat activities as supply even in the absence of consideration was deliberated in the session. In the session on *Classification: Mixed/ Composite Supply* the meaning of composite supply and principal supply were discussed. Foreign judgments were discussed to explain the concept of composite supply, principal service, ancillary service, indivisible economic transaction and separate pricing.

In the session on *Valuation: Time & Place of Supply* the Constitutional scheme of indirect taxation in India was discussed and Article 286 (1), Article 286(2) and Article 269A (5) of the Constitution were referred. The term 'time and place of supply' were explained. Various provisions of the IGST Act for determining place of supply including Section 10 dealing with place of supply of goods other than import and export of goods, Section 11 dealing with place of supply of import and export of goods, Section 12 dealing with place of supply where location of supplier is abroad and recipient is in India and Section 13 dealing with place of supply where location of supplier or recipient is outside India were discussed.

In the session on *Input Tax Credit* issue related to sharing of revenue between Centre and States was discussed and Section 17 of the CGST Act and Article 269 (A) (1) of the Constitution were referred. The concept of exempt supply and issues related to eligibility to claim credit, issue of free supplies and restrictions on input tax credit were discussed. The issue that whether ITC availment be denied for supplies which are not leviable to tax under the GST Act by including 'non taxable supplies' within the definition of 'exempt supplies' were also discussed.

P-1172: Refresher Course for NDPS Courts: 04-06 October, 2019

The refresher course discussed various provisions of search and seizure, presumptions of culpable mental state, determination of drug quantity, reverse burden of proof, and forensic report in judicial proceedings. It was stressed that the determination of drug quantity involves many complex issues and close scrutiny is imperative before arriving at any conclusion. A reference was made to various landmark cases such as; *E.Micheal Raj vs. Narcotic Control Bureau (2008) 5 SCC 161 Sk.Raju vs. State of West Bengal (2018) 9 SCC 708, Mohinder Singh vs. State of Punjab (2018) 18 SCC 540, and Arif Khan vs. the State of Uttarakhand (2018) 18 SCC380.* It was stressed by the speaker that mandatory requirements under section 50 of the NDPS Act, if not followed then would raise serious objection upon the investigating authority. It was stated that sample of the contraband must co-relate with the evidence and Sections 54 and 35 is not necessary to be applied simultaneously. During the discussion topics like; search without a warrant, authorized person and search of government & the private vehicle were discussed at length in consonance with the relevant provisions.

P-1173: Workshop for High Court Justices: 05 –06 October, 2019

The workshops for High Court Justices covered various thematic areas that provided a platform to justices for sharing experiences, insights and suggestions with a panel of distinguished resource persons from the judicial branch and other relevant domain experts. The present workshop initiated by highlighting the difference between 'door-closing silences' and 'door opening silences' in the Constitution and indicated the permissible limits of giving meaning to the silences in the Constitution.

It was stated that human liberty emanates whole idea of the Constitution and that all sections of the society participate to enhance the meaning of the Constitution and it cannot be an individual job of either the courts, legislature, executive or the union of people. It was emphasized that judicial outreach is a result of executive under-reach; this was referred in the 1970s cases of *Indira Gandhi v. Raj Narain1975 AIR 865, Minerva Mills case AIR 1980 SC 1789, Keshavananda Bharati case AIR 1973 SC 1461,* which brought a series of constitutional amendments. A prolonged discussion was made on Euthanasia and right to die in the context of right to life, legality of abortions and other rights falling under the purview of right to life.

It was highlighted that in order to have Article 227 effective there has to be uniformity between high courts across India. Interpretation is different from administration of justice and the judgement given by a particular high court cannot be made as a law of the state. The High Courts while exercising supervisory powers cannot vitiate their regulations and should play a role of mentors in monitoring the work of subordinate courts. The judges should not blindly follow precedents unless self-analysis of the case or judgement is done otherwise the mind becomes biased and the judgement delivered is a mere copy-paste. The problems faced by the high court judges in exercising their supervision were also discussed., The

fallacies of Article 227 clause (2) and (3) were also looked into and it was suggested that less intrusion by high courts can sometimes yield better solution for subordinate courts as there are cases in which the judicial process goes wrong instead of the judge

SE-03: Seminar for Members of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal:11-13 October, 2019

The seminar commenced by discussing the scope and application of Article 265 of the Constitution and further explored the basic principles of taxation. It was stated that as a matter of rule taxation statutes must always be interpreted strictly and only when there is any ambiguity that purposeful or contextual interpretation must be resorted to. In this regard, the retrospective principle, non-applicability of principles of equity in tax laws, beneficial rule of construction, rule of update or progressive construction were discussed. The discussion also highlighted other significant aspects such as quantification of charge, penalty provisions, judicial discretion, interpretation of precedents etc. Various landmark judgments elaborating on the concept and evolution of principles of natural justice were discussed. In the context of application of the principles of natural justice during proceedings the Doctrine of Post Decisional Hearing, Promissory Estoppel and Legitimate Expectation were highlighted. It was advised that when there is clear abdication of binding orders by the departmental adjudicators the appellate authority must ensure some consequence either by way of strictures or imposition of costs. In cases where there is a view point different from that of a coordinate bench the disagreement must be recorded with proper reasons.

In session on *Role of Adjudicators: Balancing the interests of Citizens and Revenue* it was highlighted that there is need for identification of relevant principles and proper application of mind while adjudicating any matter. The session further delved into the role and responsibility of the tribunal in shaping the dimensions of law and guided on various other procedural aspects while balancing the interests of assesse and revenue. It was suggested that a judgment must be clear, precise, well-structured and must not reflect biases of any kind whether personal or professional. A judgement must ensure narration of facts, framing of issues, analysis of the evidence and must ensure that the flow of the language is clear, logical and coherent.

P-1174: Workshop for Newly Elevated High Court Justices: 12 – 13 October, 2019

The workshop facilitated deliberations among participant justices on contemporary topics of ICT in courts; court management techniques to improve efficiency and strengthen justice administration; core constitutional principles such as judicial review, federal architecture, separation of powers, doctrine of basic Structure and fundamental rights. The constitutional vision of justice in terms of social, economic and political justice was discussed. Attention was drawn to social context judging, fundamental rights, speedy justice and access to justice. It was stressed that institutions such as Union Public Service Commission, Supreme Court, Parliament, Comptroller and Auditor General, Election Commission should be strengthened.

Attention was also drawn to different aspects of constitutional values & morality. The concept of fundamental rights was elaborated by sharing recent examples to point out the areas of conflict and it was stressed that to resolve such conflicts, a judge must go back to the Constitution and its values. Issue of individual liberty & freedom was discussed on the question ‘as to what extent & on what grounds individual liberty can be curtailed’.

Judicial review of executive action was discussed. Areas of conflict between executive, legislature and judiciary was briefly explained with the help of some landmark judgements.

P-1175 - 84: Court Excellence Enhancement Program: 18 – 20October, 2019

The program provided forum for identifying challenges, constraints and endeavours at evolving improved standard working models for delivery of quality justice. The objective included assessing and enhancing performance of courts; discussing and identifying indicators of court excellence and to prepare a model court plan considering the best practices to improve existing court performance. This was first of the two cluster programmes scheduled during the academic year. The programme developed comprehensive "Court Excellence Plan" for enhancing qualitative and timely justice through harnessing synergies of various stake and duty holders in the system. An action plan was developed, which identified areas calling for systemic improvement. To a large extent, the deliberations and discussions during sessions were clinical in its format.

P-1185: West Zone-I Regional Conference on Optimizing Quality and Efficiency in Justice Delivery: Challenges & Opportunities: 19th and 20th October, 2019

The conference commenced by emphasizing that the preamble of the Constitution was identified as the guiding light for realizing the constitutional vision of justice. It was opined that the concept of equality is very important and the role of the judge is to uphold the law without fear or favour. It was stated that the judgment should not be influenced by any political ideology or economic theory. The Constitution provides for equality of opportunity to every individual irrespective of their gender, religion, caste, place of birth etc. However, judges were cautioned to be vigilant while deciding cases so that laws are not misused. The judges were also advised to understand the objective and social context behind various welfare legislations which would assist them in adjudication. Participants were suggested that they should undertake assistance of NJDG to examine and scrutinize working of the judicial officers under their superintendence which would also aid them in court management at a macro level. It was also suggested that retired District Judges and Chief Judicial Magistrates can be empaneled for recording of witness statement and deciding miscellaneous applications when the presiding officers are on leave.

It was stressed that writing of Annual Confidential Reports (ACR) is also part of cadre management and it should be filled after due thought and care and not in a mechanical manner. It was also stated that budget preparation should not be done casually by inflating budget of the previous year by certain percentage. It was recommended that a vision document should be prepared for the specific High Court for the future so that all the actions are undertaken in a planned manner to fulfil goals envisaged in the document. It should be based on statistical analysis and should lay down a framework for executing the vision through a plan providing for annual, midterm and long term goals. It would provide a roadmap, and appropriate budgetary demands can be made, taking into account future and contingent expenditures. It was suggested that the building and finance committee should work in synergy to achieve desired results. It was also advised that the principal district judges can avail the services of experts for training and assistance in preparation of budget.

SE-05: Training Programme for Bangladesh Judges (For Senior Assistant Judges, Assistant Judges and Magistrates) [Level-2]: 01 -07 November, 2019

National Judicial Academy organized a Seminar for Judicial Officers from Bangladesh pursuant to a Memorandum of Understanding between NJA and the Supreme Court of Bangladesh with the objective of training and capacity building of the participant judges. A 7 day Programme for Senior Assistant Judges, Assistant Judges and Magistrate was organized. The first phase for the program was organized by NJA at Bhopal and the second phase was organized at Rajasthan State Judicial Academy. The seminar familiarized participants with elements of Judicial Behaviour, skills of judging and judgment writing and acquainted them with court and case management systems in India and use of ICT in administration of justice, in order to draw parallels in the legal and judicial systems of India and Bangladesh.

The sessions on overview and Architecture of the Indian Constitutional Arrangement, Organizational Structure, Jurisdiction of courts in India, goals, roles and mission were organized on the first day. Further, session were designed to cover the subjects like skills of Judging, court and case management. It was opined that "Imagination is more important than knowledge" and "Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgments.

The deliberations on Electronic Evidence, presumptions, burden of proof were done. A focused discussion on ICT Act 2006 (Bangladesh) and its Indian Counterpart IT, 2000 were made. With respect to Forensic Evidence, its importance in Civil and Criminal Trial in general and DNA profiling in particular was stressed upon. The importance of the Fundamental Rights as well as Human Rights from the point of view of democracy, liberty, rule of law etc. were discussed. With respect to criminal Justice Administration and Human Rights, it was stated that "fair and impartial investigation" is a facet of human rights and is necessary since laws are crucial notions of the society. It was opined that the court delivering the judgment will never mention as to what is ratio decidendi and what is obiter dicta, it is up to the court applying/ analyzing it. Distiction was drawn between binding and non-binding precedent, vertical and non-vertical precedents. Lastly, a detailed discussions took place on the landmark judgments in Indian Judiciary. Thereafter, judicial officers visited State Museum, Tribal Museum, Central Jail and AIIMS.

P-1186: Workshop for High Court Justices on Intellectual property Rights (IPRs):02- 03 November, 2019

The workshop facilitated discussion among participants on topics including- effective adjudication and enforcement of IPRs, Government of India's IPR policy and treaty related obligations, challenges of IPR in digital world etc. Participant justices discussed issues faced by them in adjudication of IPR disputes. The discussion emphasized that IPRs are nothing but monopoly rights for a particular period. Various forms of IPRs viz. Patent, Copyrights, Trade-Marks, GI and Designs were discussed in detail.TRIPS with special reference to Patents was discussed in the light of some landmark judgements given by the Supreme Court of India like- *Novartis AG vs. Union of India*, *Bayer vs NATCO Pharma* etc. The session on Jurisdictional Issues in Trademark, Copyright & Patent Disputes discussed central legislations conferring jurisdiction on courts to adjudicate IPR disputes. The provisions including Sec. 20 of CPC, Commercial Courts Act, 2015, Sec. 134 of Trademarks Act, Sec. 104 of Patents Act and Sec. 62 of Copyrights Act were discussed in detail. The challenges in exercise of jurisdiction in IPR cases viz. existence of different statutes for determining jurisdiction, online IPR violations, user anonymity, changing URLs, territorial limitations etc. were discussed with examples. The concept of dynamic injunction and related case law jurisprudence was

also explained. In the session on Emerging Trends in IP regime: Indian and Global Perspective, it was emphasized that India is on the Priority Watch List for lack of sufficient measurable improvements to its IP framework on long-standing and new challenges that have negatively affected U.S. right holders over the past year. It was stated that most of the problems are faced due to pharmaceutical patents and Govt. of India's responses to it at an international level. Long pendency of Patent Applications, litigations etc. are creating challenges in India's patents and other IP regime. The session "Challenges of Intellectual Property Rights in Digital Age" discussed that the invention and evolution of internet has created a huge problem in IPR regime. Due to the evolution of internet, there has been a paradigm shift from industry based economy to the information based economy. The growing use of ecommerce has given rise to new kind of IPR litigation. The information age has affected the copyrights and trademark the most. The evolution of 3D printing and Artificial Intelligence have created huge problems in the way of IPR regime. The internet and information age has changes the way we use the IPR. The major problem created by internet in IPR is safety of IPR and the issue of jurisdiction. Important cases like *MySpace Inc. v. Super Cassettes Industries Ltd. 236 (2017) DLT 478, Kent Systems Ltd. v. Amit Kotak 2017 (69) PTC 551 (Del), Swami Ramdev and Anr. v Facebook & Ors. CS (OS) 27/2019 (Decided on 23rd October, 2019), YouTube v. Geeta Shroff [FAO 93/2018 (Decided on 17th May, 2018)]* were discussed in detail.

P-1187: Seminar for Principal District and Sessions Judges on Constitutional and Administrative Law: 8-10November, 2019

The seminar discussed imperatives of adhering to constitutional and administrative law principles while construing, applying and executing substantive and procedural mandates applicable to causes coming before courts. In the discussion on separation of powers & contours of judicial review, the Constitution was emphasised upon as a document for distribution, division and management of power; to ensure that no wing of the state is supreme, rather it is the Constitution that is supreme. While discussing rule of law and justice, the concept of justice, its components and constitutional dimensions were elaborated. It was stated that judicial activism and judicial restraint are essential and it is the judicial wisdom which draws a line between the two. Distinction between judicial activism and judge activism was discussed. It was stated that personal opinions should not be elevated to constitutional morality. While exercising appellate jurisdiction, judges should be cautious and avoid activism; and while exercising judicial review, it is the duty of the court to enforce the law, and activism should be rooted in law and not personal convictions.

Emphasis was placed on the Constitution as a normative framework to test the validity of any action or law; as a basic document laying objective guidelines for functioning of the state; and to judge actions undertaken by state functionaries. In the deliberations on the *Doctrine of Stare Decisis* emphasis was placed on qualified reverence for precedents rather than sightless implementation. It was stated that precedents should not stand in way of the development of law. The issue of incoherence in precedents due to polyvocal courts was also dwelt upon. Role of Writ jurisdiction as a check on the wings of the state and in preservation of the Constitution was deliberated upon. Thereafter, concepts of delegated legislation, sub-delegation and conditional legislation were dwelt upon. Checks and balances on delegated legislation were discussed and concerns were expressed over inadequate exercise of these checks by the Parliament.

P-1188: Workshop for Additional District Judges: 15 - 17 November, 2019

The workshop emphasized that trial should be concluded expeditiously before the memory of the witnesses fades out. It was accentuated that for a fair trial, facts are to be marshalled, evidences are to be considered, judicial mind has to be applied and then judges should reach to a conclusion. It was highlighted that for a fair trial, judge should be free from all prejudices and biases and should ensure strict adherence to the principles of natural justice. Difference between Criminal Appeal and Criminal Revision was discussed. Powers of appellate and revision court in criminal justice administration was dwelt with. It was suggested that public has faith in the judicial system, so judges should use their powers very prudently and perform duties with utmost sincerity.

It was emphasized that punishment has to be proportionate to the crime and while sentencing a convict, the circumstances, (i.e., aggravating/ incriminating and mitigating) should be weighed properly. Various bottlenecks and advantages of Alternative Dispute Resolution (*hereinafter* ADR) were discussed. It was stated that the objective of mediation is to connect people.What should be the right time for referring a matter for ADR was also discussed. The position of mediation and arbitration in India and other countries was also analyzed. Certain differences between mediation and conciliation were highlighted.

Furthermore, Case Flow Management Rules' were discussed. It was highlighted that case management is crucial for improving efficiency, reducing delays and cutting costs. With reference to revision jurisdiction it was stated that the scope of revision is limited. The difference between revision and appeal was explained. While discussing laws relating to cybercrime, distinctions between cybercrimes and conventional crimes was pointed out. In the same line, the issue of jurisdiction in cybercrimes was also deliberated on. The case *Shreya Singhal v. Union of India,* (2013) 12 SCC 73 was discussed in detail. The meaning and nature of e-evidences was discussed in light of various provisions of The Information & Technology Act, 2000. Meaning, nature and peculiar features of electronic evidences that distinguish it from conventional evidences were explained. A lucid discussion was made on the reliability of electronic evidences. Ways to ensure authenticity of electronic evidences were explained. Further, admissibility of contents of electronic evidences, appreciation of CCTV footage as an evidence and Section 65B of The Indian Evidence Act, 1872 were discussed.

P-1189: Orientation Programme for Junior Division Judges: 15 – 21 November, 2019

The Orientation programme commenced by discussing the concept of justice and overviewing judicial administration. Thereafter, deliberartions were made on the relationship between Part III and Part IV of the Constitution, interpretation of laws according to the spirit of the Constitution, distribution and management of power among the different organs of the government, accountability of the organs of government towards citizens of India, limits of power of organs of government to prevent the misuse of power, role of judiciary in the constitutional democracy and various aspects of distributive justice and corrective justice.

While discussing judicial methods in trial courts the idea of neutrality in judicial process, interpretation of laws in the light of constitutional values, limited governmental power, strict adherence to the rule of law, transparency and accountability in court proceedings and Section 113 of the Code of Civil Procedure was elaborated. Discussion on managing the docket highlighted importance of leadership quality in a judge, use of ICT tools for faster means of communication, upholding public trust and confidence in the administration of justice and job of court manager in coordinating with all stakeholders was dwelt with.

Delibrations on use of ICT in courts focussed on use of videoconferencing facility for witnesses and the use of data regarding case progress from NJDG. The role of a trial court judge in verification of charges was also discussed. While discussing skills required to write a good judgment it was suggested that a judge while writing a judgment take out the gist of pleadings, determines interest of parties in a suit, give a clear narration of facts, cause of action, and then arguments. It was emphasized that decision should be supported by rational explanation. Further, it was emphasized that judges must ensure that counsels are not repetitive in their examination and the hearing can be moderated by the judges towards this end.

Delibration on law relating to cyber crimes discussed emerging challenges due to increase in incidents of cyber-crimes, ransomware attacks targeting government installations, misuse of social media platforms to commit cybercrimes and how to prevent such misuse. Further, authenticity and integrity of electronic evidence**,** appreciation of electronic evidence, and detection of spoofed messages in Whatsapp and usage of Call Data Records (CDR) in crime investigation was discussed. Shortcomings in the use of forensic evidence in India which includes improper collection, improper preservation, non-collection of evidence, non-maintenance of chain of custody and delayed dispatch for analysis also formed part of discussion. Duties of magistrate on first production of arrested person, protection of the Constitutional and statutory rights of an arrested individual, verification of arrest memo and scrutiny of the case diary at the time of production of arrested person for remand was discussed.

Magistrates should focus on the concept of fair hearing and ensuring neutrality during trial. Occupational stress due to professional commitments and ways to reduce occupational stress was explained. Various coping strategies to reduce stress, maintaining a healthy lifestyle, ensuring optimum sleep and meditation to alleviate stress were explained

P-1190: Workshop on Negotiable Instrument Act, 1881: 22-24 November 2019

The workshop discussed key features of the 2018 Amendment in the light of Sections 143A and 148. It was emphasized that amended provisions are likely to contribute towards reducing the pendency of cheque bounce cases in courts. Interplay between these amended sections and section 421 of the Code of Criminal Procedure, 1973 formed an integral part of the discussion. While discussing the nature of offence under Section 138 a detailed discussion on ingredients required for complying with Section 138 was made. Thereafter, the summoning procedure, scope of inquiry, service of notice and summons was discussed. Nuances of trial under Section 138 and section 147 of the Act with respect to compounding of offence was elaborated upon. The deliberation highlighted that presumption provided in Section 139 of the Act is akin to presumption envisaged in section 118 of the Act. It is significant to note that section 118 deals with presumptions as to negotiable instruments of consideration, as to date, as to time of acceptance, as to time of transfer, as to order of endorsements, as to stamps and holding of Negotiable Instruments in due course. It is to be noted that presumption under Section 139 is frequently read with Section 118 of the Act.

While discussing *Offence by Companies and vicarious Liability of Officers of the Company i*t was accentuated that for making directors liable for offences committed by the company under Section 141, there must be explicit averments against directors, showing how and in what manner they were accountable for the conduct of the affairs of the company. History and evolution of the Act in pursuance with Section 138, of the Act, jurisdictional development under Section 138 and recent Supreme Court rulings for speedy disposal of cases under Section 138 were some of the other core areas of discussion during the workshop.

SE-02: Seminar for Presidents of District Consumer Forum: 22 – 24 November, 2019

The seminar discussed and deliberated contemporary issues relating to adjudication at forum level, revisited jurisprudential charter of the legislation, issues pertaining to housing and construction industry, e-commerce and insurance industry. The seminar also facilitated discussions about enhancing consumer's access to speedy and quality justice; medical negligence cases and key issues in awarding compensation.

The strategies that were discussed upon to resolve the challenges were to inculcate the role of lawyers to do the bridgework, putting pressure on police to deal with the problem of inadequate manpower and the role of media to reasonably publicize the orders. Elaborate discussions were made on the salient features of The Consumer Protection Act, 2019.

The session on Medical Negligence emphasized on *Bolam's case* in which, test was laid down to examine whether standards of practise have been concurred by the medical practitioner or not. While discussing insurance sector it was suggested that the disclosure of the pre-litigation communication should be sought before beginning an enquiry. Then a check over the difference between the insurance cover and the amount claimed by the complainant should be assessed. Some cases discussed included *New India Assurance Co Ltd v. Satpal Singh Muchal* (2009) 12 SCC 673 and *United India Insurance Co. Ltd. v Manubhai Dharmasinhbhai Gajera & Ors*(2008) 10 SCC 404. Discussion on types of compensation namely Compensatory, Economic, Pecuniary and non-pecuniary was made.

P-1191: Orientation Program on Cases Concerning Persons Residing Abroad: 23 – 24 November, 2019

The program facilitated discussions on issues & challenges related to marriages, nationality and citizenship of overseas Indians. Participants were acquainted on areas related to inter parental child removal, divorce, maintenance and alimony. Issues with respect to settlement of property, matrimonial offences and inter country adoptions were also discussed Basic idea of establishing family court, its effectiveness, various informal modes of settlement of family dispute and how it is different from regular courts was discussed briefly. Indian Diasporas and various aspects related to NRIs marriages were highlighted. Issues arising out of the Citizenship Act, 1955, Passports Act, 1967, The Foreign Marriage Act, 1969 and relevant provisions of the Constitution of India in respect of such matrimonial unions and their effect was deliberated to update participant Judges on issues of nationality and citizenship in respect of overseas Indians. Custody, guardianship, care and control issues in respect of children removed from foreign jurisdictions in respect of parents of Indian origin was discussed. Jurisdictional conflicts, validity of foreign court orders and parental rights examined and discussed. Important provisions of Guardianship and Wards Act, 1890, Code of Civil Procedure, 1908 and Hague convention on civil aspects of international child abduction, 1980 along with landmark judgments of the Supreme Court & High Courts were discussed to highlight the development of law on the issue of inter-country inter-parental child removal. Concept of best interest of the child and various factors that court should take into consideration under the Juvenile Justice Act, 2015 were also discussed in detail.

The general rules regarding custody were discussed and it was emphasized that in matters of child custody, the family court should develop a child-centric approach rather than a parental rights centric approach. Parallel divorce proceedings in India and foreign jurisdictions, validity of foreign court matrimonial

judgements in respect of marriages solemnized in India, interim maintenance, division of matrimonial property/assets, settlement of permanent maintenance and related landmark judgements of the Supreme Court and High Courts were highlighted in the program. Important provisions under the Juvenile Justice Act, 2015 (*hereinafter*, JJ Act) and The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (hereinafter HAMA) *vis-a-vis* the role of the District Judges in this regard was discussed. Validity of foreign guardianship orders, status of adoptions under HAMA and role of Indian Courts was deliberated. The role and function of the central adoption resource authority (CARA) in light of JJ Act and HAMA was also discussed. The salient features of the JJ Act & HAMA were comparatively analyzed. Child's best interest under Adoption Regulations, 2017 was also discussed.

P-1192: North Zone-I "Regional Conference on Optimizing Quality and Efficiency in Justice Delivery: Challenges & Opportunities": 31 November – 01 December, 2019

The Regional Conference for the North Zone comprised of six High Courts i.e. High Court of Judicature at Allahabad, High Court of Delhi, High Court of Punjab and Haryana, High Court of Jammu and Kashmir, High Court of Himachal Pradesh & High Court of Uttarakhand. It was hosted by the Delhi High Court and Delhi Judicial Academy. The conference commenced by discussing active and passive modes of learning as distinguished in the canvas of evolving judicial and legal education in India. The need to have a specialized institution for nurturing young talents pool to fetch from as tomorrow's judges was aired. A national institution akin to the National Defense Academy for the judiciary in India was envisioned. Tracing the provenance from the constitutional edifice, the preamble to the Constitution was referred to assess various corner-stones of "justice" as social, economic and political. "Equality" was referred to as yet another indispensable rubric of the constitutional vision. It was exemplified that although Constitution of India assures "equal access to justice", but perhaps the quality of legal aid is often not equitable or indiscriminate. The session titled "Being a judge" was an effective vestibular annex to the preceding one. Quoting Aharon Barak, the role of a judge was extrapolated beyond mere adjudication to include; protecting the Constitution and upholding "rule of law"; and bridging the gap between law and society. The notions of "constitutional morality" and "constitutional renaissance" was dwelt upon. At the outset of the session on "access to justice" it was measured and analyzed with the help of recently published India Justice Report, 2019 (IJR, a Tata Trust Publication: New Delhi). Session on "Cadre Management in District Judiciary: Recruitment Process: Aptitude Test; Identifying and Filling of Vacancies; & Human resources/ manpower planning" was insightful, wherein the intricacies of cadre management were dealt with. It was suggested that "Bar" being one of the best resource pool to provide future judges, must be nurtured with a congenial "Bar & Bench" relation to catalyze qualitative prospective judges. The session on "Fiscal and Budgetary Planning for District Judiciary" devoted on the general overview of the national fiscal system; The Constitutional scheme of funding; Funding to the District Courts; Entry 11A of the Concurrent List, Entry 3 for "fees taken in all courts except the Supreme Court", and Entry 63 (State List), along with Article 282 of the Constitution of India covering centrally sponsored schemes; or grants under plan / non plan central sector schemes formed part of discourse. The three core budgeting classifications *viz*. "Input based budgeting"; "Output based budgeting"; and "Zero Base budgeting", were elucidated.

P - 1193: Refresher Course for CBI Courts: 06 to 08 December 2019

The refresher course discussed circumstances under which sessions courtscan take cognizance of a crime as per the CrPC. Thereafter, special features/characteristics of CBI investigation were enumerated with the help of relevant case laws including- *J. Jayalalitha Disproportionate Assets case & JMM Bribery case*. While discussing Prosecution of Civil Servants cases of *Subramanian Swamy vs Manmohan Singh* (2012) and *Vineet Narain vs Union of India* (1998) were discussed in detail. Section 197 of Criminal Procedure Code and Section 19 of the Prevention of Corruption Act was discussed in detail. While discussing Economic Offences, economic crimes/white collar crimes like- fraud, breach of trust, bribery, money laundering, chit-fund scams etc. along with the modus operandi of such criminals was discussed. Cross border money laundering and money trail investigation was explained in detail. Role of forensics in solving critical cases was highlighted with the help of some of the relevant cases. It was pointed out that in India there is no definitive sentencing policy therefore every judge may exercise discretion according to his choice based on facts and circumstances of the case. It was highlighted that as far as corruption cases under the Prevention of Corruption Act are concerned, the primary objective is deterrence and hence the sentence should be awarded so as to deter people of similar mindset from committing the same crime.

SE-07: Seminar for Foreign Judges [Bangladesh]: 13- 19 December, 2019

The seminar familiarized participants with constitutional, civil, criminal and human rights law in India and correlative jurisprudence; acquainted them with court and case management systems in India and use of ICT in administration of justice, in order to draw parallels in the legal and judicial systems of India and Bangladesh. Emphasis was placed on the Constitution as a social contract recognizing the sovereign will of the people; and the rights and restrictions imposed by the people on themselves. The need for flexibility in the Constitution to meet the emerging challenges; and significance of the amendment provisions as a measure of flexibility to ensure longevity of the Constitution were also discussed. A comparison was drawn between Article 141 of the Constitution of India and Article 111 of the Constitution of Bangladesh. Similarity was drawn between powers of the district judiciary, and the High courts and Supreme Court of India. The structure of the Indian judiciary and the jurisdictions of the Supreme Court of India and the High Courts was also explained.

The necessary elements of a good judgment were delineated and it was stated that a judgment must necessarily include the reasoning of the court and the rationale for arriving at the conclusion. The participants were advised not to make unwarranted remarks in the judgment; ensure that their judgments should not be unduly lengthy; and should deliver the judgment within reasonable time. The concepts of admissibility, credibility and sufficiency in appreciation of evidence were discussed and probability as the yardstick of appreciation of evidence was explained. The standard of proof in circumstantial evidence, motive as a crucial link in circumstantial evidence to establish culpability were explained. The standards of burden of proof, the concept of reverse burden of proof and the presumptions under the Indian Evidence Act, 1872 were discussed. Emphasis was placed on presumption from the standard of a prudent man and the acceptability of certain facts as rational assumptions of fundamental facts. The use of DNA profiling as evidence in criminal matters was highlighted apart from discussing the process of collection of sample, storage and preservation of the samples.

The participants were advised to ensure that their personal attitudes, beliefs, preconceived notions and opinions do not affect the adjudicatory process and to remain politically neutral to maintain the

independence of the judiciary. The various facets of professionalism in courts were discussed and professionalism was held to be the key to quality and efficiency. Emphasis was placed upon body language, organizational skills as measures of confidence building. Emphasis was also placed upon the need and benefits of ICT in judiciary and its contribution in ensuring transparency and accountability in the judicial system. The functioning of the National Judicial Data Grid (N.J.D.G) was demonstrated and its use for court and case management.

It was opined that fairness in trial should be ensured for the accused and victims. The interrogation of accused should adhere to human rights standards, and torture of the accused or undertrials should not be allowed. The implications of ignoring human rights by the police and the methods for minimizing human right violations were discussed. Role of precedents in ensuring consistency and predictability was discussed. The methods to determine the *ratio decidendi* and determination of binding precedent in case of conflicting decisions of coordinate benches were elaborated.Various landmark judgments related to personal liberty, amendment of the constitution, Public Interest Litigation (P.I.L.) and gender justice were also discussed.

P-1194: Workshop on Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015: 21-22 December, 2019

The workshop commenced by highlighting the importance of providing psychological assistance to Child in Conflict with Law (*hereinafter* CCL) as children have the potential for behavioural transformation and such transformation can occur only if children receive appropriate opportunities for process-oriented reflection/ life skill acquisition and training/ other requisite treatment and interventions. The discussion also highlighted various injustices that the CCL has to go through which creates hindrance in their reformation and often leads to more depressing situations. The discussion further emphasized upon the importance of sex education and sexuality education in schools as the curriculum does not focus on the concept of consent, privacy, health, safety, etc. It was suggested that the order passed by a judge should be proportionate to the seriousness of an alleged offence as well as the level of vulnerability of CCL. It was advised that various circumstances must be taken into account for preliminary assessment such as family, school, peer groups, child labour, substance abuse, etc. The case of *Mumtaz Ahmed Nasir Khan v. The State of Maharashtraand Anr* was discussed at length which emphasized four aspects i.e. physical capacity, mental ability, understanding and circumstances and it was reiterated that all the four aspects are very crucial to determine the case under Section 15 of the Act. It was also highlighted by the court that the explanation to Section 15 of the Act clarifies that the preliminary assessment is not a trial; it is an exercise to assess the child's capacity to commit and understand the consequences of the alleged offence.

It was highlighted that the whole endeavour of the Juvenile Justice Act is to save the child in conflict with the law from the path of self-destruction and being a menace to society. The Act is reformative and not retributive. It was suggested that JJB must keep a close vigil on all the functionaries of the system to provide complete justice to the CCL and that the Individual Care Plan (ICP) should be dynamic encompassing the health, psychological, educational, protection and other needs of CCL. Lastly, it was asserted that every child in conflict with the law is also a child in need of care and protection. We need to look at every child from a larger perspective.

P-1195: East Zone I Regional Conference on Optimizing Quality and Efficiency in Justice Delivery: Challenges & Opportunities: 21-22 December, 2019

The East Zone I regional conference was conducted in collaboration with the Orissa High Court and the Odisha Judicial Academy at Cuttack.

Discussions during the conference stressed that all courts irrespective of hierarchy are constitutional courts and the district judiciary needs to apply principles enshrined in the Constitution to extend economic and social justice to the people as envisaged by the framers. On 'enhancing access to justice through effective use of ICT', it was suggested that courts must attempt to migrate from physical proceedings to virtual proceedings in order to reduce hardship to litigants. The participant judges reflected on measures to make court administration more efficient such as by electronic filing, competent staff selection and ideological shift to achieve the object of the E-courts project. The introduction of paperless courts, e-kiosks, video conferencing and digitization of court records was discussed in detail. Use of artificial intelligence in courts and was mooted as the way forward.

P - 1196: Refresher Course for POCSO Courts: 03- 05 January, 2020

The refresher course facilitated discussion on issues related to recording and appreciation of evidence, presumption and burden of proof under POCSO Act, age determination, and rehabilitation and compensation for child victims of sexual offences. The course also provided a platform to POCSO court judges to share experiences, insights and suggestions on issues concerning POCSO adjudication. The discussion highlighted the need of child friendly atmosphere as well as child friendly court procedures. The importance of child testimony and methods to make a child open to give testimony was discussed. Thereafter, the need to understand child psychology by a judge was stressed upon. Alongside, significance of determination of age of victim as well as perpetrator was highlighted. It was pointed out that Sec. 34 of POCSO Act gives power to Special Court to determine age, but neither POCSO Act nor Rules thereunder prescribe any procedure to be followed for age determination. In this regard the case of *Jarnail Singh vs. State of Haryana [(2013) 7 SCC 263]*that lays down the procedure in Juvenile Justice Act and Juvenile Justice Rules which should be followed by Special Courts under POCSO Act to determine the age of victim and perpetrator was discussed. Concepts like reverse burden of proof and the rationale behind was explained. Various presumptions under the Act were discussed in detail with the help of relevant case laws. Special features of POCSO Act 2018 Amendments were also discussed in great detail. Importance of rehabilitation of victim and victim compensation scheme was discussed.

P-1197: Workshop for High Court Justices on the Regime of Goods and Services Tax: (4 – 5 January, 2020

The workshop discussed the scope of powers of the High Court to review decisions of the GST Council. The challenges in the methodology and procedure for determination of anti-profiteering were dwelt on. The lack of a definition of the term anti-profiteering was identified as a crucial challenge in determination of the same. It was indicated that GST would not be applicable to arrangements that are not for business purposes or are personal nature involving supply of goods. The taxability of supply made without consideration was discussed. It was opined that the term 'supply' as defined in the GST Act was very wide and would be subject to much interpretation, potentially giving rise to litigation.

While discussing concepts of mixed supply and composite supply it was highlighted that the rate of tax applicable to the principal supply would be the rate of tax for the entire supply in a composite supply; while the item in the supply which attracts the highest rate of tax would be the rate of tax for the entire supply. It was stated that the recipient of the supply is absent from the definition of the term 'supply' in Section 7 of the CGST Act and the issue would potentially arise with regard to taxability of supplies made to self. The provisions relating to matching, reversal and reclaim of input tax credit and output tax credit and annual return were discussed.

P-1198: Workshop for Additional District Judges: January 10-12, 2020

The workshop included discussions on critical areas concerning adjudication at the District level. The sessions involved deliberations on issues related to challenges in implementation of the ADR system; Role of Judges in Court and Case Management; Electronic Evidence; Cybercrime; Issues relating to sentencing; and best practices for Fair Sessions Trial. On court and case management it was highlighted that Civil Procedure Code must be followed religiously during the trial process to facilitate speedy disposal and to make efficient use of CIS 3.0. On Civil Justice Administration, the case of *Madhukar vs. Sangram* AIR 2001 SC 2171 was cited to reiterate that a judgment of an Appellate Court must record findings issue-wise backed by reasons. During the session on Fair Sessions Trial it was emphasized that at the stage of framing charges, a judge must try to ensure that the scrutiny is fair. Various factors which a judge must reflect upon with regard to sentencing such as; manner in which offence was committed (objective), nature of offence, the aggravating and mitigating circumstances (subjective) etc. were discussed in detail. The discussion further highlighted challenges faced from social media platforms and by law enforcement regarding - detection of crimes, non-corporation from ISPs and MNCs, anonymity, and shortage of staff, infrastructure.

P-1199: National Orientation Programme for Junior Division Judges: 10 – 16January, 2020

The programme exemplified that although the Constitution of India assures "equal access to justice", but perhaps the quality of legal aid is often not equitable or indiscriminate. The two concepts of equality i.e. formal equality and proportional equality were explained. The oxymoron concept of being an "honest judge" was pulverized by clearly establishing that honesty and integrity are cardinal values inherent to judgeship. It was urged that a judge must watch-out for insidious infestation of personal prejudices in one's judicial role as the same propels sabotage of justice delivery. Detailed approaches to law relating to "literal" and "purposive" interpretation were discussed. The immaculate role of a judge in balancing conflicting interests in a socio-economic set-up was discussed. Impact of extraneous factors in interpretation was discussed in the light of recent case law jurisprudence. The advent and adoption of ICT by the courts in India with special focus on achievements of Phase I and II of the e-Courts project set the course of discussion. Transformation of a conventionally functional "paper based" court to a completely "paper less court" with its significant advantages was discussed. The deliberation on *ADR and Plea Bargaining* suggested that ADR serves as an alternative to the conventional civil and criminal judicial process that provides resolution generally in a win-lose model. Mediation was argued to be a preferred ADR. It was explained that electronic evidence by nature is intangible, mutable and fragile rendering it sufficiently susceptible. Therefore, it was suggested that the standard of proof in case of electronic evidence must be higher than those of regular documentary evidences. Credence of forensic evidence was underscored in cases of heinous crimes *viz.* Terrorist activities, sexual abuse against women and children etc. It was

suggested that in criminal trials charge is the foundation of indictment therefore lots of care must be taken to see that it is accurately framed.

It was emphasized that there are many provisions in the law, which confers wide powers to the subordinate judiciary, and that the same could be considered in judging and judgment writing for making them more effective and efficient. A reference was made to Articles 21, 22, and 23 of the Constitution pertaining to fair trial which were discussed in depth. The concept of gender justice was examined through the trilogy of words- Apathy, Sympathy, and Empathy. During the discourse on *Occupational Stress in Judges* it was clarified that, strategies to manage stress in the same sets of situations may differ from person to person which is primarily based upon the social and cultural background of an individual. The signs and symptoms of stress which one might face in any of the four dimensions- Emotional, Physical, Behavioural, and Cognitive was elucidated. It was suggested that emotions of guilt, sadness, anger, hostility, hate, resentment, jealousy should be openly discussed with close ones, as they serve to be one of the best way to manage occupational stress.

P - 1200: Refresher Course for Commercial Courts: 17- 19 January, 2020

The refresher course provided an in-depth understanding of Commercial Courts Act 2018. The course discussed policy framework and operative challenges, Joint Venture Agreements: definition, disputes & resolution, regulatory framework of Insurance & Re-Insurance in India, IPR disputes relating copyright and patent, trademarks and design, Commercial Courts *vis-à-vis* Arbitration, construction and infrastructure contracts and adjudication of disputes under the Act.

Object and scope of joint venture, role and contribution of joint venture partners, funding/issuance of capital, financial arrangements, composition of board/governing body, management of joint venture – appointment of CEO/MD, distribution of profits among joint venture partners, transferability of shares and deadlock resolution were discussed. It was stressed that partnership firm and trust comes under 'unincorporated' joint venture; whereas private limited companies, public limited companies and limited liability Partnerships are incorporated forms of joint venture. It was emphasized that main disputes in joint ventures are of transferability of shares. Legal Aspects of re-insurance contracts and the extant IRDAI regulations governing reinsurance business were discussed. It was stated that reinsurance is a 'contract of Insurance'. It was suggested that the dispute between insurer and reinsurer should be settled quickly and preferably without resorting to legal proceedings.

It was emphasised that while reading a patent claim the court must not take into account disclosures of techniques and products that are already used in the industry. It was suggested that a patent specification must be given a purposive construction, rather than a pure literal one. Grounds for invalidation of patent and mediation in IPR formed part of the discourse. It was suggested that arbitration as an important alternative dispute resolution process should be encouraged because of the high pendency of cases in courts and cost of litigation. It was stressed that The Commercial Courts Act, 2015 seeks to radically re-organize the way in which commercial disputes are adjudicated by the courts in India. Challenges that stand between the achievements of objectives contemplated by the Commercial Courts Act with regard to the adjudication of commercial disputes and strategies to overcome these hurdles were discussed.

P-1201: Workshop for Newly Elevated High Court Justices: 18th and 19th January, 2020

The workshop commenced by highlighting that the judiciary should strive to maintain public trust and confidence in the justice system. The potential impact of artificial intelligence on the legal profession and administration of justice was deliberated upon. The discussion further specified that it is imperative for stakeholders in the justice delivery system to be prepared and adaptive for future changes. It was opined that human sensibilities and understanding of social realities and discretion are important and can never be replaced by machines. The usage of technology should aid and not replace the judge. It was suggested that Rules Committee and E-Committee of each High Court should meet and make required changes in those Rules which are not in consonance with technological advancements for the reason that most of the existing rules are obsolete in nature. It was suggested that anger due to any action of the advocate should be set aside during adjudication since it would adversely affect the outcome of the case and the litigant. The judge should have control over the submissions when the counsel becomes repetitive or irrelevant. Lastly, a judge should devise innovative ways as per their convenience for making the process of hearing effective.

P-1202: Seminar for Principal District and Sessions Judges: 31 -01 February, 2020

The seminar commenced by highlighting that access to justice is the ability of the people to seek and obtain a remedy through justice delivery system for grievances in compliance with human rights standards. Justice has different connotations to different people. Emphasis was placed on the Preamble, Article 38(1), Article 39 A of the Constitution and the right to free legal aid while discussing *Kahtri II vs State of Bihar (1981) 1 SCC 627.* It was submitted that the rule of law, independence of the judiciary and access to justice are conceptually interwoven. With the advent of information and communication technology, expectations of stakeholders in the justice system has been enhanced and therefore there is a constant need to improve the functionality of courts.

It was emphasized that to become an ideal legal system, a balance between victim and accused should be maintained and this can be achieved by following the basic fundamental principle i.e. *Audi Alteram Partem* and Presumption of Innocence. Lastly, it was accentuated that justice should neither be delayed nor hurried rather it should be timely.

P-1203: South Zone-I Regional Conference on Optimizing Quality and Efficiency in Justice Delivery: Challenges & Opportunities: 1-2 February, 2020

The Conference was conducted in collaboration with the High Court for the State of Telangana and the Telangana State Judicial Academy The conference commenced by accentuating important areas within the frame of constitution such as the core of constitunalism, constitutional values, basic structure doctrine, separation of powers and rule of law. It was stressed that the provisions of law must be interpreted in such a way that sanctity of the Constitution remains intact.

The discussion further deliberated on disruptive innovation, hyper loop and social networking vis-a-vis traditional social relations. On Cadre Management in District Judiciary, the importance of cadre management through appointment, promotion and service condition was highlighted. Reference was made to Articles 233 and 234 of the Constitution which accords power to the High Court in matters of

appointment to the district judiciary. The existing judicial service recruitment process was deliberated upon by identifying competitive examination and direct recruitment as an existing and methods of requirement.

On Fiscal and Budgetary Planning for District Judiciary, major categories of budget including revenue and expenditure were highlighted. The common principle of budget reform was discussed whereby, improvement of government's planning and reporting framework along with budgetary negotiations was discussed. The need for coordination between different executive departments & judicial functionaries for efficient fiscal and budgetary planning was highlighted. Further, discussion emphasized that integration with treasuries and account offices must be correlated in order to get information regarding actual expenditure.

P-1204: Refresher Course For Money Laundering Courts: 7-9 February, 2020

The refresher course for courts designated under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (*hereinafter,*PMLA) assessed the working of PMLA courts, identified bottlenecks encountered in adjudicating cases and discussed on evolving strategies for resolving such bottlenecks and challenges. In the discussion on *Money Laundering as an Economic Offence* the concept of 'terror financing', legal and illegal sources of funds, main players, sources and processes of transferring funds were discussed. While discussing the role of special courts under PMLA money laundering was emphasized as a continuing and dynamic offence which continues till confiscation of property. The powers of the investigating officer under Section 50 of the PMLA was also discussed. The need for streamlined processes in the PMLA cases was stressed upon. The value of the evidence of hostile witnesses was also analysed.

The meaning of evidence, the principles of relevancy, admissibility and appreciation of evidence were discussed. The admissibility of statement recorded before the authorized officer under Section 50 of the PMLA was discussed.

The power to arrest and pre-requisites for the same under Section 19 of the PMLA were discussed. In discussion on the *Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEO Act)* jurisdiction and powers of the PMLA courts, and standard of proof under FEO Act was discussed. In discussion on *Cross-Border Money Laundering* applicability of Section 209 CrPC to PMLA cases was discussed. The presumption under Section 23 of the PMLA with regard to interconnected transactions was also discussed.

P- 1205: Workshop for High Court Justices on Arbitration Including International Arbitration: 8-9 February, 2020

The workshop facilitated discussions on various modules such as the Scheme of Arbitration & Conciliation Act: Towards a Model Dispute Resolution Regime; Jurisdictional Challenges: Balancing the role of Court and Arbitral Tribunal; and Recognition & Enforcement of Domestic & Foreign Arbitral Awards. The workshop also covered deliberations on current and emerging trends in domestic and international arbitration like third party funding and emergency arbitration. The discussion identified challenges and evolved optimal solutions/strategies to effectuate qualitative justice delivery. The discussion on 2019 amendments in the Act and the shift in regime from ad hoc to institutional arbitration in India was highlighted. While discussing jurisdictional challenges the scope of tribunal's jurisdiction, invalid or non-binding arbitration agreement and excess of authority were discussed. The workshop threw light upon

procedure for enforcement of award under Part I and Part II of the Act, construction & interpretation of the term 'Public Policy', limitation period for enforcement of an award and issues & challenges involved in enforcement. The concept of third party funding and expert witness was dealt with, in detail whereby, it was pointed out that that third party funding is neither recognized nor barred. Various landmark judgments were referred during the course of discussion such as *Brahmani River Pellets Limited vs. Kamachi Industries Limited*, 2019 SCC OnLine SC 929, *Emkay Global Financial Services Ltd. vs. Girdhar Sondhi* 2018 (9) SCC 49, *M/s.Canara Nidhi Limited vs. M. Shashikala & Ors.* 2019 SCC OnLine SC 1244, *United India Insurance Company Limited vs. Eastern Bulk Company Limited* 2019 SCC OnLine Bom 1404, *Booz Allen Hamilton vs. SBI Home Finance* (2011) 5 SCC 532 etc.

SE-04: Seminar for Members of the Income Tax Appellate Tribunal: 11- 13 February, 2020

The seminar provided a forum for the members to discuss and examine the constitutional and statutory mandate of ITATs; adjudicatory challenges and solutions to bottlenecks in its effective functioning. The seminar also provided a perspective on emerging issues in tax law by engaging participants in discussions on evolving jurisprudence in tax laws; seminal rules of interpretation; and evidentiary standards in tax laws. Moreover, the sessions included discussions on methods for court and case management and theory of precedent.

The speaker elaborated upon the allocation of legislative power of the Centre and the States by focusing upon Article 246 and Seventh Schedule of the Constitution of India. It was stated that the members of ITAT's should be neutral and should treat State and taxpayer equally. The members were also advised that they should maintain professionalism while adjudicating cases and should apply law according to the letter of the law. Further, it was suggested that cases must be decided with utmost care, precaution and responsibility. It was opined that the judgment should not be affected by prejudices, emotions, habits and deep convictions of the adjudicator. Moreover the ITAT benches should maintain judicial discipline and should follow the judgments of the larger bench. It was suggested that the members of the tribunal should undertake management of their docket so that the simple cases are dealt within a particular timeframe. It was also advised that ICT should be incorporated in the ITAT for enhancing productivity and curtail wastage of time. It was recommended that judges could try to streamline and reduce issues and complexity of cases. The judges were advised to carefully sift through the evidence enabling them to adjudicate effectively. Further it was opined that the court should interpret international treaties according to the following precedence i.e. definition, context of the word and the views of the contracting parties. It was also stated that preamble of the treaty should be relied upon only in situations wherein the provision is ambiguous.

SE-09: Seminar for Foreign Judges [Bangladesh]:14-20 February, 2020

The seminar involved deliberations on the emerging issues in the field of the constitutional law, principles of law relating to evidence in civil and criminal matters, judicial skills, human rights and information communication technology in courts. Efforts were made to find a common ground in the constitutional jurisprudence of different countries and to share 'best practices.'

The session on *judicial ethics* discussed that, jurisprudentially, the source of judicial power is the Constitution, however, pragmatically, public acceptance of the authority of judiciary and integrity of

judicial officers are the fountainhead of judicial power. The six core values of the judges enshrined in the Bangalore Principles of Judicial Conduct was also discussed. It was suggested that expressions like 'it seems' or 'it appears' should be avoided in judgments as they show an element of uncertainty and judgments should be concise, precise and unambigious. The discussion futher emphasized upon the fixing of similar class of cases together, maintaining proper dockets/case diaries, following case flow rules, monitoring of pendency and disposal and monitoring unnecessary delay. Further, the human resource issues that affect court management were identified and solutions were discussed.

It was observed that the rule of presumption stipulates that courts may or shall draw a particular inference from a particular fact or evidence, unless and until if so permitted the truth of such inference is rebutted. The highlighted advantages of DNA over conventional investigative methods. It was emphasized that DNA evidence is reliable, scientific and unbiased, however, the judges were cautioned that callous attitude of expert while collecting and storing samples, blood tests done cursorily fails forensic science and the reliability of evidence.

It was stressed that it is a duty of a judge to ensure that investigation is conducted adhering to statutory law, guidelines of the apex court and international customary law. The discussion also elaborated several innovative ways to streamline working of courts and emphasized the need for a comprehensive policy on equipping courts with technologically advanced infrastructural edifice. It was suggested that courts need technological innovations like digitization of old records, use of video conferencing for examination of witnesses, artificial intelligence and creating an atmosphere in courts which is in line with the changing needs of the society.

Further, it was emphasized that precedents play an important role in ensuring stability, consistency and legitimate expectations from the justice delivery system. In the concluding session landmark judgments of India were discussed, and deliberations were made on the concept of judicial review with relevant case laws.

P-1206: National Convention for Senior High Court Justices: Strengthening Fiscal and Administrative Protocols in High Courts: 15 - 16 February, 2020

The National Convention was organised at the Academy for the first time. It sought to sensitize prospective Chief Justices of High Courts to the non-judicial functions associated with the office. The Convention discussed critical areas concerning administrative responsibilities and functions of Chief Justices of High Courts, especially in areas of "Administrative Protocols" and the intricacies and nuances of "Fiscal Management and Functionalities" through deliberations enabling garnering of best practices therein. For operational conveniences the 25 High Courts were split into two groups of 12 and 13 High Courts. The first group of 12 High Courts represented by 26 nominated justices (J1 - J3) participated in the convention.

The session on *Chief Justice of the High Court* deliberated upon three important areas *viz.* Office of Chief Justice (assumption, functioning and administration); Collegium system & General Administration of a High Court by Chief Justice. In the session *Chief Justice* focus was placed on tactical aspects of the role of an incumbent Chief Justice. The importance of evolving "standard operating procedures" to draw in intra-court operational rigours was discussed. The intrinsic role of the Chief Justice to develop core competencies in the administrative side of the High Court and to develop and agenda based functioning of the High Court especially in the "Full Court" and the various Committee meetings was insisted. During the session on *Pre*

Budget Planning & Travaux Préparatoires best practices of budget preparation and the commonly encountered fault lines were discussed. It was pointed out that the National Court Management System Committee (NCMSC) policy document exclusively commented about the rather rudimentary and archaic processes adopted by High Courts in preparation of budgets. A critical analysis of the failure modes were discussed including, a) significant amount of unutilized surrenders, b) Top-down approach of budget formulation, c) an *adhoc* and flat mechanical increase in the last years' budget *viz.*~ 15% in addition to, d) extremely poor accountability, monitoring and reporting of utilization, e) constrained implementation of various schemes etc. Furthermore, the session on *Budgeting: Issues & Challenges* discussed elements of a good budget system. It was emphasized that driving judicial reforms is long overdue. A few initiatives which the Chief Justice may oversee to ensure fiscal and overall administrative rigor may include: In-house capacity building with respect to finance and planning, procurement, and information systems; Contracting out / Out-sourcing routine, procedural tasks and; a separate agency accountable to the judiciary. An agency to support the judiciary in the administrative functions, reporting to the CJs. Administration (Finance, Procurement, and Systems) should be geared towards linking inputs to output and outcomes.

P-1207: Orientation Programme for Junior Division Judges : 21-27 February, 2020

The session on *Constitutional Vision of Justice* emphasized that the judiciary is endowed with the responsibility to interpret the constitution and this interpretation is not only restricted to writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts but also to the district judiciary. While discussing the *Role of Courts in a Constitutional Democracy and Adherence to Core Judicial Values* it was accentuated that the judiciary needs to apply the law according to the social and economic scenario. Law encompasses a lot of transgressions and the purpose of courts is to remove those anomalies. The session on *Discovering Current Judicial Methods emphasized* need for judges to discover how contemporary judicial methods help in reaching justice. In the session *Courtroom Technology: Use of ICT in Courts* several allied best practices that have enhanced the court systems were discussed. The deliberation further stressed that the ambit of case management is both procedural and substantive and therefore requires infrastructural sensitivity. While discussing *ADR and Plea Bargaining* participants were suggested to have an attitudinal change while looking into matters before them and must always remembers that courts should not be the place where resolution of disputes begin rather courts should be the place where alternative methods of resolving disputes have been considered and tried. Further, the session on *Law relating to Cyber Crimes: Advances and Bottlenecks* emphasized that in contemporary times it is inevitable for judges to have basic knowhow with respect to the law relating to cybercrimes and related procedures. The discourse on *Electronic Evidence: Collection, Preservation and Appreciation* significantly discussed admissibility of electronic evidence and Section 65 (B) of the Indian Evidence Act 1872. The discussion further highlighted the significance of forensic medicine and forensic science for aiding judges in reaching at an accurate decision.

On *Judging Skills and art of drafting judgements,* and discussion suggested that language of the judgement must be simple, must not be vague, irrelevant precedents or irrelevant quotations from arguments must be avoided. A judicial officer must possess judicial and administrative skills to manage adjournments, interlocutory proceedings, witnesses and counsels and ensure fair trial and judicial ethics. On topic *Art of Hearing, it was* emphasized that as a judge active listening is significant and it becomes crucial during recording of evidences to check on scandalous and annoying question asked by advocates. The session on *Role of Courts in securing Gender Justice* elaborated best practices and innovative ideas in making courts women and children friendly. The discussion on *Law of Precedents* highlighted issues relating to

inconsistencies in precedents. With respect to occupational stress in judges and techniques to manage the same it was accentuated that slowing down one's autonomic nervous system is a cardinal way to reduce stress.

P-1208: Workshop for Additional District Judges: 21 - 23 February, 2020

The workshop commenced by discussing issues involved in *fair sessions trials* along with various judgements of the Supreme Court of India. The discussion focused on role of Sessions court judges in ensuring fair trial at every stage. The right of accused person to get free legal aid was also discussed. Various judgments related to revision and appeal were discussed. It was emphasized that revision can be converted into appeal, but appeal cannot be converted into revision because appeal is a statutory right of the appellant and hence converting appeal into a revision would violate rights of the appellant.

Thereafter, various theories of punishment were discussed and key factors that need to be considered while deciding a sentence including nature of offence, gravity of offence, criminal antecedents of the accused, scope of reformation, impact on the society and cruelty with which the crime was committed were highlighted. The role of judges in persuading the parties to go for ADR where the matter is fit for the same and parties should be made aware of the potential benefits of the same was discussed. Different aspects of management in court including judicial commitment and leadership, court supervision of case progress, listing for credible dates and strict control of adjournment by imposing costs were discussed. It was elucidated that first appeal is provided by statute and is essentially a substantive right which can be exercised only against the decree, or appealable orders and not merely against an adverse finding. The issue of admitting additional evidence during appeal was also discussed. Various issues relating to revision and Section 115 of the Code of Civil Procedure was discussed in detail.

Furthermore, procedures to be followed for the collection of digital evidence including pre investigation assessment, evaluation of scene of crime, collection of physical evidence, precaution for collecting digital evidence, collection of digital evidence, forensic duplication, seizure of digital evidence, packaging, labeling and transportation, legal Procedure after seizure and gathering information from various agencies were discussed.

P-1209: West Zone-II: Regional Conference on Optimizing Quality and Efficiency in Justice Delivery: Challenges & Opportunities, 29 February- 01March 2020

The conference was organized in collaboration with High Court of Bombay and Maharashtra Judicial Academy, Uttan-Thane. The conference accentuated experiences of familial community between High Courts and Subordinate Court judges, besides revisiting established and imperative norms of the constitutional vision of justice and the role of a judge in a democracy. The conference had special emphasis on themes relating to access to justice including information and communication technology in courts; courts and case management; and critical administrative issues.

It was emphasized that whenever a subordinate court judge decides a case ultimate test to be applied by him should be whether what he is doing is constitutionally permissible or not. The issues and challenges posed by artificial intelligence and its impact on court system was highlighted. Artificial intelligence is going to have a greater impact on our daily lives and we should be prepared to cope up with the new

technology remained the focus of discussion. With respect to Cadre Management in District Judiciary: Recruitment Process & aptitude Test (Keep entire paragraph) the idea of All India Judicial Service (AIJS) and its feasibility was discussed. It was highlighted that there is definitely some gap in communication between judiciary and executive and therefore, there is a need to have better communication between executive and judiciary about the infrastructure and budgeting.

6. Programme Evaluation Reports

August 2019

S.No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
1	**P-1163**	**40:39**	90.26	9.74	0.00	87.79	12.21	0.00	87.88	12.13	0.00	96.60	3.40	95.67	4.34	93.93	6.07	0.00	86.82	13.18	0.00
2	**SE-01**	**40:40**	68.00	32.00	0.00	67.88	32.12	0.00	53.75	46.25	0.00	59.30	40.70	65.86	34.14	77.85	22.15	0.00	86.75	13.25	0.00
3	**P-1164**	**37:37**	86.90	10.94	2.16	74.54	23.73	1.74	81.79	17.20	1.01	93.47	6.53	95.87	4.13	92.69	7.31	0.00	97.29	2.72	0.00

September 2019

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
4	**P-1165**	**42:41**	95.12	4.88	0.00	76.17	19.64	4.18	87.82	11.50	0.68	94.72	5.28	97.31	2.70	86.99	13.01	0.00	79.30	19.02	1.69
5	**P-1166**	**37:37**	90.52	9.48	0.00	78.10	21.90	0.00	85.10	14.90	0.00	86.66	13.34	92.11	7.90	96.29	3.71	0.00	90.28	9.26	0.46
6	**P-1167**	**38:34**	84.12	15.88	0.00	59.31	36.13	4.56	79.92	17.59	2.50	82.62	17.38	93.24	6.76	94.03	5.97	0.00	74.87	24.09	1.04
7	**P-1168**	**31:31**	92.90	7.10	0.00	72.42	27.58	0.00	77.42	22.58	0.00	90.79	9.21	85.73	14.27	89.47	10.53	0.00	88.78	10.67	0.56
8	**P-1170**	**38:37**	85.28	14.72	0.00	87.54	12.46	0.00	80.62	19.38	0.00	89.90	10.10	93.09	6.91	87.96	11.11	0.93	85.60	13.94	0.46
9	**P-1171**	**28:28**	72.92	27.08	0.00	64.30	34.79	0.91	60.38	36.24	3.37	84.14	15.86	83.61	16.39	72.15	27.85	0.00	81.12	18.29	0.60

October 2019

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
10	**P-1172**	**35:35**	89.86	10.14	0.00	79.55	19.84	0.61	74.27	24.46	1.33	84.07	15.93	88.33	11.67	90.11	9.89	0.00	76.11	22.94	0.95
11	**P-1173**	**14:13**	64.62	35.38	0.00	51.33	43.22	5.45	56.41	43.59	0.00	59.30	40.70	56.77	43.23	43.59	56.08	0.00	88.46	8.97	2.56
12	**SE-03**	**18:18**	88.89	10.00	1.11	68.47	29.03	2.50	60.08	31.85	8.08	81.69	18.32	85.36	14.64	90.52	9.48	0.00	82.54	17.46	0.00
13	**P-1174**	**21:17**	75.83	24.17	0.00	63.79	34.87	1.33	87.78	12.23	0.00	92.94	7.06	95.71	4.29	78.43	21.57	0.00	89.65	8.27	2.08
14	**P-1175 to P-1184**	**43:43**	87.44	12.56	0.00	61.87	34.89	3.24	78.30	21.02	0.68	93.72	6.28	93.50	6.50	85.10	14.90	0.00	87.20	12.80	0.00
15	**P-1185**	**105:78**	88.16	11.84	0.00	74.39	24.51	1.10	86.79	13.21	0.00	89.54	10.46	91.75	8.25	83.10	16.90	0.00	91.55	7.11	1.34

November 2019

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
16	**SE-05**	**39:38**	88.95	11.05	0.00	76.84	23.16	0.00	77.79	22.21	0.00	82.88	17.12	82.67	17.33	89.48	10.52	0.00	97.32	2.68	0.00
17	**P-1186**	**24:17**	72.17	27.83	0.00	64.46	35.54	0.00	73.43	26.57	0.00	79.56	20.44	78.03	21.97	83.06	16.94	0.00	80.14	18.82	1.04
18	**P-1187**	**39:39**	87.69	12.31	0.00	83.26	16.21	0.53	84.59	15.41	0.00	94.53	5.47	93.89	6.11	86.67	13.33	0.00	82.57	16.12	1.32
19	**P-1188**	**39:39**	87.67	11.82	0.51	76.47	22.96	0.57	81.28	16.92	1.80	85.87	14.13	82.58	17.42	94.51	5.49	0.00	84.91	14.22	0.88
20	**P-1189**	**39:39**	93.29	6.71	0.00	84.10	15.90	0.00	86.62	13.38	0.00	92.40	7.60	94.67	5.33	94.83	5.17	0.00	88.83	10.75	0.43
21	**P-1190**	**39:38**	95.68	3.78	0.54	79.21	20.12	0.67	81.27	18.73	0.00	79.85	20.15	95.75	4.26	92.48	7.52	0.00	80.74	18.83	0.44
22	**SE-02**	**29:28**	94.90	5.10	0.00	82.19	16.21	1.60	85.49	14.51	0.00	90.49	9.51	88.96	11.04	96.30	3.70	0.00	90.48	9.52	0.00
23	**P-1191**	**33:31**	81.16	18.84	0.00	73.55	26.45	0.00	79.32	18.68	2.00	81.72	18.28	82.00	18.00	88.17	11.83	0.00	91.42	7.38	1.21
24	**P-1192**	**133:109**	75.35	24.10	0.55	58.24	38.83	2.93	54.89	41.17	3.94	76.19	23.81	84.84	15.16	76.15	23.22	0.62	85.81	8.84	0.36

December 2019

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
25	**P-1193**	**33:31**	92.26	7.74	0.00	69.07	30.19	0.74	76.85	23.15	0.00	90.65	9.35	89.35	10.65	93.10	6.90	0.00	86.25	13.75	0.00
26	**SE-07**	**40:39**	88.72	11.28	0.00	89.94	10.06	0.00	80.18	19.82	0.00	83.87	16.13	87.48	12.52	88.68	11.32	0.00	87.31	12.69	0.00
27	**P-1194**	**42:42**	90.63	9.37	0.00	77.50	20.96	1.54	82.54	16.41	1.05	87.19	12.81	91.77	8.23	90.24	9.76	0.00	90.42	8.76	0.81
28	**P-1195**	**105:96**	81.22	18.36	0.42	73.60	24.96	1.43	58.91	38.82	2.26	73.96	26.04	80.19	19.81	82.07	17.93	0.00	76.30	21.14	2.56

January 2020

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
29	**P-1196**	**36:33**	92.73	7.27	0.00	80.38	18.28	1.33	89.84	9.42	0.74	96.57	3.43	95.33	4.67	95.87	4.13	0.00	81.04	18.44	0.52
30	**P-1197**	**23:21**	69.48	30.52	0.00	54.18	44.65	1.18	71.43	25.40	3.18	67.00	33.00	71.80	28.20	73.68	26.32	0.00	88.77	11.23	0.00
31	**P-1198**	**41:41**	85.36	14.15	0.49	73.70	25.28	1.02	70.78	27.90	1.32	86.08	13.92	88.40	11.60	92.60	7.40	0.00	83.54	16.06	0.41
32	**P-1199**	**35:35**	89.14	10.86	0.00	86.04	13.96	0.00	87.59	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28	6.72	0.00	85.94	14.06	0.00
33	**P-1200**	**33:33**	91.87	8.13	0.00	78.61	20.71	0.64	80.66	18.23	1.11	86.49	13.51	83.12	16.88	94.15	5.85	0.00	86.43	13.57	0.00
34	**P-1201**	**24:22**	81.82	18.18	0.00	66.95	32.00	1.05	79.80	18.61	1.59	79.09	20.91	93.75	6.25	68.18	31.82	0.00	92.20	7.00	0.79
35	**P-1202**	**40:40**	83.78	16.22	0.00	72.40	25.60	2.00	70.11	26.76	3.13	86.24	13.76	87.53	12.47	72.03	26.28	1.69	75.41	21.56	3.03

February 2020

S. No.	Prog. No.	No. of Participants & No. of Feedback forms	Percentage of satisfaction of trainee participants on																		
			Over all			Knowledge			Structure of the Programme			Session wise vetting				Programme Materials			Hospitality		
												Discussions in individual sessions were effectively organized		The Session theme was adequately addressed by the Resource Persons							
			To a great extent	To some extent	Not at all	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Unsatisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	Effective and Useful	Satisfactory	To a great extent	To some extent	Not at all	Good	Satisfactory	Poor
36	**P-1203**	**132:103**	84.06	15.34	0.60	75.79	23.45	0.77	70.18	28.06	1.76	90.95	9.05	90.11	9.89	89.73	10.27	0.00	95.16	4.68	0.16
37	**P-1204**	**24:24**	85.69	13.48	0.83	68.22	30.94	0.83	66.67	33.33	0.00	82.64	17.36	87.54	12.46	71.68	28.32	0.00	78.91	19.70	1.39
38	**P-1205**	**24:21**	77.86	22.14	0.00	59.77	36.02	4.21	64.84	33.85	1.32	70.43	29.57	60.50	39.50	81.15	18.85	0.00	78.00	20.00	2.00
39	**SE-04**	**31:28**	77.70	21.59	0.71	75.73	22.79	1.48	65.78	30.62	3.60	76.83	23.17	71.51	28.49	72.62	26.19	1.19	86.61	13.39	0.00
40	**SE-09**	**40:40**	95.00	5.00	0.00	89.91	10.09	0.00	88.12	11.03	0.85	92.03	7.97	96.68	3.32	94.02	5.98	0.00	95.81	4.19	0.00
41	**P-1206**	**26:22**	71.82	28.18	0.00	51.51	44.21	4.29	60.43	35.83	3.73	64.62	35.38	75.81	24.19	52.63	45.61	1.76	76.90	21.43	1.67
42	**P-1207**	**39:39**	84.19	15.38	0.43	65.71	32.26	2.03	76.95	22.43	0.62	86.90	13.10	90.94	9.06	74.27	25.29	0.44	89.21	9.42	1.38
43	**P-1208**	**37:37**	80.54	18.92	0.54	58.35	38.76	2.89	64.19	34.60	1.22	79.82	20.18	87.12	12.88	88.29	11.71	0.00	76.74	21.40	1.85
44	**P-1209**	**107:98**	77.08	22.72	0.20	61.51	34.50	3.99	70.56	27.48	1.96	84.25	15.75	84.13	15.87	74.31	25.34	0.35	64.21	26.21	9.58

7. Interships

The National Judicial Academy offers internship opportunities to young students from 5 year LLB programmes to be part of its various programmes and research work. These internships provide exposure to young legal minds and aid them comprehend contemporary concerns and challenges faced by judiciaries in India and abroad. It also offers them a platform to engage in discussion and dialogue with experts from various fields of law and related discipline. For the academic year 2019-2020 Session, 19 Students interned at NJA.

8. Global Presence

In the academic year 2019-2020, the National Judicial Academy conducted following progammes for judiciaries around the globe:

1. Three conferences were conducted for judges of different cadres from the Republic of Bangladesh on core judicial issues.
2. Two conferences of training of trainers for handling terrorism cases in coordination with Federal Judicial Centre, USA and CEELI Prague were conducted at NJA
3. A seminar was organized for Judges and Judicial Officers at the District and Township Level from Myanmar.

Apart from these abovementioned training activities, an official delegation of Judicial Service Commission, Maldives visited the National Judicial Academy. Subsequently, a Memorandum of Understanding (MoU) for training judges from Maldives Judiciary was signed by the Director, NJA and President, Judicial Service Commission Maldives.

9. Research &Publication

For the Academic Year 2019-2020, the NJA published Annual Report of the Academy for 2017-18, three Newsletters and 3523 copies of resource material for distribution to participating judges and the state judicial academies.

The National Judicial Academy undertook a research project from December 2018 to January 2020 titled *"An Analysis of Pendency of Cases in Family Courts of Madhya Pradesh and Methods to Reduce Pendency"*, under the Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms of the Department of Justice. The project was funded by Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India. The project did in-depth research covering areas on the overall functioning of Family Courts in the State of Madhya Pradesh; and identified institutional and capacity gaps causing delay in speedy dispensation of justice in family dispute matters. The research highlighted, how various democracies like the US, Australia, New Zealand and UK have improved upon their systems and proposes suggestions addressing core issues and challenges in family courts which can be made workable in the current scheme of Family Courts in Madhya Pradesh. The project further highlighted the importance of trained counselors and their role in resolving family disputes. The suggestions include some policy and procedural changes to reduce pendency not alone in Family Courts of Madhya Pradesh but a similar model may be implemented across States to address delay in similar specialized courts.

10. Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Judicial Academy, Bhopal for the year ended 31 March 2020.

We have audited the attached Balance Sheet of National Judicial Academy (NJA), Bhopal as at 31 March 2020, the Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2022-23. These financial statements are the responsibility of the Institute's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis of our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the NJA, Bhopal, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that: -

A. General

The Academy submitted the approved annual accounts for the year 2019-20 to the O/o DGA (CR) New Delhi, branch Gwalior in April 2021 after delay of nine months from the stipulated date of submission.

B. Grant-in-aid

During the year 2019-20, NJA received grant-in-aid of ₹ 15.00 crore[1]. Unspent balance of grant-in-aid in the previous year was ₹ 1.62 crore. The academy received ₹ 0.06 crore towards interest on capital grants-in-aid during the year. Out of total available funds of ₹ 16.68 crore, NJA utilized an amount of ₹ 15.00 crore leaving a balance amount of ₹ 1.68 crore as unutilized in grants-in-aid for construction of 20 residential flats.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, said financial statements read together with the Accounting policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

[1] (Recurring grant-in-aid-₹ 15.00 crore and Capital-Grant-in-Aid –₹ –Nil for construction of 20 residential flats)

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the National Judicial Academy, Bhopal as at 31 March 2020; and.

(b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Date:

Director General of Audit
(Central Receipts)

NJA_SAR_ 2019-20

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System:

Internal audit was conducted for the period upto 2019-20 by the Internal Audit Wing of office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Law & Justice New Delhi. However, no internal Audit Manual is in use due to no Internal Audit wing exists in the NJA. However, Academy stated that internal audit for the year 2019-20 was also conducted by Chartered Accountant Firm.

2. Adequacy of Internal Control System:

Internal control system was found inadequate due to

(i) The Academy does not have own Accounting Manuals, as the Academy follows GFR.

(ii) 17 paras of compliance audit conducted by this Office pertaining to the period from 04/2014 to 02/2019 were pending for remedial action.

3. System of physical Verification of fixed assets:

Physical verification of fixed assets was conducted during the year 2019-20. No discrepancy was noticed during audit.

4. System of Physical Verification of Inventories:

Physical verification of inventories was conducted during the year 2019-20. No discrepancy was noticed during audit.

5. Regularity in payment of statutory dues:

No irregularity was noticed in the payment of statutory dues.

14/09/2024

Sr. Audit Officer/AMG-II

NJA_SAR_2019-20

Annexure - 3 (ii)

11. Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor general of India on the accounts of the National Judicial Academy, Bhopal for the year ended 31st March, 2020.

Audit Para No.	Audit Observation	Action Taken/Reply to Audit observations
	General	
A.	The Academy submitted that approved annual accounts for the year 2019-20 to the O/o DGA (CR) New Delhi, branch Gwalior in April, 2021 after delay of nine months form the stipulated date of submission.	The Governing Council and General Body of the Academy approved the Annual Accounts of the Academy for 2019-20 at its meeting held on 08.04.2021. Thereafter, the Academy sent the Annual Accounts to the Office of the Director General Audit (Central Receipt), Branch Gwalior for conducting audit vide letter no. NJA/Annual Accounts/2019-20/230/ 1063 dated 21.04.2021.
B	**Grant-in-Aid**	
	During the year 2019-20, NJA received Grant-in-Aid of Rs.15.00 Crore. Unspent balance of Grant-in-Aid in the previous year was Rs.1.62 crore. The Academy received Rs.0.06 crore towards interest on capital Grant-in-Aid during the year. Out of total available fund of Rs.16.68 crore, NJA utilized an amount of Rs.15.00 crore leaving a balance of Rs.1.68 crore as unutilized in Grant-in-Aid for construction of 20 residential flats.	The interest earned on Grant-in-aid of Rs.6,31,499/- for the year 2019-20, was refunded to the Chief Controller of Account, Ministry of Law, Justice & Supreme Court of India and Ministry of Corporate Affairs, Internal Audit Wing, New Delhi vide cheque bearing no.355458 dated 10.11.2020.
	Annexure	
1	**Adequacy of Internal Audit System:**	
	Internal audit was conducted for the period up to 2019-20 by the Internal Audit Wing of office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Law & Justice New Delhi. However, no internal Audit Manual is in use due to no Internal Audit wing is exist in the NJA. However, Academy stated	Factual position

	that internal audit for the year 2019-20 was also conducted by Chartered Accountant Firm.	
2	**Adequacy of Internal Control System:**	
	Internal Control System was found inadequate due to; (i) The Academy does not have own Accounting Manuals, as the Academy follows GFR.	The Academy scrupulously follows the General Financial Rules, 2017 for day to day financial transactions.
	(ii) 17 Paras of compliance audit conducted by this office pertaining to the period from 04/2014 to 02/2019 were pending for remedial action.	The reply to the audit paras were already furnished to the O/o the Director General of Audit (Central Receipt), New Delhi, Branch- Gwalior, 4th Floor, Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002. In response, after considering the reply of the Academy, only 6 paras are outstanding as informed by the O/o the Director General of Audit (Central Receipt), New Delhi, Branch- Gwalior, 4th Floor, Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior vide letter bearing no. CEA/ AMG-III/ D-219 dated 01.10.2021. **(Annexure-3(ii)A)** Further, they informed that the verification of facts of 4 paras (out of outstanding 6 paras) by the ensuing audit. Further, the remaining 2 paras are as under; 1. One Audit para pertains to contribution under NPS in respect of Mr. D.S. Negi, Peon, the status is as under; (i) A proposal was furnished by the Academy to the Department of Justice in respect of Mr. D.S. Negi, Peon for implementation of NPS vide letter bearing no. NJA/Accounts/ NPS/DS NEGI/2021/112-A/1247 dated 31.05.2021. (ii) Further, as desired, the Academy furnished consent letter of the National Judicial Academy in prescribed format for implementation of New Pension Scheme (NPS) to the Department of Justice vide letter no. NJA/Accounts/ NPS/D S NEGI/ 2021/ 112-A/ 1347 dated 18.06.2021.

		(iii) In response, the registration of the Academy has already been made under NPS by the Central Recordkeeping Agency (CRA). (iv) Further, registration form for issuance of Permanent Retirement Account Number (PRAN) in favour of Mr. D.S. Negi, Peon has already been furnished. The PRAN is awaited. (v) As and when the PRAN is allotted, the funds available with NJA on account of NPS shall be transferred to the NPS account of Mr. Negi and monthly contributions will also be made by the Academy under NPS account. (vi) After completion of process, the reply of this para will be furnished to the O/o the Director General of Audit (Central Receipt), New Delhi, Branch- Gwalior, 4th Floor, Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior. The other para pertains to non submission of corporate Guarantee by the NBCC India Ltd. In this regard, a request has already been made to M/s NBCC India Ltd. for furnishing corporate Guarantee Rs.88.30 Lacs in favour of the National Judicial Academy.
3	**System of Physical Verification of Fixed Assets:**	
	Physical verification of fixed assets was conducted during the year 2019-20. No discrepancy was noticed during audit.	No Comments
4	**System of Physical Verification of Inventories:**	
	Physical verification of inventories was conducted during the year 2019-20. No discrepancy was noticed during audit.	No Comments
5	**Regularity in payment of statutory dues:**	
	No irregularity was noticed in the payment of statutory dues.	No Comments

Annexure- 3 (ii) (a)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर, म.प्र.–474 002
Office of the Director General of Audit (Central Receipt), New Delhi,
Br. Gwalior 4th Floor, Audit Bhawan, Jhansi Road Gwalior,
Madhya Pradesh.-474 002 (Phone: 0751-2321459,
(email id- brdgacrgwalior@cag.gov.in)

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक–CEA/AMG-III /D –219 दिनांक – 01/10/21

प्रति,

निदेशक,
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,
भदभदा रोड, पोस्ट सूरज नगर, भोपाल- 462044 (म.प्र.)

विषय:- लंबित कंडिकाओं पर अनुपालन प्रतिवेदन बावत् ।

सन्दर्भ:- (1) No. NJA/Accts/Audit/TRA/03/19/ to/ 20/226-II/1367 Dated 18.06.2021
(2) No. NJA/Accts/Audit/TRA/01-18 to 02-19/183/1390 Dated 24.06.2021
(3) No. NJA/Accts/Audit/TRA/2016-17/181-II/1387 Dated 24.06.2021

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र में प्रस्तुत उत्तर/ साक्ष्यों की समीक्षा उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	कंडिका क्रमांक	लेखापरीक्षा टिप्पणी
08/15 से 02/17	2	आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी, तब तक कंडिका यथावत् है ।
03/17 से 12/17	2	आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी, तब तक कंडिका यथावत् है ।
03/17 से 12/17	8	कंडिका विलोपित मान्य की जाती है ।
1/18 से 02/19	1,4,5,6	दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कंडिकाएँ विलोपित मान्य की जाती है ।
1/18 से 02/19	2,3	प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है, आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी तब तक कंडिकाएँ यथावत् है ।
03/19 से 12/20	2,4,5	दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कंडिकाएँ विलोपित मान्य की जाती है ।
03/19 से 12/20	1,3	अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक कंडिकाएँ यथावत् रखी जाती है ।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /ए.एम.जी.–3

27

12. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Balance Sheet

As on 31st March, 2020

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND	1	6 44 92 215.18	6 68 58 983.10
EARMARKED FUND	2	1 68 43 270.00	1 62 11 771.00
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	5 96 27 910.39	5 65 07 217.75
Total		**14 09 63 395.57**	**13 95 77 971.85**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4		
(a) Created out of Government Grant (At Nominal Cost)		1 801.00	1 801.00
(b) Other Fixed Assets (At Written Down Value)		1 17 27 338.00	1 33 77 981.00
CURRENT ASSETS ADVANCES AND DEPOSITS	5	12 92 34 256.57	12 61 98 189.85
Total		**14 09 63 395.57**	**13 95 77 971.85**

Significant Accounting Policies and Notes 9

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
Income and Expenditure Account
For the year ended on 31st March, 2020

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
A. Income			
Non-Plan Revenue Grant-in-Aid		15 00 00 000.00	10 00 00 000.00
Interest earned on Bank Deposits & FDRs	6	40 93 596.22	80 67 800.41
Lodging & Boarding charges		1 18 10 550.00	21 34 900.00
Registration fees		4 89 000.00	5 44 000.00
Rent and Electricity charges from Post Office & Bank		77 569.00	1 62 600.14
Sale of NJA Publications		13 545.00	16 115.00
Electricity,Water,Cable & Licence Fees recovered		8 66 732.00	8 37 308.00
Tender Fee		0.00	7 300.00
Miscellaneous Income		290.00	1 88 356.00
Forfeiture of Security		0.00	10 44 780.00
Academic Programme Receipts		1 33 37 732.00	1 10 89 311.00
Total-A		**18 06 89 014.22**	**12 40 92 470.55**
Expenditure			
Establishment Expenses	7	8 24 12 224.00	7 45 38 371.00
Other Administrative Expenses	8	9 34 03 890.14	8 47 08 647.26
Depreciation	4	**18 89 963.00**	20 64 078.00
Total-B		**17 77 06 077.14**	**16 13 11 096.26**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		**2982937.08**	**(37218625.71)**
Less : Prior Period Expenses		64 59 243.00	1 37 33 246.00
Less : Prior Period Adjustment		0.00	0.00
Add : Prior Period Income		11 09 538.00	6 77 775.00
Balance being excess of Income over Expenditure transferred to Capital Fund.		**(2366767.92)**	**(50274096.71)**
Significant Accounting Policies and Notes	9		

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

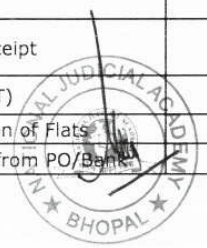
NATIONAL JUDICIAL ACADEMY BHOPAL

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Receipts & Payments Account

For the year ended on 31st March, 2020

Receipts	(Amount in Rs.)		Payments	(Amount in Rs.)	
Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19	Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
To Opening Balances			**By Expenses**		
a) Cash-in-hand	0.00	0.00	a) Establishment Expenses	71845234.00	66432281.00
b) Cash-at -bank :			b) Other Administrative Expenses	81541971.32	70450021.26
I) In Current Account	314163.33	89724.83	**By Expenditure on Fixed Assets:**		
II) In Current Account (Gratuity Trust)	306489.50	425032.50	By Purchase of Fixed Assets	201320.00	3014207.00
III) In Savings Deposits	11512515.47	8152230.93	By Goods & Services Tax (GST)	2824947.00	897573.00
IV) In Fixed Deposits	84300000.00	141600000.00	By Income Tax (TDS) deposited	5826333.00	5353135.00
c) NJA New Pension Scheme			By TCS	0.00	1957.00
I) In Savings Deposites	48611.00	55172.00	By Professional Tax	272750.00	252500.00
II) In Fixed Deposits	635000.00	515000.00	By Sundry Creditors	4918995.00	7110923.00
To Non Plan Revenue Grant-in- Aid received From Govt. of India-	150000000.00	100000000.00	By Refund of Bid Security	14400.00	2145310.00
To Fund for Action Research Project from DoJ	796000.00	398000.00	By payment on account of Action Research Project	559993.00	162578.00
To Interest received on			By Audit Fee payable	144013.00	188842.00
a) Fixed Deposits with bank	3439341.00	4755919.41	By Staff Payable	0.00	1900.00
b) Interest on NJA new pension scheme	2737.00	1446.00	By GSLI Payable	0.00	21342.00
c) Savings Deposits with Bank	685370.00	1060489.00	By Refund of Performance Security	44587.00	164495.00
d) Security Deposit with MPMKVVCL	113334.04	100816.00	By Refund of Retention Money	385397.00	804791.00
e) Interest (Other)	11231.00	103414.00	By Payment of Withheld Money	683588.00	1097111.00
To Accrued Interest A/c	2640629.00	3599147.01	By Payment of Gratuity	0.00	117717.00
To Registration Fees	485000.00	538000.00	By Payment on account of Stale Cheque	135531.00	48905.00
To Lodging & Boarding Charges	11750550.00	2121850.00	By Salary Deductions	6470470.00	5905676.00
To Sale of NJA Publication	13545.00	16115.00	By Expenses Payable	14022426.00	6752470.00
To Refund receipt of Security Deposit from MPMKVVCL	65716.00	0.00	By Refund of interest earned on Grant in Aid	0.00	678346.00
To Tender Fees	0.00	7300.00	By Security Deposit with MPMKVVCL	6400.00	101523.00
To Sale of Old News Papers	0.00	31526.00	By Prepaid Expenses	1314440.00	1308817.00
To Prior Period Income	0.00	615915.00	By TDS by Bank & other Departments	668833.00	219377.00
To GSLI payable	0.00	14228.00	By Salary Payable	4943798.00	4443118.00
To Academic Programmes Receipt	5770782.00	13692298.00	By Refund unspent amount to Railway Claims Tribunal, New Delhi	164937.00	524826.00
To Goods & Services Tax (GST)	2824947.00	897573.00	By Gratuity Fund Investment A/c	4018359.00	1882167.00
To Grant in Aid for construction of Flats	0.00	11500000.00	By Capital work in Progress (NBCC)	0.00	25898867.00
To Rent & Electricity charges from PO/Bank	77569.00	66963.14	By Prior period Expenses	4449679.00	5591354.00



To Excess receipt of Lodging and boarding charges	11800.00	0.00	By payment to Chandigarh Judicial Academy for programme for Bangladesh Judges	923796.00	0.00
To Sundry Receivables	11658260.00	80538.00	By payment to West Bengal Judicial Academy for programme for Bangladesh Judges	185499.00	0.00
To Bid Security	46400.00	760810.00	By payment to Registrar General, High Court of Gujarat for programme for Bangladesh Judges	96089.00	0.00
To Sale of Fixed Assets	0.00	148000.00	By Refund of unspent amount to Pay & Accounts Office, Ministry of Health & Family Welfare	646705.00	0.00
To Miscellaneous Income	290.00	8830.00	By Refund of unspent amount to the Registrar, Customs, Excise & Service Tax Tribunal	28337.00	0.00
To Refund of TDS	254244.00	0.00	By Refund of unspent amount to Income Tax Appellate Tribunal	272191.00	0.00
To Recoveries / Deductions			By Refund of unspent amount to Pay & Accounts Office, Department of Consumer Affairs	80334.00	0.00
a) TDS on Salary	4103902.00	3266553.00	By Refund of Postal Charges	346.00	0.00
b) TDS on Contractors/ Consultancy/ Others	1722431.00	2086582.00	**By Closing Balance**		
c) Salary Deductions	5962486.00	5409515.00	**a) Cash in Hand**	0.00	0.00
d) Performance Security	5000.00	337461.00	**b) Cash at Bank :**		
e) Withheld money	389299.00	2137994.00	I) In Savings Deposit	63595241.58	11512515.47
f) Stale Cheques A/c	1160779.00	276938.00	II) In Current Account	139225.94	314163.33
g) Retention Money	1929926.00	1936079.00	III) In Current Account (Gratuity Trust)	305840.50	306489.50
h) Cable, Electricity & Water	718390.00	705739.00	IV) In Fixed Deposits	31700000.00	84300000.00
i) NJA New Pension Scheme	106703.00	91541.74			
j) Foreiture of Bid/Peformance Secuirty	0.00	754613.00	**c) In NJA New Pension Scheme**		
k) Licence Fee	86130.00	75098.00	I) In Savings Bank Account	25314.00	48611.00
l) Professional Tax	272750.00	252500.00	II) In Fixed Deposits	765000.00	635000.00
m) TCS	0.00	1957.00			
Total	**304222320.34**	**308688908.56**	**Total**	**304222320.34**	**308688908.56**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2020

Schedule-1

Capital Fund

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
At the beginning of the year	66858983.10	117133079.81
Add: 1. Adjustment made during the year	0.00	0.00
2. Deficit during the year as per Income and Expenditure Account.	(2366767.92)	(50274096.71)
Balance at the year end	**64492215.18**	**66858983.10**

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2020

Schedule-2

Earmarked Fund- Construction of 20 Residential Flates at NJA

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
(a) Opening balance of the funds	16211771.00	30678644.00
(b) Addition to the Funds:		
I. Donations/Grants	0.00	11500000.00
II. Income from Interest earned during the year	631499.00	610340.00
Total (a+b)	**16843270.00**	**42788984.00**
(C) Utilization/Expenditure towards objective of funds.		
I. Capital Expenditure		
Fixed Assets- Payment to NBCC (India) Ltd.,	0.00	25898867.00
Others- Interest Refunded to PAO- Ministry of Law & Justice	0.00	678346.00
Total	**0.00**	**26577213.00**
II Revenue Expenditure		
Salaries, Wages and allowances etc.	0.00	0.00
Rent	0.00	0.00
Other Administrative Expenses	0.00	0.00
Total (C)	**0.00**	**26577213.00**
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**16843270.00**	**16211771.00**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY ★ BHOPAL ★

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2020

Schedule-3

Current Liabilities and provisions

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
Current Liabilities		
Sundry Creditors	3887425.00	4240804.00
1. Salary Deductions		
GPF	16002.00	16002.00
GIS	1560.00	1560.00
Tier - I Employees Contribution	3686.00	3427.00
GSLI	9736.00	9736.00
2. Other Liabilities		
Adhoc Bonus Payable	3454.00	3454.00
Audit Fee Payable	401667.00	397138.00
NJA new pension scheme	875283.00	721750.00
Performance Securities	1270603.75	1310190.75
Payable to others	699862.00	36651.00
Staff Payables	656.00	656.00
Gratuity Payable	33634.00	33634.00
Stale Cheques Account	1770860.00	745612.00
Security Received	797880.00	797880.00
Rent Advance (Bank)	90.00	90.00
Withheld Money	3433738.00	3728027.00
Retention Money	7250603.00	5597976.00
Bid Security	34520.00	2520.00
Academic Programme for Bangladesh Judges	0.00	668575.00
Research Project	150422.00	175422.00
Academic Prog. For the Magistrates PC & PNDT Act	0.00	646705.00
Sri Lankan Authorities	0.00	263224.00
Custom, Excise & Service Tax Tribunal	0.00	28337.00
Income Tax Appellate Trubunal	0.00	272191.00
Ministry of Consumer Affairs (Food & PDS)	0.00	80334.00
Railway Claim Tribunal	0.00	164937.00
3. Statutory Liabilities		
EPF NJA Staff Contribution	515711.00	477261.00
4. Provisions		
For Gratuity on actuarial valuation basis	**22156699.00**	16946283.00
Total (A)	**43314091.75**	**37370376.75**
Outstanding Expenses:		
Salary Payable	5104661.00	4957167.00
Expenses Payable	11209157.64	14179674.00
Total (B)	**16313818.64**	**19136841.00**
Total (A+B)	**59627910.39**	**56507217.75**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choddhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY BHOPAL

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2020

Schedule-4

Fixed Assets

Acquired/ Created out of capital grant

(Amount in Rs.)

S. No.	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block						Deduction from Grants			Book Value	
			Cost as at the beginning of the year	Additions during the year upto 03.10.2019	Additions during the year after 03.10.2019	Adjustments During the Year		Cost at the year end	As at the beginning of the year	During of the Year	As at the year end	Nominal Cost at the end of current Year	Nominal Cost at the end of previous year
						Addition	Deduction						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13 =9-12	14
A. Fixed Assets													
1	**Land**		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.00**	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
2	**Building**		541313260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**541313260.00**	541313160.00	0.00	541313160.00	100.00	100.00
3	**Furniture & Fixtures**												
A.	F/F VIP Guest House		5766773.00	0.00	0.00	0.00	0.000	**5766773.00**	5766673.00	0.00	5766673.00	100.00	100.00
B.	Interior work of Auditorium		7118473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7118473.00**	7118373.00	0.00	7118373.00	100.00	100.00
C.	Hostel Furniture		20812029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**20812029.00**	20811929.00	0.00	20811929.00	100.00	100.00
D.	Furniture & Fixtures (Other)		8806292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8806292.00**	8806192.00	0.00	8806192.00	100.00	100.00
4	**Electrical Installation**												
A.	Air Conditioning Plant		40004017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**40004017.00**	40003917.00	0.00	40003917.00	100.00	100.00
B.	Audio Visual System		6039975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6039975.00**	6039875.00	0.00	6039875.00	100.00	100.00
C.	Electric Installations (Other)		45167255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**45167255.00**	45167155.00	0.00	45167155.00	100.00	100.00
D.	Solar Water Heating System		1575135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1575135.00**	1575035.00	0.00	1575035.00	100.00	100.00
5	**Water Supply System**		9408568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9408568.00**	9408468.00	0.00	9408468.00	100.00	100.00
5	**Office Equipment**												
A.	EPABX		1804700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1804700.00**	1804600.00	0.00	1804600.00	100.00	100.00
B.	Office Equipment (Other)		335462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**335462.00**	335362.00	0.00	335362.00	100.00	100.00
6	**Computer**		11485756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11485756.00**	11485656.00	0.00	11485656.00	100.00	100.00
7	**TV**		449000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**449000.00**	448900.00	0.00	448900.00	100.00	100.00
8	**Kitchen Equipments**		6097995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6097995.00**	6097895.00	0.00	6097895.00	100.00	100.00
9	**Gymnasium Equipments**		880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**880000.00**	879900.00	0.00	879900.00	100.00	100.00
10	**Vehicle**		34462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**34462.00**	34362.00	0.00	34362.00	100.00	100.00
11	**Library Books**		14420903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14420903.00**	14420803.00	0.00	14420803.00	100.00	100.00
	Total		**721520056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721520056.00**	**721518255.00**	**0.00**	**721518255.00**	**1801.00**	**1801.00**

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY ★ BHOPAL ★

Acquired/ Created out of own funds

(Amount in Rs.)

S. No.	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block						Depreciation					Net Block	
			Cost as at the beginning of the year	Additions during the year upto 03.10.2019	Additions during the year after 03.10.2019	Adjustments during the Year: Addition	Adjustments during the Year: Deduction	Cost at the year end	As at the beginning of the year	On Assets sold during the year	For the year on Opening Balance	On Addition during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13	14=10-11+12+13	15=(16+5+6)-(12+13)	16
1	Vehicle	15%	3391721.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	**3491721.00**	1292568.00	0.00	314873.00	15000.00	1622441.00	1869280.00	2099153.00
2	Overhead Projector	15%	14093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14093.00**	12983.00	0.00	287.00	0.00	13270.00	1625.00	1912.00
3	Parking Shed	15%	905637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**905637.00**	230675.00	0.00	101244.00	0.00	331919.00	573718.00	674962.00
4	Photocopier	15%	142788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**142788.00**	79067.00	0.00	9558.00	0.00	88625.00	54163.00	63721.00
5	Electric Installation/Equipment'	10%	2768944.00	101320.00	0.00	0.00	0.00	**2870264.00**	896416.00	0.00	187253.00	10132.00	1093801.00	1776462.00	1872527.00
6	Computer and Software1, 2	40%	7509382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7509382.00**	6796511.00	0.00	285149.00	0.00	7081660.00	427723.00	712872.00
7	Furniture & Fixtures1	10%	4835980.00	0.00	38000.00	0.00	0.00	**4873980.00**	1739746.00	0.00	309623.00	1900.00	2051269.00	2822710.00	3096233.00
8	Gymnasium Equipment	15%	989999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**989999.00**	382016.00	0.00	91197.00	0.00	473213.00	516786.00	607983.00
9	Office Equipments1	10%	323709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**323709.00**	86470.00	0.00	23724.00	0.00	110194.00	213516.00	237240.00
10	Video Conferencing System	15%	1457355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1457355.00**	562357.00	0.00	134250.00	0.00	696607.00	760748.00	894998.00
11	LED TV	15%	3112962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3112962.00**	1230254.00	0.00	282406.00	0.00	1512660.00	1600302.00	1882708.00
12	Water Supply Pipeline	10%	1692280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1692280.00**	458608.00	0.00	123367.00	0.00	581975.00	1110305.00	1233672.00
Total			**27144850.00**	**201320.00**	**38000.00**	**0.00**	**0.00**	**27384170.00**	**13767671.00**	**0.00**	**1862931.00**	**27032.00**	**15657634.00**	**11727338.00**	**13377981.00**
GRAND TOTAL			748664906.00	201320.00	38000.00	0.00	0.00	748904226.00	735285926.00	0.00	723381186.00	27032.00	15657634.00	11729139.00	13379782.00

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY ★ BHOPAL ★

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2020

Schedule-5

Current Assets , Advances & Deposits

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
(A) Current Assets		
1. Sundry Receivables	*5071544.00*	*4807631.00*
2. Cash and Bank Balance		
a. Cash in Hand	*0.00*	*0.00*
b.. Balances with Scheduled Bank		
in Saving Bank Account	63595241.58	11512515.47
In Saving Bank Account (NJA New Pension Scheme)	25314.00	48611.00
In Current Account with SBI		
For Gratuity Fund	305840.50	306489.50
for E-Payment to EPFO	139225.94	314163.33
in Fixed Deposit Account	32465000.00	84935000.00
c. Investment (with LIC)		
Gratuity Fund	22156699.00	16946283.00
Total (A)	**123758865.02**	**118870693.30**
(B) Advances & Deposits		
1. Advances and Deposits		
Security deposit with MPSEB	1735852.55	1795168.55
Security deposit with BSNL	7800.00	7800.00
Security deposit with Municipal Corporation Bhopal	200000.00	200000.00
Advance to Mountain Valley Springs India Pvt. Ltd.	1.00	1.00
Security deposit with others	11500.00	11500.00
Prepaid Expenses	1367543.00	1317377.00
TDS by Bank, MPSEB and NACIN **TDS Receivable**	1114547.00	699958.00
Deposits with Others	31826.00	31826.00
Advance to Staff (LTC)	0.00	136500.00
2. Accrued Income		
Accrued Interest on FDR	547873.00	2668917.00
3. Other Current Assets		
Damages on PF Account	458449.00	458449.00
Total (B)	**5475391.55**	**7327496.55**
Total (A+B)	**129234256.57**	**126198189.85**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY BHOPAL

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2020

Schedule-6

Interest Earned

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
On Term Deposit with Scheduled Bank	3738846.00	7396548.41
On security deposit with MPMKVVCL	113661.22	109402.00
On Savings deposit with Scheduled Bank	229858.00	450149.00
Interest on Other deposit	11231.00	111701.00
Total	**4093596.22**	**8067800.41**

Schedule-7

Establishment Expenses

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
Ad-hoc Bonus		0.00	476652.00
Children Education Allowance	1	66833.00	119235.00
Gratuity		0.00	235438.00
Honorarium-Resource Persons		3048000.00	3891000.00
NJA-New Pension Scheme NJA Share	2	60833.00	39944.00
P F Contribution for NJA staff	3	6451654.00	5915958.00
Provision for Gratuity on the basis of Actuarial valuation & Gratuity Insurance Premium	4	4018359.00	1945846.00
Salary and allowances	3	68157415.00	61399692.00
Staff Welfare Expenses		125329.00	139766.00
Travelling Expenses (L.T.C.)	5	483801.00	374840.00
Total		**82412224.00**	**74538371.00**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

Notes :-

1 Children Education Allowance reimbursed to three staff members of the Academy.

2 The Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Notification F.No. 1/3/2016-PR dated 31.01.2019 revised the montly contribution for employer @ 14% of basic pay + DA instead of earlier monthly contribution rate of 10% of salary + DA. Accordingly, substantial increase in amount of

3 Substantial increase in the salary & allowances and PF due to changes in DA rates & annual increments granted to the staff members.

4 Provision of Gratuity on actuarial valuation basis has been made in line of resolution dated 09/02/2016 of the Governing Council in respect of the staff who have completed five years of services and become eligible for Gratuity as per the Payment of Gratuity Act, 1972.

5 The travelleing expenses (Leave Travel Concession) pertain to 11 Staff members of the Academy.

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2020

Schedule-8

Other Administrative Expenses

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
Advertisement Expenses		229927.00	394550.00
Audit fees	1	148542.00	144013.00
Bank Charges	2	116827.92	12866.26
Cable Charges	3	521391.00	434712.00
Catering Expenses		6278999.00	6319477.00
Electricity Expenses		13546825.22	13096207.00
Gardening, Horticulture & Landscaping	4	10968581.00	5169986.00
Guest House Expenses		125178.00	346611.00
Housekeeping Expenses	5	10581111.00	9192308.00
Laundry Expenses		99261.00	349263.00
Library Expenses		1387980.00	1414944.00
Living Allowance to Participants Trainees from Myanmar	6	420000.00	0.00
Medical Expenses & Services		2562538.00	2578127.00
Newspaper & Magazine		110077.00	124617.00
Office Expenses		97185.00	82180.00
Operation, Repair & Maintenance		5446154.00	5988291.00
PA & Sound System		0.00	4138.00
Participant Bags		321609.00	559320.00
Preparation of Background Reading Material		1653180.00	1904994.00
Postage & Courier		263869.00	227113.00
Printing and Stationery expenses		1217653.00	1286863.00
Professional Fee		32790.00	46200.00
Property Tax		692801.00	692801.00
Regional Programmes Expenses		0.00	646946.00
Security Expenses	7	24358598.00	17949268.00
Telephone Expenses		810787.00	786730.00
Training (Other Expenses)		140654.00	196905.00
Transportation Expenses		3654032.00	3539388.00
Travelling Expenses		5854306.00	9338894.00
Uniform & Liveries		0.00	141577.00
Vehicle Running & Maintenance		483224.00	336489.00
Video & Photography Expenses	8	90713.00	65770.00
Water Supply Arrangement		962297.00	1073915.00
Yoga Teacher Fee		226800.00	263184.00
Total		**93403890.14**	**84708647.26**

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY BHOPAL

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2020

Notes Pertaining to Schedule- 8

1 The Audit fee Rs.148542/- includes provision of Rs.118700/- payable to the O/o the Director General of Audit (Central Receipts) for the year 2019-20.

2 During the FY 2019-20, the Academy hired two Point of Sale (POS) machines from the State Bank of India for online collection of lodging and boarding charges and registration fee from the participant Judges/Judicial Officers. As the bank charges rent and other collection charges on the transaction amounts, there is substantial increase in bank charges.

3 Substantial increase in cable charges is due to increased number of participants in the training programmes.

4 Substantial increase in gardening, horticulture and landscaping expenses is due to change of category of workers, in line of the directions communicated by the Office of the Labour Enforcement Officer (Central), Ministry of Labour & Employment, Government of India vide no. 54/Misc./MWR(68)/209 dated 30.09.2019. Earlier, the gardening workers were treated by NJA under the category of "agriculture services" but as per the aforesaid directions, the gardening workers are being treated under the category of "Construction or Maintenance of Road/ Runways or in Building/ Building Operation in terms of S.O. No.188(E) dated 19.01.2017 of Minisry of Labour & Employment, Govt. of India".

5 Increase in housekeeping expenses is due to upward revision of minimum wages.

6 Living allowance was paid to 40 Judicial Officers from Myanmar @ Rs.1500/- per day for seven days, in line of order bearing no. I/ii/206/02/2017 dated 16.07.2019 issued by BM Division, Ministry of External Affairs, Govt. of India.

7 Increase in security expenses is due to upward revision of minimum wages.

8 Substantial increase in video and photography expenses due to increased number of programmes and participants.

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2020

Schedule-9

Significant Accounting Policies and Notes Forming part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account.

A. ACCOUNTING POLICIES

1 The final accounts have been prepared in the standard formats formulated and prescribed by the Government of India, Ministry of Finance for all Central Autonomous Organizations.

2 The financial statements are prepared on the accrual method of accounting and on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated.

3 **Fixed Assets :**

3.1 Fixed assets acquired/ created out of own fund are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

3.2 The cost of Fixed Assets created/ acquired out of Grant is adjusted against the received grant and the assets acquired out of Grants are stated in the Balance Sheet at Nominal Cost.

4 **Depreciation :**

4.1 Depreciation on assets created out of own fund has been provided on written down value method as per rates specified in the Income Tax Act 1961.

4.2 No depreciation is being provided on assets created/ acquired out of capital grant and carried in the balance sheet at Nominal cost.

4.3 Assets costing ₹5,000/- or less each are fully provided. Books have also been charged to Library Expenses account being rate of depericiation on books is 100% as per Income Tax Act, 1961.

5 **Government Grants :**

5.1 Government Grant-in-Aid are accounted on accrual basis.

5.2 The Grant-in-Aid for construction of 20 residential Flats at NJA Campus is reduced by payments made to NBCC (India) Ltd. and increased by interest earned on unspent amount.

5.3 The Capital Grant-in-aid received for creation/acquisition of Specific Assets is reduced, by the cost of created/ acquired Assets. Asset so acquired is stated at Nominal Cost.

6 **Interest :**

6.1 The interest earned on Capital grant-in-aid is recognized by including in the Capital Grant-in-Aid under Schdule 2 of the financial stement.

B. NOTES ON ACCOUNTS :

1 The Government of Madhya Pradesh, Housing & Environmental Department allotted 62 Acres Land to the Academy for construction of Building of the Academy vide letter no. 3/43/32 dated 18.07.1994.

2 The Capital Grant-in-aid received for creation/acquisition of Specific Assets is adjusted, to the extent used/ applied, from the cost of created / acquired Assets. The unutilized Capital Grant-in-aid is carried forward. As per the consistent Accounting policy, no separate Capital reserve is created in respect of and to the extent of capital grant so utilized nor any depreciation is provided on such assets. The aggregate cost of assets so created/ acquired up to 31.03.2020 is as under:

(Amount in Rs.)

Particulars	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
(I) Building	541313260.00	541313260.00
(II) Library Books	14420903.00	14420903.00
(III) Furniture & Fixture	42503567.00	42503567.00
(IV) Computer	11485756.00	11485756.00
(V) Electrical Installation	92786382.00	92786382.00
(VI) Water Supply System	9408568.00	9408568.00
(VII) Office Equipment	2140162.00	2140162.00
(IX) Kitchen Equipment	6097995.00	6097995.00
(X) Gymnasium Equipment	880000.00	880000.00
(XI) TV	449000.00	449000.00
(XII) Vehicle	34462.00	34462.00
TOTAL	**721520055.00**	**721520055.00**

Contd.....2

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY BHOPAL

3 A provision of gratuity on actuarial valuation including risk premium for ₹40,18,359/- has been made in the books of accounts of the Academy and charged under Establishment Expenses.

4 During the year, an amount of Rs.7,96,000/- was received by the Academy from the Ministry of Law & Justice for a research project titled "An analysis of Pendency of cases in Family Courts of Madhya Pradesh and methods to Reduce Pendency". The Academy has an unspent amount of Rs.1,75,422/- which was brought forward and included under the Head of "Other Liabilities". The Academy utilized Rs.8,21,000/- (Rs.6,00,000/ on account of honorarium, Rs.41,181/- on account of stationery expenses,Rs.79,819/- on account of Travel, transport & Miscellaneous expenses and Rs.1,00,000/- on account of Institution Overheads and contingencies) during the year. The unspent balance as on 31.03.2020 was Rs.1,50,422/-.

5 The Government of India, Ministry of Law & Justice, Department of Justice has provided ₹15.00 crore on account of Revenue Grant-in-Aid - Recurring for 2019-20. The Grant-in-Aid ₹15.00 crore has been fully utilized by the Academy during 2019-20. The expenses in excess of ₹15.00 crore has been met out from the internal accruals of income of NJA, i.e. interest earned, registration fee, lodging & boarding charges and other miscellaneous receipts.

6 The renewal agreements for let out property shops of NJA to Postal Department and State Bank of India were in process, therefore, the rent recognized on the basis of actual receipts during the year.

7 Prior period expenses include the followings:

		(Amount in Rs.)
(i)	Catering Expenses	1776765.00
(ii)	Hostel/VIP Guest House Expenses	119551.00
(iii)	Newsper & Magazines (Training) Expenses	3657.00
(iv)	PA & Sound System Expenses	110241.00
(v)	Photocopy & Binding (Prepration of Back Ground Reading Material)	326287.00
(vi)	Transporation Expenses	827342.00
(vii)	Video & Photography Expenses	1470.00
(viii)	Yoga Teacher Expenses	5671.00
(ix)	Medical Expenses	33659.00
(x)	Legal & Professon Expenses	8260.00
(xi)	Computer Maintenance/AMC Expenses	12119.00
(xii)	Electrical & Repair Maintenance Expenses	38940.00
(xiii)	Gardening, Horticulture & Landscaping Exp.	797025.00
(xiv)	HVAC System expenses	100584.00
(xv)	Operation, Reapir & Maintenance Expenses	37696.00
(xvi)	Water Supply Arrangment Expenses	79680.00
(xvii)	Vehicle Repair & Maintenance Expenses	23277.00
(xviii)	Adhoc Bonus (Less)	830192.00
(xix)	Library Subscription Expenses	38727.00
(xx)	Newspaper & Magazine (Lib/Adm) Expenses	25732.00
(xxi)	Honorarium Interns Expenses	15000.00
(xxii)	Honorarium/Consultancy-Admn Expenses	19740.00
(xxiii)	Children Education Allowance Expenses	10350.00
(xxiv)	Security Services expenses	2877662.00
	Total (Rs.)	**6459243.00**

8 The provision for gratuity has been made on actuarial valuation basis which was computed by the Life Insurance Corporation of India.

9 The cumulative amount of Capital work in progress was Rs. 9,59,34,061/- including an advance of Rs.88,30,000/-. as per books of accounts of the Academy for FY 2019-20.

10 An amount of Rs. 6,31,499/- on account of interest earned on capital grant-in-aid during the year 2019-20 to be refundable to the O/o the Chief Controller of Accounts, Department of Justice, New Delhi.

11 An amount of Rs.4,58,449/- being receivable from EPFO towards refund of damages recovered from NJA as a case bearing ATA No.296(8)2016 is pending before Employees Provident Fund Appellate Tribunal now merged with Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT), the same has been disclosed under the head 'Other Current Assets' in Schedule-5. This amount is being carried forward from the Financial Year 2015-16.

12 The registration fee & lodging and boarding charges recognised by the Academy on the basis of actual receipts of the same.

13 The category of outstanding debtors has not been classified as the amounts are receivable from High Courts of the country, Ministry of External Affairs, Govt. of India and other Government bodies.

14 Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable.

Bhopal, dated: 02.09.2020

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(K. Uthirapathy)
Registrar (Administration)

(Justice G. Raghuram)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY ★ BHOPAL ★

National Judicial Academy, India

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत

ANNUAL REPORT

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

शैक्षणिक वर्ष : 1 जुलाई 2019 - 30 जून 2020

वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020

एनजेए नियम और विनियम संख्या 16 के अनुसरण में, शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिये एनजेए की यह वार्षिक रिपोर्ट शासी परिषद् (जीसी) और एनजेए के जनरल बॉडी (जीबी) के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तैयार की गई हे।

वार्षिक रिपोर्ट में अकादमी की प्रशिक्षण गतिविधियों का सारांश दिया गया है और शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए पूरा किए गए कार्य या परियोजनाओं का वर्णन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये लेखा परीक्षित खातों के साथ शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिये आयोजित प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विचार विमर्श का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रदान किया गया है।

हमारी गतिविधियों की सीमा और उनकी गुणवत्ता दोनों ही भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों और शासी परिषद् के सदस्यों, जनरल बॉडी, कार्यकारी समिति, अकादमिक के निरंतर हित और पर्याप्त योगदान के लिये बहुत कुछ देना है परिषद् और नवगठित निकाय – राष्ट्रीय न्यायिक शैक्षणिक परिषद्, वे सभी अकादमी के दिन–प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित हमारे प्रस्तावों का लगातार मार्गदर्शन, संरक्षक और अनुमोदन करते हैं।

अकादमी विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योगदान के लिये भोपाल की यात्रा करने वाले विशेषज्ञों का भी आभार व्यक्त करती है। अकादमी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले न्यायाधीशों की सिफारिशों और सुझावों से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है। उनके विचारों ने अकादमी को प्रशिक्षण में सुधार करने में मदद की है।

यह वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी है, जिसमें अंग्रेजी भाषा अनुभाग पृष्ठ 68 तक और उसके बाद पृष्ठ 69 से हिन्दी भाषा अनुवाद को कवर किया गया है।

सामग्री

1.	एनजेए की स्थापना	73
2.	एनजेए के शासी निकाय	74
3.	एनजेए में स्टॉफ	78
4.	वर्ष पर एक दृष्टि	82
5.	आयोजित कार्यक्रमों का सारांश	89
6.	कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट	124
7.	इंटर्नशिप	127
8.	वैश्विक उपस्थिति	127
9.	शोध एवं प्रकाशन	127
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन	129
11.	की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन	133
12.	जी.बी. और जी.सी. द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन	138

1. एन.जे.ए. की स्थापना

भारतीय विधि आयोग की कई रिपोर्टों द्वारा न्यायिक प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन के लिए न्यायिक अधिकारियों की दक्षता को पोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर दबाव डालने के लिए भारतीय विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन में सुधार पर अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में 1958 में यह माना था कि मामलों के निपटारे और बकाया राशि के संचय में देरी मुख्य रूप से न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने कार्य को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने, प्रक्रियात्मक संहिताओं के प्रावधानों की सराहना करने और लागू करने में असमर्थता के कारण थी। 1973 में विधि आयोग की चौवनवीं रिपोर्ट में इस विषय पर और प्रकाश डाला गया और न्यायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय अकादमी की तत्काल स्थापना की सिफारिश की गई। विधि आयोग की एक सौ सत्रहवीं रिपोर्ट पूरी तरह से न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। 1985 में मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों और कानून मंत्रियों के सम्मेलन का सर्वसम्मति से समाधान और केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष के साथ न्यायिक प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी स्थापित करे। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1992) 1 एससीसी 119 में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के भीतर जिला जजों सहित न्यायपालिका के उच्च अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए।

भारतीय विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों और कानून मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की औपचारिक रूप से 1993 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापना की गई थी। यह अकादमी एक स्वतंत्र समाज है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत काम करता है।

अपनी स्थापना के बाद से, अकादमी ने अपनी गतिविधियों को कई गुना विस्तार और विकास किया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी न्यायाधीशों, न्यायिक और अर्ध–न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का शीर्ष संस्थान है, विशेष रूप से संघीय स्तर पर काम कर रहे उच्च न्यायालयों और अधिकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विदेशी न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों के साथ सहयोग अभी तक एनजेए की एक और उपलब्धि है। अकादमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भोपाल में केंद्रीय और पूर्वी यूरोपीय कानून पहल संस्थान, (सीईईएलआई), प्राग, और फेडरल ज्यूडिशियल सेंटर (एफजेसी), वाशिंगटन के सहयोग से भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

अकादमी ने एनजेए में अपने न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) में प्रवेश किया है। इसके अलावा, अकादमी नियमित रूप से जिला स्तर के न्यायाधीशों के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण सत्रों के साथ–साथ विदेशों के श्रेष्ठ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सम्मेलन/संवाद का आयोजन करती है जिनके साथ फिजी गणराज्य, मिस्र आदि जैसे कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। इसके अलावा, अकादमी अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित है।

2. एन.जे.ए. के शासी निकाय

(01.04.2019 से 31.03.2020)

शासी परिषदः

1. एन जे ए के अध्यक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (3.10.2018 से 17.11.2019 तक)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 वर्तमान)
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा (27.11.2019 से वर्तमान)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना (27.11.2019 से वर्तमान)
3. सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
4. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
5. सचिव, कानूनी मामलों के विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
6. भारत के सुप्रीम कोर्ट के महासचिव
7. निदेशक, एन.जे.ए. भोपाल

जनरल बॉडीः

1. एन जे ए के अध्यक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (3.10.2018 – 17.11.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 – वर्तमान)
2. भारत के सुप्रीम कोर्ट के दो अवर जज
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा (27.11.2019 – वर्तमान)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना (27.11.2019 – वर्तमान)
3. एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री ऋषिकेश रॉय, मुख्य न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय (11.01.2019 – 09.10.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एके गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय (10.10.2019 से वर्तमान)
4. एक अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री डीएन पटेल, झारखंड उच्च न्यायालय (25.11.2015 – 01.07.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन कोटेश्वर सिंह, गौहाटी हाईकोर्ट (02.07.2019 – वर्तमान)
5. पदेन सदस्यः
   - विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
   - चेयरपर्सन बार काउंसिल ऑफ इंडिया
   - सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
   - सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- सचिव कानूनी मामलों के विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार
- दो कानून शिक्षाविदोंः मनोनीत के रूप में,
  I. डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
  II. निर्देशक एन एल आई यू भोपाल
- भारत के महासचिव सुप्रीम कोर्ट
- निदेशक, एन जे ए भोपाल

कार्यकारी समितिः

1. एनजेए के अध्यक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (03.10.2018 से 17.11.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 से वर्तमान)
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा (27.11.2019 – वर्तमान)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना (27.11.2019 से वर्तमान)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (11.01.2019 से 17.11.2019)
3. निदेशक, एन जे ए भोपाल

वित्तीय समितिः

- माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (03.10.2018 से 17.11.2019)
- माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 वर्तमान)

अकादमिक परिषदः

1. एन जे ए के अध्यक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (03.10.2018 – 17.11.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 – 08.02.2020)
2. भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा (25.07.2015 – 08.02.2020)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रविन्द्रण (25.07.2019 – 08.02.2020)
   - माननीय न्यायमूर्ति सुश्री आर बानुमति (05.06.2019 – 24.02.2020)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना (27.11.2019 से 08.02.2020)
3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल (25.07.2015 से 08.02.2020)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मोहन रेड्डी (25.07.2015 से 08.02.2020)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. गोस्वामी (05.06.2019 से 08.02.2020)
4. वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय
   - श्री फाली एस नरीमन (25.07.2015 से 08.02.2020)

- श्री के के वेणुगोपाल (25.07.2015 से 08.02.2020)
- सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा (27.03.2018 से 08.02.2020)
- श्री गोपाल सुब्रमण्यम (25.07.2015 से 08.02.2020)
- श्री एचएन नागमोहन दास (25.07.2015 से 08.02.2020)

5. शिक्षाविदों
   - प्रो. राज कुमार (25.07.2015 से 08.02.2020)
   - प्रो सुश्री शशिकला गुरपुर (25.07.2015 से 08.02.2020)
6. महासचिव, भारत के सुप्रीमकोर्ट
7. निदेशक, भारतीय विधि संस्थान
8. दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक
9. निदेशक, एन जे ए भोपाल

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक परिषदः

1. एनजेए के अध्यक्ष भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई (3.10.2018 – 17.11.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (18.11.2019 से वर्तमान)
2. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक परिषद के अन्य सदस्य
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े (24.05.2019 – 17.11.2019)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना (24.05.2019 से वर्ममान)
   - माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा (06.07.2020 से वर्तमान)
   - 'प्रभारी न्यायाधीश, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उप्र
   - अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी, सिकंदराबाद, एपी
   - महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी और प्रशिक्षण संस्थान, उत्तन के निदेशक और सदस्य
   - अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र
   - प्रभारी न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी, कोलकाता
   - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
   - अध्यक्ष (प्रभारी न्यायाधीश), दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली
   - न्यायाधीश प्रभारी (प्रशिक्षण), न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी, असम
   - अध्यक्ष, गुजरात राज्य न्यायिक अकादमी, अहमदाबाद, गुजरात
   - अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला, हिमाचल
   - जे एंड के स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, जम्मू/श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर के चेयरमैन।
   - संरक्षक–इन–चीफ (अध्यक्ष) न्यायिक अकादमी, रांची, झारखंड
   - अध्यक्ष, कर्नाटक न्यायिक अकादमी, बेंगलुरु, कर्नाटक
   - अध्यक्ष, केरल न्यायिक अकादमी, कोच्चि, केरल
   - प्रभारी न्यायाधीश, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर, मप्र'
   - अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु
   - अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश, मणिपुर न्यायिक अकादमी, इंफाल, मणिपुर।
   - अध्यक्ष, ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक, ओडिशा

- अध्यक्ष, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना, बिहार
- अध्यक्ष, चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़
- अध्यक्ष, न्यायाधीश प्रभारी, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर, राजस्थान
- अध्यक्ष, सिक्किम न्यायिक अकादमी, गंगटोक, सिक्किम
- प्रभारी न्यायाधीश, त्रिपुरा न्यायिक अकादमी, अगरतला, त्रिपुरा
- न्यायाधीश प्रभारी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल, उत्तराखंड
- न्यायाधीश प्रभारी, राज्य न्यायिक अकादमी, मेघालय, शिलांग
- सचिव, न्याय विभाग, भारत सरकार

3. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित
   - वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफएस नरीमन (29.04.2016 से वर्तमान)
   - प्रो (डॉ) जी मोहन गोपाल, अध्यक्ष, एन सी एम एस (29.04.2016 से 21.05.2018)
   - प्रो माधव मेनन (22.05.2018 से 08.05.2019)
   - प्रो (डॉ) जी मोहन गोपाल, अध्यक्ष, एन सी एम एस (24.05.2019 से वर्तमान)
4. सदस्य सचिव
   - निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल

3. एन.जे.ए. में स्टाफ

संकाय सदस्य

1. माननीय श्री जस्टिस जी रघुराम (सेवानिवृत्त), निदेशक
2. प्रो. डी.पी. वर्मा, अतिरिक्त निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)
3. डॉ. गीता ओबराय, प्रोफेसर
4. श्री एस पी श्रीवास्तव, प्रोफेसर
5. श्री राजेश सुमन, सहायक प्रोफेसर
6. डॉ. अमित मेहरोत्रा, सहायक प्रोफेसर
7. सुश्री पाइकर नासिर, रिसर्च फेलो
8. श्री योगेश प्रताप सिंह, रिसर्च फेलो
9. श्री सुमित भट्टाचार्य, रिसर्च फेलो
10. श्री राहुल ईश्वर सोनावणे, रिसर्च फेलो
11. सुश्री श्रुति जेन यूसेबियस, रिसर्च फेलो
12. सुश्री सोनम जैन, रिसर्च फेलो
13. श्री प्रसिद्ध राज सिंह, लॉ एसोसिएट
14. सुश्री नितिका जैन, लॉ एसोसिएट
15. सुश्री अंकिता पांडे, लॉ एसोसिएट
16. श्री कृष्णा सिसोदिया, लॉ एसोसिएट
17. श्री शाश्वत गुप्ता, लॉ एसोसिएट

सहायता टीम – फैकल्टी ब्लॉक

18. श्री निशांत शर्मा, जूनियर डीईओ सह कार्यालय सहायक
19. सुश्री शेफाली नेगी, परिचारक
20. श्री सतीश पांडेय, परिचारक

निदेशक कार्यालय

21. श्री किशोर वैष्णव, जूनियर स्टेनो सह डीईओ
22. सुश्री आकांक्षा वानखेड़े, डाटा एंट्री ऑपरेटर
23. श्री मोहम्मद कलीम, ड्राइवर–सह–परिचारक
24. श्री प्रशांत थोम्बेरे, ड्राइवर–सह–परिचारक
25. श्री सुरेश सेन, परिचारक

अतिरिक्त निदेशक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) का कार्यालय

26. सुश्री शिखा सक्सेना, स्टेनोग्राफर
27. श्री उमेश प्रसाद, ड्राइवर–सह–परिचारक

रजिस्ट्रार कार्यालय (प्रशासन)

28. श्री के. उथिरापथी, रजिस्ट्रार (प्रशासन)
29. श्री श्रीनिवास राव परचुरी, स्टेनोग्राफर
30. सुश्री सुधा राजेंद्रन, जूनियर स्टेनो–सह–डीईओ
31. श्री सफर अहमद, ड्राइवर–सह–परिचारक

लेखा कार्यालय

32. श्री अविनाश चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी
33. श्री आर.के. दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी
34. श्री देवेंद्र कुमार सोनी, सहायक लेखाकार
35. सुश्री पियाली देब, सहायक लेखाकार
36. श्री मनोहर लाल जैन, सहायक लेखाकार
37. श्री प्रमोद प्रकाश, डाटा एंट्री ऑपरेटर
38. सुश्री दीप्ति मिश्रा, प्रलेखन सहायक
39. श्री शेर सिंह, चालक सह परिचारक

संपर्क परिवहन और घटना प्रबंधन

40. श्री चेतन नेहेते, इवेंट मैनेजर
41. श्री सलमान खान, प्रोटोकॉल अधिकारी
42. श्री बिपुल कुमार मिश्रा, सहायक प्रबंधक (फील्ड प्रोग्राम)
43. श्री विवेक जैन, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी
44. श्री विष्णु पी. शर्मा, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी
45. श्री विशाल सिंह ठाकुर, सहायक इवेंट मैनेजर
46. श्री कृष्ण कांत किरार, तकनीशियन
47. श्री ललित योगी, परिचारक
48. श्री राम किशोर यदुवंशी, परिचारक
49. श्री आलोक सोनी, परिचारक (04.07.2019 तक)

हॉस्पिटैलिटी यूनिट

50. श्री रंजन वर्मा, प्रबंधक (सत्कार)
51. श्री लोकेंद्र सिंह शेखावत, सहायक प्रबंधक (आतिथ्य)
52. श्री संचय वर्मा, परिचारक
53. श्री हीरालाल डावर, परिचारक
54. श्री रूपेश गोस्वामी, परिचारक
55. श्री तारा प्रसाद बश्याल, परिचारक
56. श्रीमती सरोज कुशवाह, परिचारक
57. श्री श्याम सुंदर तिग्गा, परिचारक

58. श्री इंद्रमणि प्रसाद वर्मा, परिचारक
59. श्री सुदामा, परिचारक
60. श्री भगवान दास यादव, परिचारक
61. श्री छोहन लाल तेली, परिचारक
62. श्री मान सिंह बघेल, परिचारक
63. श्री नारायण कांबले, परिचारक
64. श्री दीपक पाराशर, परिचारक

ऑपरेशन और रख–रखाव

65. श्री अजय सैनी, अनुरक्षण अभियंता
66. श्री सईद अहमद, सहायक अनुरक्षण अभियंता
67. श्री साजिद खान मंसूरी, अनुरक्षण पर्यवेक्षक–सह–तकनीकी सहायक
68. श्री शशिरती गुप्ता, अनुरक्षण पर्यवेक्षक–सह–तकनीकी सहायक
69. श्री गीतांशु सिंह, अनुरक्षण पर्यवेक्षक–सह–तकनीकी सहायक
70. श्री प्रवीण कुमार चौरसिया, अनुरक्षण पर्यवेक्षक–सह–तकनीकी सहायक
71. श्री मैथ्यू सी. जॉन, इलेक्ट्रीशियन
72. श्री मनोज श्रीवास्तव, इलेक्ट्रीशियन
73. श्री यदुराव साकरे, इलेक्ट्रीशियन
74. श्री हीरालाल पटेल, फिटर–सह–पंप संचालक
75. श्री नारायण सिंह, फिटर–सह–पंप संचालक
76. श्री रमेश विश्वकर्मा, परिचारक
77. श्री बृजभान पटेल, परिचारक
78. श्री गोपाल बग्गन, परिचारक
79. श्री मोहम्मद मोहम्मद शादाब, परिचारक
80. श्री प्रकाश विश्वकर्मा, परिचारक
81. श्री लखन एस. नामदेव, परिचारक
82. श्री तुलसी राम, परिचारक
83. श्री नीलेश साहू, परिचारक
84. श्री बद्री प्रसाद मीणा, परिचारक
85. श्री रामदयाल मालवीय, परिचारक

पुस्तकालय

86. श्री सुनील कुमार सोनी, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष
87. श्री शिशुपाल वानखेडे, पुस्तकालय सहायक
88. श्री असित कुमार यादव, पुस्तकालय सहायक
89. श्री महेश स्नेही, परिचारक

प्रलेखन / संचार / पी आर इकाई

90. श्री उत्कर्ष द्विवेदी, प्रबंधक (डीसीपीआर) (20.07.2019 तक)
91. श्री सुनील के. सोनी, प्रबंधक (डीसीपीआर), प्रभारी (21.07.2019 से)
92. सुश्री अनुरागिनी पांडेय, प्रलेखन सहायक
93. श्री भीम सेन कहार, जूनियर डीईओ सह कार्यालय सहायक
94. श्री डी.एस. नेगी, परिचारक

सामान्य प्रशासन

95. श्री अविनाश चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी–सह प्रशासनिक अधिकारी प्रभारी
96. श्री राजीव चौधरी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक
97. श्री अमजद खान, वरिष्ठ कार्यालय सहायक
98. सुश्री प्रीति बघेल, परिचारक
99. श्री रजनीश कुमार शर्मा, परिचारक
100. श्री अरविंद कुर्मी, परिचारक (09.12.2019 से)

भण्डार

101. श्री कैलाश कुमार सोनी, स्टोरकीपर
102. श्री रंजीत सिंह चौहान, परिचारक

कंप्यूटर / नेटवर्क सिस्टम प्रशासन

103. श्री विकास साहू, वेबसाइट/नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर–सह–कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (प्रभारी)

4. वर्ष पर एक दृष्टि

	प्रतिभागियों की संख्या
कार्यक्रमों की कुल संख्या (53)	1891
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (8)	184
क्षेत्रीय सम्मेलन (5)	580
पी डी जे (5)	195
विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी (6)	192
ए डी जे (5)	192
मजिस्ट्रेट (3)	118
जूनियर डिवीजन (4)	150
सी ई ई पी कार्यक्रम (10)	43
विशेष आयोजन (7)	237
कार्यक्रमों की कुल संख्या	53
प्रतिभागियों की कुल संख्या	1891
विशेशज्ञ व्यक्तियों की कुल संख्या	356
कुल सत्र संख्या	392
कार्यक्रम दिवसों की कुल संख्या	148

(शैक्षणिक कार्यक्रम – अगस्त 2019–अप्रैल 2020)

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
1	पी–1163	सी ई ई एल आई संस्थान और संघीय न्यायिक केन्द्र वाशिंगटन के सहयोग से आतंकवाद के मामलों का न्याय निर्णयन पर कार्यशाला चरण IV, भाग I	10/08/2019 से 12/08/2019	उग्रवाद/आतंकवाद मामलों की सुनवाई से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	40
2	एसई–01	विदेशी न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी (म्यामार)	23/08/2019 से 29/08/2019	जिला और टाउनशिप स्तर पर न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी	40
3	पी–1164	गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 पर कार्यशाला	31/08/2019 से 01/09/2019	मजिस्ट्रेट	37
4	पी–1165	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	06/09/2019 से 08/09/2019	अतिरिक्त जिला न्याधीश	42
5	पी–1166	जूनियर डिवीजन जजों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम	06/09/2019 से 12/09/2019	जूनियर डिवीजन जज	37
6	पी–1167	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी	13/09/2019 से 15/09/2019	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	38
7	पी–1168	परिवार न्यायालय के लिए रिफ्रेशर कोर्स	20/09/2019 से 24/09/2019	परिवार न्यायालय के न्यायाधीश	31
8	पी–1170	सी ई ई एल आई संस्थान और संघीय के सहयोग से आतंकवाद के मामलों का न्यायनिर्णयन पर कार्यशाला न्यायिक केन्द्र, वाशिंगटन (चरण IV, भाग – II)	27/09/2019 से 29/09/2019	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की सुनवाई से संबंधित उग्रवाद/आतंकवाद के मामले	38

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
9	पी–1171	वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी) पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कार्यशाला	28/09/2019 से 29/09/2019	कराधान रोस्टर पर कार्यरत अथवा काय करने वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	28
10	पी–1172	एन डी पी एस कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्स	04/10/2019 से 06/10/2019	एन डी पी एस कोर्ट के न्यायाधीश	35
11	पी–1173	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	05/10/2019 से 06/10/2019	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	14
12	एसई–03	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए संगोष्ठी	11/10/2019 से 13/10/2019	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य	18
13	पी–1174	नव उत्क्रमित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए कार्यशाला	12/10/2019 से 13/10/2019	नव उत्क्रमित उच्च न्यायालय के न्याययमूर्ति	21
14 – 23	पी–1175 – पी–1184	न्यायालय उत्कृष्टता उन्नयन कार्यक्रम	18/10/2019 से 20/10/2019	एक अदालत के सभी हितधारकों (न्यायिक अधिकारी, वकील, अभियोजक, क्लर्क और रीडर) (12 उच्च न्यायालय केवल)	43
24	पी–1185	क्षेत्रीय सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र–I)	19/10/2019 से 20/10/2019	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रजिस्ट्रार (भर्ती), रजिस्ट्रार (बजट तैयारी), प्रधान जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	103

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
25	एसई–05	विदेशी न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी (बांग्लादेश)	01/11/2019 से 07/11/2019	वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट (स्तर–2)	39
26	पी–1186	बौद्धिक संपदा अधिकारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला (आर.पी. आर)	02/11 2019 से 03/11/2019	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	24
27	पी–1187	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी	08/11/2019 से 10/11/2019	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	39
28	पी–1188	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	15/11/2019 से 17/11/2019	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	39
29	पी–1189	जूनियर डिवीजन न्यायाधीशों के लिए ओरिऐंटेशन प्रोग्राम	15/11/2019 से 21/11/2019	जूनियर डिवीजन न्यायाधीश	39
30	पी–1190	निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पर कार्यशाला	22/11/2019 से 24/11/2019	मजिस्ट्रेट	39
31	एसई–02	जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों के लिए संगोष्ठी	22/11/2019 से 24/11/2019	जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष	29
32	पी–1191	विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम	23/11/2019 से 24/11/2019	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	33
33	पी–1192	क्षेत्रीय सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र)	30/11/2019 से 01/12/2019	उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार (भर्ती), रजिस्ट्रार (बजट तैयारी), प्रिंसिपल	133
34	पी–1193	सी बी आई कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्स	06/12/2019 से 08/12/2019	सी बी आई कोर्ट के न्यायाधीश	33

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
35	एसई–07	विदेशी न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी (बांग्लादेश)	13/12/2019 से 19/12/2019	जिला जज/सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त और संयुक्त सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (स्तर–1)	40
36	पी–1194	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम पर कार्यशाला, 2015	21/12/2019 से 22/12/2019	मजिस्ट्रेट	42
37	पी–1195	क्षेत्रीय सम्मेलन (पूर्वी क्षेत्र–1)	28/12/2019 से 29/12/2019	उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार (भर्ती), रजिस्ट्रार (बजट तैयारी), प्रधान जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	105
38	पी–1196	पॉक्सो कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्स	03/01/2020 से 05/01/2020	पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश	36
39	पी–1197	वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	04/01/2020 से 05/01/2020	कराधान रोस्टर से निपटने या निपटने की संभावना वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	23
40	पी–1198	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	10/01/2020 से 12/01/2020	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	41
41	पी–1199	जूनियर डिवीजन न्यायाधीशों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम	10/01/2020 से 16/01/2020	जूनियर डिवीजन न्यायाधीश	35
42	पी–1200	वाणिज्यिक अदालतों के लिए रिफ्रेशर कोर्स	17/01/2020 से 19/01/2020	वाणिज्यिक अदालतों के न्यायाधीश	33

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
43	पी–1201	नव उत्क्रमित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	18/01/2020 से 19/01/2020	नव उत्क्रमित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	24
44	पी–1202	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों केलिए संगोष्ठी	31/01/2020 से 02/02/2020	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	40
45	पी–1203	क्षेत्रीय सम्मेलन (दक्षिण क्षेत्र–II)	01/02/2020 से 02/02/2020	उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार (भर्ती), रजिस्ट्रार (बजट तैयारी), प्रधान जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	132
46	पी–1204	मनी लॉड्रिंग अदालतों के लिए रिफ्रेशर कोर्स	07/02/2020 से 09/02/2020	मनी लॉड्रिग कोर्ट के न्यायाधीश	24
47	पी–1205	अंतर्राष्ट्रीय पंचाट सहित पंचाट पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	08/02/2020 से 09/02/2020	उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति	24
48	एसई–04	आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए संगोष्ठी	11/02/2020 से 13/02/2020	आयकर अपीलीय अधिकरण	31
49	एसई–09	विदेशी न्यायाधीशों (बांग्लादेश) के लिए संगोष्ठी	14/02/2020 से 20/02/2020	वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट (स्तर–2)	40
50	पी–1206	उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों के लिए राष्ट्रीय अधिवेशनः उच्च न्यायालयों में राजकोषीय और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को मजबूत करना	15/02/2020 से 16/02/2020	वरिष्ठता मे जस्टिस –1 से 3	26
51	पी–1207	जूनियर डिवीजन न्यायाधीशों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम	21/02/2020 से 27/02/2020	जूनियर डिवीजन न्यायाधीश	39

क्र. सं.	कार्यक्रम संख्या	विवरण	दिनांक	प्रतिभागियों को मनोनीत किया जाएगा	प्रतिभागियों की संख्या
52	पी–1208	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला	21/02/2020 से 23/02/2020	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	37
53	पी–1209	क्षेत्रीय सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र–2)	29/02/2020 से 01/03/2020	उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार (भर्ती), रजिस्ट्रार (बजट तैयारी), प्रधान जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	107
			कुल		**1891**

5. आयोजित कार्यक्रमों का सारांश

यह अनुभाग शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है।

पी–1163: सी ई ई एल आई संस्थान और संघीय न्यायिक केंद्र, वाशिंगटन [चरण चतुर्थ, भाग I] के सहयोग से आतंकवाद के मामलों के न्याय निर्णयन पर कार्यशाला: 10–12 अगस्त, 2019

इस अकादमिक वर्ष (2019–2020) एन जे ए ने केंद्रीय और पूर्वी यूरोपीय कानून पहल (सी ई ई एल आई संस्थान), प्राग और संघीय न्यायिक केंद्र, वाशिंगटन डीसी के सहयोग से बहु–चरण परियोजना के चौथे चरण के दौरान आतंकवाद के मामलों के न्याय निर्णयन पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं को उग्रवाद/आतंकवाद से संबंधित मामलों के विचारण से संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए तैयार किया गया था। दोनों कार्यशालाओं को न्यायिक अधिकारियों के एक अलग बैच के साथ भारतीय न्यायाधीशों के एक बड़े क्रॉस सेक्शन में एकत्र किए गए ज्ञान का प्रसार करने के लिए तैयार किया गया था, इन दो कार्यशालाओं में निपटाए गए विषय समान थे। कार्यशाला में मुख्य क्षेत्रों पर सत्र शामिल थे जो निष्पक्ष विचारण जैसे आतंकवाद के मामलों पर निर्णय देते हुए न्यायाधीशों द्वारा निपटाए जाते हैं। आतंकवाद परीक्षणों से संबंधित कानून सबूत, एम एल ए टी और प्रत्यर्पण फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य आतंकवाद के परीक्षण का निर्णय करते हुए मीडिया का प्रबंधन आतंकवाद के मामलों में मामला प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध न्यायिक और अदालत सुरक्षा और आतंकवाद के परीक्षणों में अद्वितीय विशेषताओं के साथ आरोप तैयार करना।

वर्तमान कार्यशाला अंतिम संकाय विकास (पूर्व कार्यक्रम बैठक) जिसमें, न्यायाधीश (8 मास्टर प्रशिक्षकों के कोर समूह) की समीक्षा और व्यक्तिगत सत्र और बाद के दो दिनों पर पायलट कार्यशाला के लिए प्रस्तुतियों को परिष्कृत करने पर एक साथ काम किया गया। निष्पक्ष विचारण के सामान्य सिद्धांतों पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानून के स्रोतों की ओर इशारा किया गया। इन सत्रों में रिवर्स बर्डन की अवधारणा, आतंकवाद के मामलों के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से त्वरित विचारण, खुले बनाम इन–कैमरा परीक्षणों और उप–सचेत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह धारणाओं पर विचार–विमर्श शामिल था। आतंकवाद के मामलों पर निर्णय लेते हुए विचारण न्यायाधीशों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। आरोप तय करने पर, प्रतिभागियों को समझने के लिए कैसे उचित केश तैयार करने और प्रतिवादी के लिए पर्याप्त रक्षा सुनिश्चित करने के द्वारा एक आतंकवाद से संबंधित परीक्षण शुरू करने के लिए सहायता की गई। इसके अलावा आतंकवाद के मामलों में निरंतर विचार–विमर्श किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने परीक्षण चरण के दौरान साक्ष्यों की तकनीको और एमएलएटी के माध्यम से अन्य देशों में साक्ष्यों तक पहुंच से संबंधित अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया। न्यायिक और अदालत सुरक्षा पर सत्र के दौरान चर्चाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सुरक्षा स्थिर नहीं है, एक सतत लक्ष्य है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अदालती सुरक्षा योजनाओं की निरंतर निगरानी और समीक्षा की आवश्यकता है।

एस.ई.–01: म्यांमार के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: 23 – 29 अगस्त, 2019

म्यांमार के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए म्यांमार गणराज्य के उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए),

भारत और इसके बाद ओ यू सी जे के कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (इसके बाद समझौता ज्ञापन) में प्रवेश किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए दो बैच, प्रत्येक 40 न्यायिक अधिकारियों को भारत आने और 07 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का प्रस्ताव था। उक्त एम ओ यू के अनुसार, म्यांमार द्वारा नामित जिला और टाउनशिप स्तर पर म्यांमार के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के पहले बैच के लिए 7 दिनों का कार्यक्रम 23 से 29 अगस्त, 2019 तक भोपाल में एनजेए द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में न्यायिक कौशल, संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक, मानवाधिकार कानून और सहसंबद्ध न्यायशास्त्र पर सत्र शामिल थे। कार्यक्रम न्यायिक व्यवहार के तत्वों के साथ प्रतिभागियों परिचित–नैतिकता, तटस्थता और व्यावसायिकता, पहचानने और निर्णय लेखन के कौशल। इस कार्यक्रम में न्यायालय और मामले प्रबंधन और न्याय प्रशासन में आईसीटी के उपयोग पर भी विचार–विमर्श किया गया।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अवलोकन और वास्तुकला पर सत्र ऐतिहासिक कारकों पर केंद्रित था जिसके कारण संवैधानिक कानून का गठन हुआ और यह लोगों के मूल्यों और विश्वासों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने में संविधान के महत्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, राज्य नीति के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और म्यांमार की स्थिति से उनकी तुलना सहित भारत में संवैधानिक कानून के विभिन्न पहलुओं को कैसे दर्शाता है। भारतीय न्यायपालिका पर सत्रःसंगठनात्मक संरचना, क्षेत्राधिकार और दृष्टिकोण म्यांमार की कानूनी प्रणाली में इसी स्थिति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के दायरे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

अदालतों के लक्ष्यों, भूमिका और मिशन पर चर्चा न्याय का संवैधानिक दृष्टिकोण, संविधान की प्रस्तावना के विभिन्न तत्वों और भारत के भारतीय संविधान और संविधान सभा बहस के गठन के पीछे ऐतिहासिक कारकों पर केंद्रित था। न्यायिक व्यवहार के तत्वों पर विचार–विमर्श करते समय न्यायिक व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं जिनमें निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षकारों को समान अवसर देना, तटस्थता बनाए रखना, किसी से प्रभावित हुए बिना सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना और सभ्य, गरिमामय और विनम्र व्यवहार का अनुसरण करना शामिल था। न्यायिक व्यवहार के मार्गदर्शन में संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया गया।

कौशल को पहचानने पर हुए सत्र में अर्थ और निर्णय के उद्देश्य के साथ न्यायिक कैरियर में निर्णय के मूल्य पर चर्चा की गई। सामाजिक मानदंडों और सुधारों पर निर्णयों के प्रभाव पर चर्चा की गई और न्यायाधीशों की नेतृत्व भूमिका पर जोर दिया गया। जज द मास्टर ऑफ कोर्ट : कोर्ट मैनेजमेंट एंड केस मैनेजमेंट पर सत्र में टीम लीडरशिप की अवधारणा और कोर्ट मैनेजमेंट के विभिन्न तत्वों पर भी चर्चा हुई। सबूत के सिद्धांतों पर सत्र मेंःदीवानी और आपराधिक मामलों में प्रशंसा साक्ष्य के कानून के पीछे के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा की गई और मनमाने ढंग से जांच के दायरे को सीमित करने में साक्ष्यों के नियमों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर हुए सत्र मेंः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी पर स्थान अनुरेखण और न्यायशास्त्र के तंत्र, अपराध जांच में नए क्षितिज, संग्रहण, संरक्षण और कॉल डेटा रिकॉर्ड (सी डी आर) के उपयोग पर चर्चा की गई। इसके अलावा, अपराध और डी एन की सीमाओं को सुलझाने में डी एन ए के उपयोग अपर्याप्त नमूना, दूषित नमूना और योग्य विशेषज्ञों की कमी के कारण एक सबूत पर चर्चा की गई। भारत में विधि–व्यवस्था से संबंधित कमियों जिनमें अनुचित संग्रह, अनुचित संरक्षण, साक्ष्य एकत्र न करना, हिरासत की श्रृंखला का रखरखाव न करना और विश्लेषण के लिए विलंबित प्रेषण शामिल है।

प्रतिकूल और जिज्ञासु प्रणाली में न्यायाधीशों की भूमिका और न्यायिक भूमिका के दायरे पर चर्चा की गई। म्यांमार में आपराधिक मुकदमे में न्यायाधीश की भूमिका और पुलिस द्वारा जांच करते समय अपनाई गई प्रक्रियाओं पर दबाव डाला गया। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सत्र में निष्पक्ष और त्वरित विचारण और भारतीय संविधान के मानवाधिकार अनुच्छेद 20 और म्यांमार के संविधान में इसी तरह के प्रावधानों पर चर्चा की गई। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार पर भी चर्चा हुई। निष्पक्ष और त्वरित विचारण और मानवाधिकारों पर भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया।

आईसीटी और ई–न्यायपालिका पर हुए सत्र में भारतीय अदालतों के आई सी टी सक्षमता, उच्चतम न्यायालय की ई–समिति के गठन और ई न्यायालय परियोजना के चरण–1 और चरण–2 में किए गए विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। चर्चाओं में अदालतों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के विकास यानी सी.आई.एस. (केस इंफॉर्मेशन सिस्टम) और एन जे डी जी (नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड) की विभिन्न विशेषताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत में नागरिक कानूनों में हाल की घटनाओं पर चर्चा करते हुए हाल ही में नागरिक कानूनों को अधिनियमित किया गया और कई कानूनों में संशोधनों पर चर्चा की गई जिसमें इस तरह के शामिल थे– कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सम्मन की कुशल सेवा में सुधार और स्थगन के अनुदान को कम करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए दीवानी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए विभिन्न अन्य तरीकों पर चर्चा की गई। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान, वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता और भारत में पारिवारिक विवादों के लिए एक विधि के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधानों के लाभ और दलील सौदेबाजी की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया।

स्थानीय यात्रा और अध्ययन यात्रा– म्यांमार से प्रतिभागी न्यायाधीशों को 25 अगस्त, 2019 को राज्य संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय की स्थानीय यात्रा के लिए ले जाया गया था। इन्हें 26 अगस्त, 2019 को एम्स भोपाल, 27 अगस्त 2019 को जिला न्यायालय भोपाल और 28 अगस्त, 2019 को केंद्रीय कारागार भोपाल के अध्ययन दौरे के लिए ले जाया गया।

पी–1164: गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994: 31 अगस्त – 1 सितंबर, 2019 पर मजिस्ट्रेटों के लिए कार्यशाला

कार्यशाला में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (इसके बाद, पीसी और पीएनडीटी अधिनियम) के प्रावधानों के कार्यान्वयन में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की क्षमता बढ़ाने और मामलों के त्वरित निपटान के लिए तैयार किया गया था। कार्यशाला में पी सी और पी एन डी टी अधिनियम के सामाजिक संदर्भ से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया गर्भावस्था और लिंग चयन की चिकित्सा समाप्ति के बीच ग्रे क्षेत्र पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत प्राधिकरणों की भूमिका और कार्य पी सी और पी एन डी टी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित न्याय शास्त्र पी सी एंड पी एन डी टी एक्ट के तहत ट्रायल प्रोसेस और सबूतों की सराहना।

इस मुद्दे को लेकर सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है और कानून के केन्द्रीयकृत क्रियान्वयन की जरूरत है। लैंगिक समानता और समानता के संबंध में लिंग चयन को संबोधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों पर चर्चा की गई। सलाहकार समिति के गठन और भूमिका पर चर्चा की गई। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि किसी को निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया का हमेशा पालन किया जाना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मामले के किसी भी स्तर पर पराजित नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी और रिमांड के सिद्धांत पर चर्चा की गई। रिकॉर्ड खोजने और जब्त करने की शक्तियों से संबंधित धारा 30 पर भी चर्चा की गई। साक्ष्यों के सामान्य नियम के संबंध में इस बात पर जोर दिया गया कि पहचान परेड एक कमजोर साक्ष्य है जब तक कि अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्ट न हो। इस बात पर जोर दिया गया कि सबसे अच्छा सबूत प्रत्यक्ष सबूत है और दस्तावेजी सबूतों की मौजूदगी में मौखिक सबूतों को बाहर रखा जाना चाहिए। बाल गवाह के सबूत दर्ज करते समय अदालत को सबूत देने के लिए बच्चे की क्षमता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होता है।

पी–1165: अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला: 06 – 08 सितंबर, 2019

कार्यशाला ने प्रतिभागियों को अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए निम्नलिखित हेतु एक मंच प्रदान किया उन्हें ए डी आर प्रणाली के कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रेरित करना, अधीनस्थ न्यायालयों में अदालत और मामले प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करने के प्रचलित सजा प्रथाओं और फायदों का गंभीर विश्लेषण करना। शामिल विषयों में संग्रह, संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सराहना से संबंधित मुद्दे और प्रथाएं शामिल थीं साइबर अपराधों और निष्पक्ष सत्र परीक्षणों के महत्व को विनियमित करने वाले कानूनों में मुद्दे। केस–लोड को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए ए डी आर प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रभाव के महत्वपूर्ण विश्लेषण पर, यह दावा किया गया था कि चूंकि विवाद समाधान अक्सर एक प्रबंधकीय कार्य होता है और मध्यस्थता एक पसंदीदा एडीआर तकनीक होती है, इसलिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी और मध्यस्थता कौशल का निरंतर सम्मान दो स्पष्ट टेकअवे हैं। ''कोर्ट और केस मैनेजमेंट'' विषय से निपटने के दौरान, संवर्द्धित रूप से बेहतर उत्पादन देने के लिए एक विशेष अदालत कक्ष में दक्षता और अभिनवता के आधिक्य पर चर्चा की गई। एक सत्र में ''निष्पक्ष परीक्षण'' के प्रमुख सिद्धांतों को शामिल किया गया और मामले कानून न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए भारत में इसके विकास को कवर किया गया। क्रि.पी.सी के प्रावधानों के तहत परिकल्पित गवाहों की जांच, गवाह संरक्षण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और गवाह की जांच और उनके बयानों की रिकॉर्डिंग मौलिक प्रवचन का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाने के लिए। ''साइबर अपराधों से संबंधित कानूनः अग्रिम और समस्या क्षेत्र'' पर सत्र सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसके बाद आईटी अधिनियम) के माध्यम से भारत में साइबर अपराधों को संबोधित करने वाली प्रचलित विधायिका के दायरे की पेचीदगियों को सामने आया। आईटी अधिनियम की स्थापना और उद्देश्य, विशेष रूप से ''ई–कॉमर्स'' को विनियमित करने के लिए, और वर्षों से इसके विकास ने विभिन्न आपराधिक कृत्यों और चूक जैसे धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, तांक–झांक, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर–बदमाशी, साइबर आतंकवाद, साइबर जबरन वसूली, डेटा गोपनीयता आदि को विनियमित करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया। साइबर अपराधों और उनकी कार्यप्रणाली को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणय आईटी अधिनियम के तहत ''मध्यस्थ देयता'' से संबंधित कानूनः बिचौलियों के दिशा–निर्देश नियम, 2011 और प्रासंगिक मामला कानून

न्यायशास्त्र चर्चा का हिस्सा बना। ''इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यः संग्रह, संरक्षण और प्रशंसा'' पर सत्र ने भौतिक और आभासी अपराधों दोनों में ई–साक्ष्य की अपरिहार्य प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। ''सजाः मुद्दों और चुनौतियों'' पर सत्र पश्चिमी देशों के विपरीत सजा पर किसी भी नीति या दिशानिर्देश के अभाव के तथ्य पर आधारित था। सजा में निश्चितता की कठोरता में निरंकुशता और रस्सी को छोड़ने के लिए सजा प्रथाओं में ''एकरूपता'' और ''समानता'' के प्रमुख कारकों पर रहता था। एक अन्य सत्र में अपने दीवानी और आपराधिक क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीशों के ''अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार'' के बीच भेद पर केंद्रित समझ, गुंजाइश और सिद्धांत को शामिल किया गया।

पी-1166: जूनियर डिवीजन न्यायाधीश के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्रामः 06–12 सितंबर, 2019

इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को न्यायिक भूमिका को समझने और संवैधानिक लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझने में मदद की। साथ में,न्यायिक सोच और तकनीकी प्रगति में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। न्यायाधीशों में प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक कानून और व्यवहार के कई पहलुओं ने विचार–विमर्श का एक अभिन्न हिस्सा बनाया।

न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण पर सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि 'न्याय' एक ऐसा गुण है जो सभी सीमाओं से परे है और यह बहुत ही सद्गुण है जो हमारे संविधान का दर्शन है। न्यायपालिका की भूमिका सरकार की लगातार बढ़ती शक्तियों के खिलाफ लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। *संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायालयों की भूमिका और मूल न्यायिक मूल्यों के पालन* पर सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कानून में बहुत सारी अनियमितताएं हैं और न्यायालयों का उद्देश्य उन अनियमितताओं को दूर करना है। न्यायाधीशों के समक्ष पेश की जाने वाली नई चुनौतियों या प्रवृत्तियों का समुचित समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अदालतों के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यवहार और संस्थागत दोनों स्तर पर कानून के शासन की सामग्री को बनाए रखें और उनका सम्मान करें। *वर्तमान न्यायिक तरीकों की खोज* नामक सत्र में यह रेखांकित किया गया कि अधिकांश वादियों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है और इसलिए न्यायाधीशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समाज के कमजोर वर्गों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा में उनकी भूमिका को जानें अन्यथा गरीब लोगों को एक गणराज्य में उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। 'कोर्ट रूम टेक्नालाजी : कोर्ट में आई सी टी का उपयोग' पर हुए सत्र में आई सी टी ने सर्वोत्तम प्रेक्टिस और सिस्टम को बतलाया जिन्होंने कोर्ट व्यवस्थाओं में सुधार लाया है। इन पर विस्तार से चर्चा हुई। *डॉकेट के प्रबंधन पर सत्र के दौरान चर्चाः* अदालत और मामला प्रबंधन ने जोर देकर कहा कि सफलता की नींव टीम वर्क है जो संभव है जब टीम प्रबंधन के तत्वों को शामिल करती है– योजना, आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रित करना। ए डी आर और दलील सौदेबाजी पर विचार–विमर्श में सुझाव दिया गया कि लंबित मामलों के मामले में न्यायाधीश अंतरिम आवेदन की सुनवाई के समय या मुद्दों को तैयार करने के बाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं। नए मामलों के मामले में मध्यस्थता खुद को दाखिल करने के समय या पहली सुनवाई के बाद एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक *साक्ष्य पर सत्रः* संग्रह, संरक्षण और प्रशंसा ने सुझाव दिया कि सबूत के सबूत मानक की सराहना करते हुए, प्रामाणिकता का स्रोत और सबसे अच्छा सबूत नियम बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल और आपराधिक परीक्षणों में फोरेंसिक साक्ष्यों पर चर्चा करते समय फोरेंसिक विशेषज्ञों की विभिन्न उप–श्रेणियों और उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। उन श्रेणियों में फोरेंसिक नारकोटिक्स, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण,

फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक आदि शामिल थे। न्याय वितरण प्रणाली में इसके महत्व के साथ–साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए डेटा बैंक जैसी अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कौशल को पहचानने पर सत्र के दौरान चर्चाः आरोप तैयार करने का सुझाव दिया है कि आपराधिक परीक्षणों में आरोप अभियोग की नींव है इसलिए यह देखने के लिए कि सही सही आरोपण किया गया है, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। *कौशल को पहचानने पर सत्रः* कला, शिल्प और मसौदा निर्णय के विज्ञान ने रेखांकित किया कि न्यायिक घोषणाओं प्रकृति में न्यायिक होना चाहिए और संयम और संयम से विदा नहीं होना चाहिए। एक निर्णय देते समय, अदालत को मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और उसमें लागू कानून के सिद्धांतों को ठीक से राज करना चाहिए और यह प्रत्येक मुद्दे पर खोज रहा है। *सुनवाई की कला पर सत्र में विचार विमर्शः* अदालत में तर्कसंगत प्रवचन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है कि एक न्यायाधीश गवाहों के लिए सवाल प्रस्तुत करने के क्रम में सच्चाई का पता लगाने के द्वारा कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि न्यायालय को समान मामलों में विभिन्न अंतरिम आदेश/अंतिम आदेश पारित नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे अशांति होती है, न्यायिक प्रणाली में विश्वास की हानि होती है और जनता भ्रमित महसूस करती है और परिणाम अराजकता पैदा करता है। 'गिरफ्तार व्यक्ति प्रतिभागियों के पहली बार प्रस्तुति पर मजिस्ट्रेटों की भूमिका' पर चर्चा करते हुए केवल कानून के अनुरूप आदेश देने का सुझाव दिया गया था और भावनाओं के साथ प्रवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रतिभागियों को रिमांड के लिए आदेश पारित करने में यंत्रवत् नहीं होने का सुझाव भी दिया गया। *फेयर ट्रायल पर चर्चाः* निष्पक्ष प्रक्रियाओं में निष्पक्ष विचारण के विभिन्न गुणों जैसे त्वरित विचारण, बेगुनाही की धारणा, पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार, अभियुक्तों को मौन रखने का अधिकार, सार्वजनिक विचारण और जन सुनवाई का महत्व, निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। *लैंगिक न्याय हासिल करने में न्यायालयों की भूमिका* पर चर्चा करते हुए भाग–3 और भाग–4 में भारत के संविधान में निहित लैंगिक न्याय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और परंपराओं और उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों को विस्तार से बताया गया। *उदाहरण के कानून पर और एप्लीकेशन ऑफ रेशो डिसाइडेंडी पर हुए सत्र मेंः* अनुपात पहचान और अनुपात का अनुप्रयोग और यह ओबिएटर डिक्टा से कैसे अलग है, इस पर चर्चा हुई। न्यायाधीशों में व्यावसायिक तनाव पर बातचित के दौरानः पहचान और तनाव के परिणाम इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि न्यायाधीशों से मल्टीटास्कर्स होने की उम्मीद है, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी क्षमता का एहसास करें ताकि वे बढ़ी हुई भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से तनाव का प्रबंधन कर सकें। इसके अलावा, *न्यायिक तनाव के प्रबंधन पर सत्रः* संस्थागत रणनीतियों और तकनीकों ने विविध तरीकों की सिफारिश की जो संस्थागत स्तर पर तनाव से निपटने के लिए बहुत उपयोग की जा सकती हैं।

पी-1167ः कोर्ट प्रशासन, प्रबंधन और आईसीटी पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी 13 से 15 सितंबर, 2019

संगोष्ठी में प्रतिभागी न्यायाधीशों को प्रौद्योगिकी सम्मेलन के माध्यम से री–इंजीनियरिंग अदालत प्रक्रिया, हितधारकों के बीच संबंध प्रबंधन, अदालत प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, कैडर प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन और अदालत प्रशासन को मजबूत करने के लिए समय प्रबंधन, न्याय वितरण में

बेहतर पहुंच और पारदर्शिता सहित समकालीन विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से पुर्नइंजीनियरिंग अदालती प्रक्रियाओं पर विचार–विमर्श करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि कंप्यूटरीकरण के इष्टतम लाभों को प्राप्त करने के लिए न्याय वितरण प्रणाली की कई आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना होगा और उनमें से कुछ को भी दूर करना पड़ सकता है और कई नई प्रक्रियाओं को डिजाइन करना होगा। यह समझाया गया कि प्रौद्योगिकी एकीकरण अदालतों की मदद कैसे कर सकता है और अदालतों में प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए पूर्व–आवश्यकताएं क्या हैं। दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटल संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और संरक्षण/अभिलेखीय, दस्तावेजों की अनुक्रमण, जल–अंकन, डिजिटल हस्ताक्षर और स्कैन किए गए दस्तावेजों की गुणवत्ता जांच और उन्मूलन जैसे डिजिटलीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया गया। नई केस मैनेजमेंट सिस्टम के विभिन्न उद्देश्यों जैसे विवाद का जल्द समाधान, परीक्षण समय में कमी, न्यायिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग, केस लोड की निगरानी, आईसीटी समर्थन का विकास और बढ़ी हुई सार्वजनिक जवाबदेही पर प्रकाश डाला गया। अदालत और केस मैनेजमेंट जैसे न्यायिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व, केस प्रोग्रेस के कोर्ट सुपरविजन, इंफॉर्मेशन सिस्टम की निगरानी और स्थगनों के सख्त नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी सेमिनार में चर्चा की गई।

पी–1168: परिवार न्यायालय के लिए रिफ्रेशर कोर्स 20– 24 सितंबर, 2019

इस कार्यक्रम में परिवार न्यायालयों के संवैधानिक और विधायी अधिदेश, पारिवारिक विवादों के प्रभावी समाधान के लिए संचार कौशल और तकनीकों, तलाक और रखरखाव कार्यवाही में न्यायाधीशों की भूमिका, परिवार न्यायालयों द्वारा संपत्ति विवादों का न्यायनिर्णयन, बाल हिरासत और अभिभावकत्व मुद्दों आदि पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिभागियों के बीच विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान की गई। परिवार न्यायालयों के संवैधानिक और विधायी अधिदेश पर सत्र इस बात पर जोर देकर शुरू हुआ कि परिवार न्यायालय अधिनियम में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि अधिवक्ता परिवार न्यायालयों में तब तक उपस्थित नहीं हो सकते जब तक कि न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न हो। यह प्रावधान परिवार न्यायालयों को प्रक्रिया और वातावरण में अधिक अनौपचारिक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। उम्मीद है कि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश का सामाजिक–कानूनी दृष्टिकोण होगा और वह सोशल इंजीनियर के रूप में काम करेगा। परिवार अदालत के न्यायाधीश का उद्देश्य परिवार की संस्था को संरक्षित करना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की तुलना में सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम प्रस्तुत करना होना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि एक निश्चित सीमा तक परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को मध्यस्थ, एक सुविधादाता और परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करना चाहिए ताकि पक्षकार विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंच सकें। परिवार न्यायालय के एक न्यायाधीश को संविधान में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और सी ई डी ए डब्ल्यू जैसे अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों की जानकारी होनी चाहिए। संचार कौशल और पारिवारिक विवादों के प्रभावी समाधान के लिए तकनीकों पर सत्र में, यह जोर दिया गया था कि न्यायाधीश को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अदालत सभी प्रक्रियात्मक कठोरता के साथ एक नियमित अदालत की तरह नहीं दिखता है। उसका व्यवहार वादी हितैषी होना चाहिए। एक परिवार अदालत को वादियों के साथ सम्मान और विनम्रता की एक निश्चित डिग्री के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। *तलाक*

की कार्यवाही और रखरखाव की कार्यवाही में न्यायाधीशों की भूमिका पर सत्रः परिवार अदालतों के कट्टरपंथी दृष्टिकोण, जोर दिया है कि, यहां तक कि समकालीन समय में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारी असमानताएं और लैंगिक पूर्वाग्रह हैं। इसलिए रखरखाव के मामलों पर निर्णय लेते समय महिलाओं की इस सामाजिक स्थिति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भरण–पोषण की राशि ऐसी होनी चाहिए जो पत्नी के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो। विवाद से पहले रखरखाव, पक्षकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और उनकी जीवनशैली को भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शैलकुमारी देवी विरूद्ध कृष्ण भगवान पाठक। द्वितीय (2008) डीएमसी 363 एससी), रोहतेश सिंह विरूद्ध रामेंद्री (I (2000) डीएमसी 338 एससी) आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। मोहम्मद हामिद अंसारी के मामले के विशेष संदर्भ के साथ मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अहमद खान विरूद्ध शाह बानो बेगम, (एआईआर 1985 एससी 945) और उसके बाद। डैनियल लतीफी विरूद्ध जैसे न्यायिक उदाहरण यूनियन ऑफ इंडिया (2001) 7 एससीसी 740 और शबाना बानू विरूद्ध इमान खान एआईआर 2010 एस.सी 315 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बाल हिरासत और अभिभावकत्व पर सत्रः मुद्दों और चुनौतियों, एक सिमुलेशन अभ्यास के साथ शुरू किया। एक पैनल चर्चा के बाद। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायाधीशों को बाल हिरासत के सभी मामलों में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और हर मामले को अपना मानना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया गया कि बाल अभिरक्षा विवाद को बच्चे पर उनके अधिकारों को लेकर पति–पत्नी के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे बच्चे के अधिकारों को लेकर विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के संविधान और अन्य कानूनों के तहत इन प्रावधानों के साथ–साथ बाल अधिकार सम्मेलन, यू डी एच आर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। पारिवारिक विवादों के समाधान में परामर्श, सुलह और मध्यस्थता पर सत्र में यह कहा गया था कि वैवाहिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से भारत में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 ने वैवाहिक विवादों को निपटाने के साधन के रूप में सुलह को मान्यता दी थी। चर्चा में संचार कौशल, निष्पक्षता/तटस्थता, धैर्य, संवेदनशीलता, रचनात्मकता आदि मध्यस्थ के कुछ गुणों पर प्रकाश डाला गया। यह दोहराया गया कि अदालत को विवाद की प्रकृति का पता लगाकर रेफरल के लिए किसी मामले की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए। यह भी बताया गया कि यद्यपि पारिवारिक विवाद को कार्यवाही के किसी भी चरण में मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है लेकिन आदर्श रूप में यह विपरीत पक्ष पर नोटिस की सेवा के बाद और आपत्तियां/लिखित वक्तव्य दर्ज करने से पहले किया जाना चाहिए। लैंगिक न्याय और लैंगिक पूर्वाग्रह पर सत्रः संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे समाज में निहित लैंगिक पूर्वाग्रह के खतरे और इस संबंध में अधिक संवेदनशील न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा की गई। बच्चे के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करने के लिए मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर सत्र ने हिरासत मामलों से निपटने के दौरान मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम हित अवधारणा से संबंधित मुद्दों का पता लगाया और विशेष रूप से एक बच्चे की हिरासत से निपटने के दौरान परिवार अदालत के न्यायाधीशों के संवेदनशील और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके अलावा, चर्चा में हिरासत विवादों के संबंध में तर्कसंगत भावनात्मक चिकित्सा और कई समुद्री मील सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डाला गया और इस बात पर सहमति हुई कि हिरासत विवादों का निर्णय लेने का आदर्श तरीका मध्यस्थता/सुलह के माध्यम से है और उचित मामलों में इनका सहारा लिया जाना चाहिए। *वैवाहिक विवादों और पारिवारिक विवादों को समझने में युगल चिकित्सा और समूह चिकित्सा के महत्व पर सत्रः* चार मामले के अध्ययन के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा भूमिका निभाने पर एक मनोवैज्ञानिक–सामाजिक दृ

दृष्टिकोण आधारित थे। इन सिमुलेशन अभ्यासों के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि न्यायाधीश पारिवारिक विवादों को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें ताकि वे अपने नजरिए, राय या दृष्टिकोण से सहानुभूति रख सकें।

भारत में एनआरआई विवाहों के मामलों पर सत्रः मुद्दों और चुनौतियों ने जोर देकर कहा कि एनआरआई विवाहों ने न केवल पत्नी और बच्चों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है और जिसके लिए तेजी से और सुलभ कानूनी उपचार लगभग नहीं मिल रहे हैं। सामाजिक पहलू के अलावा, ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख कानूनी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि अदालतों का क्षेत्राधिकार। इस तरह के विवाद को हल करने में लागू कानून प्रक्रिया का पालन किया जाना है। विदेशी निर्णयों की मान्यता, विदेशी न्यायिक आदेशों को लागू करना, तलाक के फरमान के लिए मंच शिकार, भारत में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव में सांविधिक कानून की व्याख्या, एनआरआई विवाह के संदर्भ में निवास और अधिवास का अर्थ, व्यक्तिगत उपस्थिति और अदालत के सम्मन आदि की अवज्ञा के लिए पासपोर्ट की जब्ती। फरवरी, 2019 में संसद के उच्च सदन में पेश किए गए भारत के अनिवासी के विवाह के पंजीकरण संबंधी विधेयक का उल्लेख किया गया था, जिसमें अधिक जवाबदेही बनाने और उनके एनआरआई जीवन साथी द्वारा भारतीय महिलाओं के शोषण के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कानून की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। पारिवारिक अदालतों के कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर सत्र में प्रतिभागियों ने पारिवारिक अदालतों के उद्देश्य, पारिवारिक अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियों और उक्त चुनौतियों से उबरने के समाधानों पर अपनी अंतर्दृष्टि और जानकारी प्रदान की।

पी–1170: सी ई ई एल आई संस्थान और संघीय न्यायिक केंद्र, वाशिंगटन [चरण चतुर्थ, भाग द्वितीय के सहयोग से आतंकवाद के मामलों को न्यायनिर्णयन पर कार्यशालाः 27–29 सितंबर, 2019

कार्यशाला में अगस्त 2019 (पी–1163) में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वालों के अलावा 40 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया था। फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों पर सत्र ने आतंकी हमले के मामलों में फोरेंसिक सबूतों की सराहना करने से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस बहुमंच कार्यक्रम की समग्र अवधारणा हेग मेमोरेंडम ऑफ गुड प्रैक्टिसेज और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ''राबड़ ज्ञापन'' में उल्लिखित कदमों के कार्यान्वयन के बारे में जागरूक करना था। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा तकनीक जैसे समूह चर्चा, केस स्टडी, ब्रेन स्टॉर्मिंग गतिविधियों आदि को अपनाकर न्यायिक शिक्षा प्रदान करना भी था। प्रतिभागियों को सीखने को प्रभावी बनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये कार्यशालाएं अकादमी में न्यायिक प्रशिक्षण देने के अधिक पारंपरिक तरीकों पर आधारित थीं।

पी–1171: वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला, 28–29 सितंबर, 2019

कार्यशाला की परिकल्पना कानून– वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अधिनियम, 2017 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों के विकास के लिए प्रासंगिक मानक मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, अलग और कई कराधान की व्यवस्था

से लेकर विविध कर डोमेन और क्षेत्राधिकारों यानी संघीय और राज्य में पर्याप्त एकरूपता में से एक है। इसका उद्देश्य इस विधायी बदलाव के परिणामस्वरूप संघर्ष और मुकदमेबाजी के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और वर्गीकृत करना है और क्षेत्र में संवैधानिक विकास और न्यायनिर्णयन और सामाजिक–न्यायिक निष्कर्ष जो इस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं।

अप्रत्यक्ष करों पर सत्र – *ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और जीएसटी:*. जीएसटी के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य और अवलोकन में जीएसटी की पूर्व और बाद की अवधि में देश में अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तुलनात्मक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू करने के कारणों पर चर्चा की गई जिसमें कर सुधार, 'व्यापक प्रभाव' को खत्म करना, समान कराधान, सरल प्रणाली और एक बाजार शामिल है। इस बात पर जोर दिया गया कि जीएसटी व्यवस्था सूचियों आधारित लेवी प्रणाली से बदलाव का प्रतीक है और इसका उद्देश्य जीएसटी के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल को समान मंच प्रदान करना है। संविधान के 101वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 246ए (1) पर विस्तार से चर्चा की गई। आपूर्ति की अवधारणा पर सत्र में सीजीएसटी अधिनियम के तहत आपूर्ति की परिभाषा, अनुसूची 1 में गतिविधियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता और मुआवजे और विचार की अवधारणा पर चर्चा की गई। आपूर्ति के दायरे और अनुसूची II के साथ इसके संबंधों पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 (1 ए) के व्यवसाय और प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए स्थितियों के संदर्भ में आपूर्ति की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। अनुसूची–1 से संबंधित मुद्दे पर विचार के अभाव में भी संसद गतिविधियों को आपूर्ति के रूप में मान सकती है, इस पर सत्र में विचार–विमर्श किया गया। वर्गीकरण पर सत्र में: मिश्रित/समग्र आपूर्ति समग्र आपूर्ति और प्रमुख आपूर्ति के अर्थ पर चर्चा की गई। समग्र आपूर्ति, प्रमुख सेवा, सहायक सेवा, अविभाज्य आर्थिक लेनदेन और अलग मूल्य निर्धारण की अवधारणा को समझाने के लिए विदेशी निर्णयों पर चर्चा की गई।

मूल्यांकन पर सत्र में समय और आपूर्ति की जगह भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की संवैधानिक योजना पर चर्चा की गई और संविधान के अनुच्छेद 286 (1), अनुच्छेद 286 (2) और अनुच्छेद 269। (5) का उल्लेख किया गया। 'समय और आपूर्ति की जगह' शब्द के बारे में बताया गया। आपूर्ति की जगह निर्धारित करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जिनमें माल के आयात और निर्यात के अलावा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित धारा 10, वस्तुओं के आयात और निर्यात की आपूर्ति के स्थान से संबंधित धारा 11, आपूर्ति के स्थान से संबंधित धारा 12 जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान विदेश में है और प्राप्तकर्ता भारत में है और आपूर्ति के स्थान से संबंधित धारा 13 जहां आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है इस पर चर्चा हुई।

केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट मुद्दे पर सत्र में चर्चा की गई और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और संविधान के अनुच्छेद 269 (ए) (1) का उल्लेख किया गया। छूट आपूर्ति और क्रेडिट का दावा करने की पात्रता से संबंधित मुद्दों, मुफ्त आपूर्ति के मुद्दे और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिबंध की अवधारणा पर चर्चा की गई। इस मुद्दे पर कि क्या आई टी सी लाभ प्राप्त करने के लिए आपूर्ति के लिए इनकार कर दिया है जो जीएसटी अधिनियम के तहत कर के लिए उगाही नहीं कर रहे है 'छूट आपूर्ति' की परिभाषा के भीतर 'गैर कर योग्य आपूर्ति' शामिल करने पर भी चर्चा की गई।

पी–1172: एनडीपीएस कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्सः 04–06 अक्टूबर, 2019

रिफ्रेशर कोर्स में खोज और जब्ती के विभिन्न प्रावधानों, दोषी मानसिक स्थिति के अनुमानों, नशीली दवाओं की मात्रा का निर्धारण, सबूत का रिवर्स बोझ और न्यायिक कार्यवाही में फोरेंसिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि नशीली दवाओं की मात्रा के निर्धारण में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बारीकी से जांच जरूरी है। विभिन्न ऐतिहासिक मामलों जैसे संदर्भ दिए गए थे, ई मिचेल राज बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (2008) 5 एससीसी 161 एसके राजू बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल (2018) 9 एससीसी 708, मोहिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2018) 18 एससीसी 540, और आरिफ खान बनाम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड (2018) 18 एससीसी 380। अध्यक्ष द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत अनिवार्य आवश्यकताएं, यदि पालन नहीं किया जाता है तो जांच प्राधिकरण पर गंभीर आपत्ति उठाएंगे। यह कहा गया था कि निषिद्ध का नमूना साक्ष्यों के साथ सह–संबंधित होना चाहिए और धारा 54 और 35 को एक साथ लागू करना आवश्यक नहीं है। जैसे चर्चा विषयों के दौरान वारंट के बिना खोज, अधिकृत व्यक्ति और सरकारी और निजी वाहन की खोज पर संबंधित प्रावधानों के अनुरूप विस्तार से चर्चा की गई।

पी–1173: उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए कार्यशालाः 05 –06 अक्टूबर, 2019

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए कार्यशालाओं में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया था जिन्होंने न्यायिक शाखा और अन्य प्रासंगिक डोमेन विशेषज्ञों के विशिष्ट विशेशज्ञ व्यक्तियों के एक पैनल के साथ अनुभवों, अंतर्दृष्टि और सुझावों को साझा करने के लिए न्यायमूर्तियों को एक मंच प्रदान किया। वर्तमान कार्यशाला में संविधान में 'दरवाजा बंद करने वाली चुप्पी' और 'दरवाजा खोलने वाली चुप्पी' 'के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए शुरू किया गया और संविधान में चुप्पी को अर्थ देने की स्वीकार्य सीमा का संकेत दिया गया।

यह कहा गया था कि मानव स्वतंत्रता संविधान के पूरे विचार उत्पन्न करती है और समाज के सभी वर्ग संविधान के अर्थ को बढ़ाने के लिए भाग लेते हैं। और यह या तो अदालतों, विधायिका, कार्यपालिका या लोगों के संघ का एक व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक पहुंच कार्यपालिका की पहुंच का परिणाम है इसे 1970 के दशक में इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975 एआईआर 865, मिनर्वा मिल्स केस एआईआर 1980 एससी 1789, केशवानंद भारती केस एआईआर 1973 एससी 1461 के मामलों में संदर्भित किया गया था, जिसमें कई संवैधानिक संशोधन लाए गए थे। जीवन के अधिकार, गर्भपात की वैधता और जीवन के अधिकार के दायरे में आने वाले अन्य अधिकारों के संदर्भ में इच्छामृत्यु और मरने के अधिकार पर लंबी चर्चा की गई।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अनुच्छेद 227 को प्रभावी बनाने के लिए पूरे भारत में उच्च न्यायालयों के बीच एकरूपता होनी चाहिए। व्याख्या न्याय प्रशासन से भिन्न है और किसी विशेष उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को राज्य के कानून के रूप में नहीं बनाया जा सकता। उच्च न्यायालय पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने विनियमों को समाप्त नहीं कर सकते और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य की निगरानी में परामर्शदाता की भूमिका निभानी चाहिए। न्यायाधीशों को आंख मूंदकर ऐसे दृष्टांतों का पालन नहीं करना चाहिए जब तक कि मामले या निर्णय का आत्म–विश्लेषण नहीं किया जाता अन्यथा मन पक्षपातपूर्ण हो जाता है और दिया गया निर्णय महज कॉपी–पेस्ट होता है। उच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों द्वारा अपने पर्यवेक्षण का प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अनुच्छेद 227 खंड (2) और (3) के भ्रम की भी जांच की गई और यह सुझाव दिया गया कि उच्च न्यायालयों द्वारा कम घुसपैठ कभी–कभार अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बेहतर समाधान निकाल सकती है क्योंकि ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीश के बजाय गलत हो जाती है।

एसई–03: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए संगोष्ठी: 11–13 अक्टूबर, 2019

संगोष्ठी की शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 265 के दायरे और अनुप्रयोग पर चर्चा करके की गई और कराधान के बुनियादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया। यह कहा गया था कि नियम कराधान विधियों के मामले के रूप में हमेशा कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और केवल तभी जब कोई अस्पष्टता हो कि उद्देश्यपूर्ण या प्रासंगिक व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए। इस संबंध में, पूर्वव्यापी सिद्धांत, कर कानूनों में इक्विटी के सिद्धांतों की गैर–अक्षमता, निर्माण के लाभकारी नियम, अद्यतन या प्रगतिशील निर्माण के नियम पर चर्चा की गई। चर्चा में प्रभार की मात्राकरण, दंड प्रावधान, न्यायिक विवेक, पूर्वोदाहरण आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवधारणा और विकास पर विस्तार से प्रकाशित विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा की गई। कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन के संदर्भ में पोस्ट निर्णयात्मक सुनवाई के सिद्धांत, वचन एस्टोपेल और वैध अपेक्षा पर प्रकाश डाला गया। यह सलाह दी गई थी कि जब विभागीय न्यायनिर्णयकों द्वारा बाध्यकारी आदेशों का स्पष्ट त्याग होता है तो अपीलीय प्राधिकारी को या तो सख्ती या लागत लगाने के माध्यम से कुछ परिणाम सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एक समन्वय पीठ से अलग दृष्टिकोण है असहमति उचित कारणों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

न्यायनिर्णायकों की भूमिका पर सत्र में: नागरिकों और राजस्व के हितों को संतुलित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी भी मामले पर निर्णय देते समय प्रासंगिक सिद्धांतों की पहचान और मन के उचित अनुप्रयोग की आवश्यकता है। सत्र में कानून के आयामों को आकार देने और मूल्यांकन और राजस्व के हितों को संतुलित करते हुए विभिन्न अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं पर निर्देशित करने में अधिकरण की भूमिका और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया गया। यह सुझाव दिया गया था कि एक निर्णय स्पष्ट, सटीक, अच्छी तरह से संरचित होना चाहिए और किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए कि क्या व्यक्तिगत या पेशेवर। एक निर्णय तथ्यों का कथन सुनिश्चित करना चाहिए, मुद्दों को तैयार करना, साक्ष्यों का विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषा का प्रवाह स्पष्ट, तार्किक और सुसंगत हो।

पी–1174: नव श्रेष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए कार्यशाला:12 – 13 अक्टूबर, 2019

कार्यशाला में अदालतों में आईसीटी के समकालीन विषयों पर दक्षता में सुधार और न्याय प्रशासन को मजबूत करने के लिए अदालत प्रबंधन तकनीक न्यायिक समीक्षा, संघीय वास्तुकला, शक्तियों का पृथक्करण, बुनियादी संरचना का सिद्धांत और मौलिक अधिकार जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांत प्रतिभागी न्यायाधीशों के बीच विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान की गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिहाज से न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। सामाजिक संदर्भ को पहचानने, मौलिक अधिकारों,

त्वरित न्याय और न्याय तक पहुंच की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया। संघर्ष के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए हाल के उदाहरणों को साझा करके मौलिक अधिकारों की अवधारणा को विस्तार से बताया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे संघर्षों को हल करने के लिए एक न्यायाधीश को संविधान और उसके मूल्यों पर वापस जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मुद्दे पर इस प्रश्न पर चर्चा की गई कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किस सीमा और किस आधार पर कटौती की जा सकती है।

कार्यपालक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा पर चर्चा की गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष के क्षेत्रों को कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की मदद से संक्षेप में समझाया गया।

पी–1175–84: न्यायालय उत्कृष्टता उन्नयन कार्यक्रमः 18–20 अक्टूबर, 2019

कार्यक्रम ने गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए बेहतर मानक कार्य मॉडल विकसित करने में चुनौतियों, बाधाओं और प्रयासों की पहचान करने के लिए मंच प्रदान किया। इस उद्देश्य में अदालतों का आकलन करना और प्रदर्शन बढ़ाना शामिल था अदालत उत्कृष्टता के संकेतकों पर चर्चा और पहचान करना और मौजूदा अदालत के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करते हुए एक मॉडल कोर्ट योजना तैयार करना। यह शैक्षणिक वर्ष के दौरान निर्धारित दो क्लस्टर कार्यक्रमों में से पहला था। इस कार्यक्रम ने प्रणाली में विभिन्न हितधारकों और कर्तव्य धारकों के सहक्रियाओं का उपयोग करके गुणात्मक और समय पर न्याय बढ़ाने के लिए व्यापक ''कोर्ट एक्सीलेंस प्लान'' विकसित किया. एक कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें प्रणालीगत सुधार का आह्वान करने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। काफी हद तक सत्रों के दौरान होने वाले विचार–विमर्श और चर्चाएं इसके प्रारूप में क्लीनिकल थीं।

पी–1185: न्याय वितरण में अनुकूलन गुणवत्ता और दक्षता पर पश्चिम जोन–1 क्षेत्रीय सम्मेलनः चुनौतियां और अवसरः 19 और 20 अक्टूबर, 2019

सम्मेलन की शुरुआत इस बात पर जोर देकर हुई कि संविधान की प्रस्तावना को न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में पहचाना गया। इसमें राय दी गई कि समानता की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायाधीश की भूमिका बिना किसी भय या पक्षपात के कानून को बनाए रखने की है। कहा गया कि फैसले को किसी राजनीतिक विचारधारा या आर्थिक सिद्धांत से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि पर ध्यान दिए बिना अवसर की समानता का प्रावधान है।. हालांकि जजों को आगाह किया गया था कि वे मामलों का फैसला करते समय सतर्क रहें ताकि कानूनों का दुरुपयोग न हो। न्यायाधीशों को विभिन्न कल्याणकारी कानूनों के पीछे के उद्देश्य और सामाजिक संदर्भ को समझने की भी सलाह दी गई जो उन्हें न्यायनिर्णयन में सहायता करेंगे। प्रतिभागियों को सुझाव दिया गया कि वे अपने अधीक्षण के तहत न्यायिक अधिकारियों के कामकाज की जांच और छानबीन करने के लिए एनजेडीजी की सहायता करें जो

उन्हें वृहद स्तर पर अदालत प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करेगा। यह भी सुझाव दिया गया था कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को गवाहों के बयान दर्ज करने और पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर होने पर विविध आवेदनों का निर्णय लेने के लिए पैनल में शामिल किया जा सकता है।

इस बात पर जोर दिया गया कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिखना भी संवर्ग प्रबंधन का हिस्सा है और इसे उचित विचार और देखभाल के बाद भरा जाना चाहिए न कि यांत्रिक तरीके से यह भी कहा गया कि पिछले वर्ष के बजट को कुछ प्रतिशत बढ़ाकर बजट तैयार करने में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। यह सिफारिश की गई थी कि भविष्य के लिए विशिष्ट उच्च न्यायालय के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए ताकि दस्तावेज में परिकल्पित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं। यह सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए और वार्षिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रदान करने वाली योजना के माध्यम से दृष्टि को क्रियान्वित करने के लिए एक ढांचा निर्धारित करना चाहिए। यह एक रोडमैप प्रदान करेगा और भविष्य और आकस्मिक व्यय को ध्यान में रखते हुए उचित बजटीय मांगें की जा सकती हैं। सुझाव दिया गया कि भवन एवं वित्त समिति को अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। यह भी सलाह दी गई कि प्रधान जिला जज बजट तैयार करने में प्रशिक्षण और सहायता के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एसई–05: बांग्लादेश न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (वरिष्ठ सहायक न्यायाधीशों, सहायक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के लिए) स्तर–2,: 01–07 नवंबर, 2019

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने प्रतिभागी न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एनजेए और बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुसार बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। वरिष्ठ सहायक न्यायाधीशों, सहायक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए पहले चरण का आयोजन एनजेए द्वारा भोपाल में और दूसरे चरण का आयोजन राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में किया गया था। संगोष्ठी में प्रतिभागियों को न्यायिक व्यवहार के तत्वों, पहचानने और निर्णय लेखन के कौशल से परिचित कराया गया और उन्हें भारत में अदालत और मामले प्रबंधन प्रणालियों से परिचित कराया गया और भारत और बांग्लादेश की कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में समानताएं खींचने के लिए न्याय प्रशासन में आईसीटी का उपयोग किया गया।

पहले दिन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना, भारत में अदालतों के क्षेत्राधिकार, लक्ष्यों, भूमिकाओं और मिशन के अवलोकन और वास्तुकला पर सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, सत्र को पहचानने के कौशल, अदालत और मामले प्रबंधन जैसे विषयों को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह राय दी गई थी कि ''कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है'' और ''अच्छा निर्णय अनुभव से आता है, और अनुभव बुरे निर्णयों से आता है

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अनुमान, प्रमाण के बोझ पर विचार–विमर्श किया गया। आईसीटी अधिनियम 2006 (बांग्लादेश) और इसके भारतीय समकक्ष आईटी, 2000 पर केंद्रित चर्चा की गई। फोरेंसिक साक्ष्यों के संबंध में, सामान्य रूप से सिविल और आपराधिक परीक्षण में इसके महत्व और विशेष रूप से डीएनए

प्रोफाइलिंग पर जोर दिया गया था। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन आदि की दृष्टि से मौलिक अधिकारों के साथ–साथ मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा की गई। आपराधिक न्याय प्रशासन और मानवाधिकारों के संबंध में यह कहा गया था कि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच मानवाधिकारों का एक पहलू है और यह आवश्यक है क्योंकि कानून समाज की महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। यह राय दी गई थी कि निर्णय देने वाली अदालत कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं करेगी कि अनुपात क्या है और ओबिएटर डिक्टा क्या है, यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करने/विश्लेषण करे। भेद बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी मिसाल, ऊर्ध्वाधर और गैर ऊर्ध्वाधर उदाहरणों के बीच खींचा गया था। अन्त में, भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक निर्णयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद न्यायिक अधिकारियों ने राज्य संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, सेंट्रल जेल और एम्स का दौरा किया।

पी–1186: बौद्धिक संपदा अधिकार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला (आईपीआर): 02– 03 नवंबर, 2019

कार्यशाला में प्रतिभागियों के बीच आईपीआर के प्रभावी न्यायनिर्णयन और प्रवर्तन, भारत सरकार की आईपीआर नीति और संधि से संबंधित दायित्वों, डिजिटल दुनिया में आईपीआर की चुनौतियों आदि विषयों पर चर्चा की सुविधा दी गई। प्रतिभागी न्यायमूर्ति ने आईपीआर विवादों के न्यायनिर्णयन में उनके सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि आईपीआर एक विशेष अवधि के लिए एकाधिकार अधिकार के अलावा कुछ नहीं है। आईपीआर जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई और डिजाइन के विभिन्न रूपों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक निर्णयों जैसे नोवार्टिस एजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बायर बनाम नेटको फार्मा आदि के आलोक में पेटेंट के विशेष संदर्भ वाली यात्राओं पर चर्चा की गई। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट विवादों में क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर सत्र में आईपीआर विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अदालतों को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले केंद्रीय कानूनों पर चर्चा की गई। सीपीसी के एसईसी 20, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, ट्रेडमार्क अधिनियम के एसईसी 134, पेटेंट अधिनियम के एसईसी 104 और कॉपीराइट अधिनियम के एसईसी 62 सहित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। आईपीआर मामलों में क्षेत्राधिकार के प्रयोग में चुनौतियों अर्थात् क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए विभिन्न संविधियों का अस्तित्व, ऑनलाइन आईपीआर उल्लंघन, उपयोगकर्ता गुमनामी, बदलते यूआरएल, प्रादेशिक सीमाएं आदि उदाहरणों के साथ चर्चा की गई। गतिशील निषेधाज्ञा और संबंधित मामले कानून न्यायशास्त्र की अवधारणा को भी समझाया गया। आईपी शासन में उभरते रुझानों पर सत्र में, भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, इस बात पर जोर दिया गया कि भारत लंबे समय से चली आ रही और नई चुनौतियों पर अपने आईपी ढांचे में पर्याप्त मापने योग्य सुधारों की कमी के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में है, जिसने पिछले एक साल में अमेरिकी अधिकार धारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह कहा गया था कि अधिकांश समस्याओं का सामना फार्मास्यूटिकल पेटेंट और भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की प्रतिक्रियाओं के कारण किया जाता है। पेटेंट आवेदनों, मुकदमों आदि के लंबे समय से लंबित होने से भारत के पेटेंट और अन्य आईपी व्यवस्था में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। सत्र में ''डिजिटल युग में बौद्धिक संपदा अधिकारों की चुनौतियां'' पर चर्चा की गई कि आविष्कार और इंटरनेट के विकास आईपीआर शासन में एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। इंटरनेट के विकास के कारण, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था से सूचना आधारित अर्थव्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। ईकॉमर्स के बढ़ते इस्तेमाल ने नए तरह के आईपीआर लिटिगेशन को

जन्म दिया है। सूचना युग ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को सबसे अधिक प्रभावित किया है। 3डी प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास ने आईपीआर शासन के रास्ते में भारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। इंटरनेट और सूचना युग जिस तरह से हम आईपीआर का उपयोग बदल गया है। आईपीआर में इंटरनेट द्वारा बनाई गई प्रमुख समस्या आईपीआर की सुरक्षा और क्षेत्राधिकार का मुद्दा है। माइस्पेस इंक बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 236 (2017) डीएलटी 478, केंट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम अमित कोटक 2017 (69) पीटीसी 551 (डेल), स्वामी रामदेव और अन्य जैसे महत्वपूर्ण मामले फेसबुक और ओआरएस। सीएस (ओएस) 27/2019 (23 अक्टूबर, 2019 को तय), यूट्यूब बनाम गीता श्रॉफ एफएओ 93/2018 (17 मई, 2018 को तय) पर विस्तार से चर्चा की गई।

पी–1187: संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी: 8–10 नवंबर, 2019

संगोष्ठी में अदालतों के समक्ष आने वाले कारणों पर लागू होने वाले ठोस और प्रक्रियात्मक जनादेश को संयोजित, लागू करने और निष्पादित करते हुए संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सिद्धांतों का पालन करने की अनिवार्यता पर चर्चा की गई। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा पर चर्चा में संविधान को सत्ता के वितरण, विभाजन और प्रबंधन के दस्तावेज के रूप में जोर दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य का कोई भी विंग सर्वोच्च न हो, बल्कि यह संविधान ही सर्वोच्च है। कानून और न्याय के शासन पर चर्चा करते हुए न्याय की अवधारणा, इसके घटकों और संवैधानिक आयामों को विस्तार से बताया गया। यह कहा गया कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम आवश्यक है और यह न्यायिक बुद्धिमत्ता है जो दोनों के बीच एक रेखा खींचती है। न्यायिक सक्रियता और न्यायाधीश की सक्रियता के बीच भेद पर चर्चा की गई। कहा गया कि व्यक्तिगत राय को संवैधानिक नैतिकता के लिए ऊंचा नहीं किया जाना चाहिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायाधीशों को सतर्क रहना चाहिए और सक्रियता से बचना चाहिए और न्यायिक समीक्षा करते समय, कानून को लागू करना न्यायालय का कर्तव्य है, और सक्रियता कानून में निहित होनी चाहिए न कि व्यक्तिगत दोषसिद्धि।

किसी भी कार्रवाई या कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक मानक ढांचे के रूप में संविधान पर जोर दिया गया राज्य के कामकाज के लिए वस्तुनिष्ठ दिशा–निर्देश देने वाले एक बुनियादी दस्तावेज के रूप मेंय और राज्य कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों का न्याय करना। राज्य के सिद्धांत पर विचार विमर्श में दृष्टिहीन कार्यान्वयन के बजाय उदाहरणों के लिए योग्य श्रद्धा पर जोर दिया गया था। यह कहा गया था कि कानून के विकास के रास्ते में उदाहरण खड़े नहीं होने चाहिए। पॉलीवोकल अदालतों के कारण उदाहरणों में असंबद्धता का मुद्दा भी था। राज्य के पंखों पर अंकुश लगाने और संविधान के संरक्षण के रूप में रिट क्षेत्राधिकार की भूमिका पर विचार–विमर्श किया गया। इसके बाद प्रत्यायोजित विधान, उप–शिष्टमंडल और सशर्त विधान की अवधारणाओं पर चर्चा की गई। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण और संतुलन पर चर्चा की गई और संसद द्वारा इन जांचों के अपर्याप्त प्रयोग पर चिंता व्यक्त की गई।

पी–1188: अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला: 15 – 17 नवंबर, 2019

कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि गवाहों की स्मृति में आने से पहले परीक्षण शीघ्रता से संपन्न किया जाना चाहिए। यह दबाव डाला गया कि निष्पक्ष विचारण के लिए तथ्यों को मार्शल किया

जाना है, साक्ष्यों पर विचार किया जाना है, न्यायिक कार्य को लागू करना होगा और फिर न्यायाधीशों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि निष्पक्ष विचारण के लिए न्यायाधीश को सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आपराधिक अपील और आपराधिक संशोधन के बीच अंतर पर चर्चा की गई। आपराधिक न्याय प्रशासन में अपीलीय और संशोधन न्यायालय की शक्तियां थीं। यह सुझाव दिया गया था कि जनता का न्यायिक प्रणाली में विश्वास है, इसलिए न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए और अत्यंत ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया गया कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए और किसी दोषी को सजा देते समय परिस्थितियों (अर्थात्, उत्तेजक/अपराध और शमन) को ठीक से तौला जाना चाहिए। वैकल्पिक विवाद समाधान (इसके बाद एडीआर) के विभिन्न बाधाओं और फायदों पर चर्चा की गई। बताया गया कि मध्यस्थता का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। एडीआर के लिए किसी मामले को रेफर करने का सही समय क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। भारत और अन्य देशों में मध्यस्थता और मध्यस्थता की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया। मध्यस्थता और सुलह के बीच कुछ मतभेदों को उजागर किया गया।

इसके अलावा, केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स पर चर्चा की गई। यह रेखांकित किया गया कि मामले प्रबंधन दक्षता में सुधार, देरी को कम करने और लागत में कटौती के लिए महत्वपूर्ण है। संशोधन क्षेत्राधिकार के संदर्भ में यह कहा गया था कि संशोधन का दायरा सीमित है। संशोधन और अपील के बीच का अंतर समझाया गया। साइबर अपराध से संबंधित कानूनों पर चर्चा करते हुए साइबर अपराधों और पारंपरिक अपराधों के बीच भेद बताया गया। इसी लाइन में साइबर अपराधों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर भी विचार–विमर्श किया गया। मामला श्रेया सिंघल एवं यूनियन ऑफ इंडिया, (2013) 12 एससीसी 73 पर विस्तार से चर्चा की गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में ई–साक्ष्यों के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा की गई। अर्थ, प्रकृति और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विशिष्ट विशेषताएं जो इसे पारंपरिक साक्ष्यों से अलग करती हैं, उन्हें समझाया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर स्पष्ट अर्थ की चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के तरीके बताए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विषय–वस्तु की स्वीकार्यता, साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज की सराहना और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी पर चर्चा की गई।

पी–1189: जूनियर डिवीजन जजों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्रामः 15 – 21 नवंबर, 2019

उन्मुखीकरण कार्यक्रम न्याय की अवधारणा पर चर्चा करके और न्यायिक प्रशासन का अवलोकन करके शुरू हुआ। इसके बाद संविधान के पार्ट–3 और पार्ट–4 के बीच संबंध, संविधान की भावना के अनुसार कानूनों की व्याख्या, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का वितरण और प्रबंधन, भारत के नागरिकों के प्रति सरकार के अंगों की जवाबदेही, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार के अंगों की शक्ति की सीमाओं पर विचार–विमर्श किया गया, संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका और वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय के विभिन्न पहलूओं पर भी विचार विमर्श हुआ।

निचली अदालतों में न्यायिक तरीकों पर चर्चा करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में तटस्थता, संवैधानिक मूल्यों के आलोक में कानूनों की व्याख्या, सीमित सरकारी शक्ति, कानून के शासन का कड़ाई से पालन, अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 113 को विस्तार से

बताया गया। डॉकेट के प्रबंधन पर चर्चा एक न्यायाधीश में नेतृत्व की गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला, संचार के तेज साधनों के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग, सार्वजनिक विश्वास और न्याय के प्रशासन में विश्वास और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में अदालत प्रबंधक की नौकरी को कायम रखने के साथ रहता था।

अदालतों में आईसीटी के उपयोग पर विचार–विमर्श गवाहों के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग और एनजेडीजी से मामले की प्रगति के संबंध में आंकड़ों के उपयोग पर केंद्रित था। अदालतों में आईसीटी के उपयोग पर विचार–विमर्श गवाहों के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग और एनजेडीजी से मामले की प्रगति के संबंध में आंकड़ों के उपयोग पर केंद्रित था। आरोपों के सत्यापन में निचली अदालत के न्यायाधीश की भूमिका पर भी चर्चा हुई। एक अच्छा निर्णय लिखने के लिए आवश्यक कौशल पर चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया गया था कि एक न्यायाधीश एक निर्णय लिखते समय सिफारिशों का सार लेते हैं, एक सूट में पार्टियों के हित को निर्धारित करता है, तथ्यों का स्पष्ट वर्णन देते हैं, कार्रवाई का कारण, और फिर तर्क देते हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि निर्णय को तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काउंसलर्स अपनी परीक्षा में दोहराव न हों और इस उद्देश्य की ओर न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई को संचालित किया जा सके।

साइबर अपराधों से संबंधित कानून पर विचार–विमर्श साइबर अपराधों की घटनाओं में वृद्धि, सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले फिरौती वेयर हमलों, साइबर अपराध करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग और इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के तरीके के कारण उभरती चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता और अखंडता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की सराहना और व्हाट्सएप का पता लगाना और अपराध जांच में कॉल डाटा रिकॉर्ड (सीडीआर) के उपयोग पर चर्चा की गई। भारत में फोरेंसिक साक्ष्यों के उपयोग में कमियां जिनमें अनुचित संग्रह, अनुचित संरक्षण, साक्ष्य एकत्र न करना, हिरासत की श्रृंखला का रखरखाव न करना और विश्लेषण के लिए विलंबित प्रेषण भी चर्चा का हिस्सा बना। गिरफ्तार व्यक्ति के पहले उत्पादन पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों, गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक और सांविधिक अधिकारों का संरक्षण, गिरफ्तार ज्ञापन का सत्यापन और रिमांड के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के उत्पादन के समय केस डायरी की जांच पर चर्चा की गई।

मजिस्ट्रेटों को निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परीक्षण के दौरान तटस्थता सुनिश्चित करनी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं और व्यावसायिक तनाव को कम करने के तरीकों के कारण व्यावसायिक तनाव के बारे में बताया गया। तनाव को कम करने, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने, तनाव को कम करने के लिए इष्टतम नींद और ध्यान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुकाबला रणनीतियों को समझाया गया।

पी–1190: निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 पर कार्यशाला: 22–24 नवंबर 2019

कार्यशाला में धारा 143ए और 148 के आलोक में 2018 संशोधन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि संशोधित प्रावधानों से अदालतों में चेक बाउंस के मामलों की लंबित मामलों को कम करने की दिशा में योगदान होने की संभावना है। इन संशोधित धाराओं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के बीच परस्पर क्रिया ने चर्चा का अभिन्न अंग बनाया। धारा 138 के तहत अपराध

की प्रकृति पर चर्चा करते हुए धारा 138 के अनुपालन के लिए आवश्यक अवयवों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद समन प्रक्रिया, जांच का दायरा, नोटिस की सेवा और समन पर चर्चा हुई। अपराध की कंपाउंडिंग के संबंध में अधिनियम की धारा 138 और अधिनियम की धारा 147 के तहत विचारण की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया गया। विवेचना में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिनियम की धारा 139 में प्रदान की गई धारणा अधिनियम की धारा 118 में परिकल्पित अनुमान के समान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 118 विचार के परक्राम्य साधनों के बारे में अनुमानों से संबंधित है, आज तक, स्वीकृति के समय के रूप में, हस्तांतरण के समय के रूप में, विज्ञापन के आदेश के रूप में, के रूप में टिकटों और यथासमय परक्राम्य उपकरणों के आयोजन के लिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 139 के तहत अनुमान अधिनियम की धारा 118 के साथ अक्सर पढ़ा जाता है।

कंपनियों द्वारा किए गए अपराध और कंपनी के अधिकारियों के विकराल दायित्व पर चर्चा करते समय यह दबाव डाला गया था कि धारा 141 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए निदेशकों को उत्तरदायी बनाने के लिए, निदेशकों के खिलाफ स्पष्ट रूप से निर्देश होना चाहिए, यह दिखाने के लिए कि वे कंपनी के मामलों के संचालन के लिए कैसे और किस तरीके से जवाबदेह थे। अधिनियम की धारा 138, अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार विकास और धारा 138 के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों के अनुसरण में अधिनियम का इतिहास और विकास कार्यशाला के दौरान चर्चा के कुछ अन्य मुख्य क्षेत्र थे।

एसई–02: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों के लिए संगोष्ठी: 22 – 24 नवंबर, 2019

संगोष्ठी में मंच स्तर पर न्यायनिर्णयन से संबंधित समकालीन मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर विचार–विमर्श किया गया, कानून के न्यायवादी चार्टर, आवास और निर्माण उद्योग, ई–कॉमर्स और बीमा उद्योग से संबंधित मुद्दों पर फिर से गौर किया गया। संगोष्ठी में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय के लिए उपभोक्ता की पहुंच बढ़ाने के बारे में चिकित्सा लापरवाही के मामले और मुआवजा देने में प्रमुख मुद्दो पर विचार–विमर्श को भी सुगम बनाया गया।

चुनौतियों के समाधान के लिए जिन रणनीतियों पर चर्चा की गई, उनमें पुल का काम करने के लिए वकीलों की भूमिका पैदा करने, अपर्याप्त जनशक्ति की समस्या से निपटने के लिए पुलिस पर दबाव डालने और आदेशों को यथोचित प्रचारित करने के लिए मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

चिकित्सा लापरवाही पर सत्र में बोलम के मामले पर जोर दिया गया जिसमें इस बात की जांच करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया गया था कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभ्यास के मानकों पर सहमति दी गई है या नहीं। बीमा क्षेत्र पर चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया गया कि जांच शुरू करने से पहले प्री–लिटिगेशन कम्युनिकेशन के खुलासे की मांग की जानी चाहिए। फिर बीमा कवर और शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के बीच अंतर पर एक जांच का आकलन किया जाना चाहिए। जिन मामलों पर चर्चा की गई उनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह मुच्छल (2009) 12 एससीसी 673 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनुभाई धर्मसिंहभाई गजेरा एंड ओआरएस (2008) 10 एससीसी 404 शामिल थे। प्रतिपूरक, आथक, आर्थिक और गैर–आर्थिक रूप से मुआवजे के प्रकारों पर चर्चा की गई।

पी–1191: विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर ओरिएंटेशन प्रोग्रामः 23 – 24 नवंबर, 2019

इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के विवाह, राष्ट्रीयता और नागरिकता से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान की गई। प्रतिभागियों को अंतर माता पिता के बच्चे को हटाने, तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता से संबंधित क्षेत्रों पर परिचित थे। संपत्ति के निपटारे, वैवाहिक अपराधों और अंतर देश दत्तक ग्रहण के संबंध में मुद्दों पर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना, इसकी प्रभावशीलता, पारिवारिक विवाद के निपटारे के विभिन्न अनौपचारिक तरीकों और नियमित अदालतों से अलग होने के मूल विचार पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। भारतवंशियों और एनआरआई विवाह से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। नागरिकता अधिनियम, 1955, पासपोर्ट अधिनियम, 1967, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और ऐसी वैवाहिक संघों के संबंध में भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों से उत्पन्न मुद्दों और प्रवासी भारतीयों के संबंध में राष्ट्रीयता और नागरिकता के मुद्दों पर भागीदार न्यायाधीशों को अद्यतन करने के लिए उनके प्रभाव पर विचार–विमर्श किया गया। भारतीय मूल के माता–पिता के संबंध में विदेशी क्षेत्राधिकारों से हटाए गए बच्चों के संबंध में हिरासत, अभिभावकत्व, देखभाल और नियंत्रण के मुद्दों पर चर्चा की गई। क्षेत्राधिकार संघर्ष, विदेशी अदालत के आदेश की वैधता और माता–पिता के अधिकारों की जांच और चर्चा की। अंतर–देशीय अंतर–माता–पिता के बालक हटाने के मुद्दे पर कानून के विकास को उजागर करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णयों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण, 1980 के दीवानी पहलुओं पर अभिभावकत्व और वार्ड अधिनियम, 1890, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 और हेग कन्वेंशन के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की गई। बाल–बाल बचे बच्चे के सर्वोत्तम हित की अवधारणा और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले विभिन्न कारकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

हिरासत के संबंध में सामान्य नियमों पर चर्चा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि बाल हिरासत के मामलों में पारिवारिक न्यायालय को माता–पिता के अधिकार केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय बाल केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। भारत और विदेशी क्षेत्राधिकारों में समानांतर तलाक की कार्यवाही, भारत में सत्यनिष्ठ विवाह के संबंध में विदेशी अदालत वैवाहिक निर्णयों की वैधता, अंतरिम रखरखाव, वैवाहिक संपत्ति/परिसंपत्तियों का विभाजन, स्थायी रखरखाव का निपटारा और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों को कार्यक्रम में रेखांकित किया गया। इस संबंध में जिला न्यायाधीशों की भूमिका की तुलना में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (इसके बाद, जेजे अधिनियम) और हिंदू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम, 1956 (इसके बाद हामा) के तहत महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की गई। विदेशी अभिभावकत्व आदेशों की वैधता, हामा के तहत दत्तक ग्रहण की स्थिति और भारतीय न्यायालयों की भूमिका पर विचार–विमर्श किया गया। जेजे एक्ट और हामा के आलोक में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की भूमिका और कार्य पर भी चर्चा की गई। जेजे अधिनियम और हामा की मुख्य विशेषताओं का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण किया गया। दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित पर भी चर्चा की गई।

पी–1192: नॉर्थ जोन–1 ''न्याय प्रदायगी में ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी पर क्षेत्रीय सम्मेलनः चुनौतियां और अवसर'': 31 नवंबर – 01 दिसंबर, 2019

नॉर्थ जोन के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन में छह हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट ऑफ जूडिकेचर इन इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू–कश्मीर, हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड शामिल थे। इसकी मेजबानी दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली न्यायिक अकादमी ने की थी। यह सम्मेलन भारत में न्यायिक और कानूनी शिक्षा विकसित करने के कैनवास में प्रतिष्ठित के रूप में सीखने के सक्रिय और निष्क्रिय तरीकों पर चर्चा करके शुरू हुआ। कल के न्यायाधीशों के रूप में से लाने के लिए युवा प्रतिभाओं पूल के पोषण के लिए एक विशेष संस्था की जरूरत प्रसारित की गई थी। भारत में न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के समान एक राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की गई थी। संवैधानिक भवन से उद्गम का पता लगाने, संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में 'न्याय'' के कोने वाले पत्थरों का आकलन करने के लिए भेजा गया था। ''समानता'' को संवैधानिक दृष्टि का एक और अपरिहार्य रूब्रिक के रूप में संदर्भित किया गया था। इसका उदाहरण दिया गया कि यद्यपि भारत का संविधान ''न्याय तक समान पहुंच'' का आश्वासन देता है, लेकिन शायद कानूनी सहायता की गुणवत्ता अक्सर न्यायसंगत या अंधाधुंध नहीं होती है। ''एक न्यायाधीश होने के नाते'' शीर्षक वाला यह सत्र पिछले सत्र के लिए एक प्रभावी वेस्टिब्यूलर अनुलग्नक था। अहारन बराक का हवाला देते हुए, एक न्यायाधीश की भूमिका को शामिल करने के लिए केवल न्यायनिर्णयन से परे बहिष्कृत किया गया था ताकि संविधान की रक्षा की जा सके और ''कानून का शासन'' को कायम रखा जा सके और कानून और समाज के बीच की खाई को पाटा जा सके। ''संवैधानिक नैतिकता'' और ''संवैधानिक पुनर्जागरण'' की धारणाओं पर रहता था। ''न्याय तक पहुंच'' पर सत्र के शुरू में इसे हाल ही में प्रकाशित भारत न्याय रिपोर्ट, 2019 (आईजेआर, टाटा ट्रस्ट प्रकाशनः नई दिल्ली) की मदद से मापा और विश्लेषण किया गया था। ''*जिला न्यायपालिका में कैडर प्रबंधनः* भर्ती प्रक्रियाः एप्टीट्यूड टेस्ट पर सत्र में रिक्तियों की पहचान करना और भरना और मानव संसाधन/जनशक्ति योजना व्यावहारिक थी, जिसमें संवर्ग प्रबंधन की पेचीदगियों को निपटाया गया। यह सुझाव दिया गया था कि भविष्य के न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ संसाधन पूल में से एक होने के नाते ''बार'' को गुणात्मक संभावित न्यायाधीशों को उत्प्रेरित करने के लिए एक अनुकूल ''बार एंड बेंच'' संबंध के साथ पोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजकोषीय प्रणाली के सामान्य अवलोकन पर समर्पित ''जिला न्यायपालिका के लिए राजकोषीय और बजटीय योजना'' पर सत्रय वित्तपोषण की संवैधानिक योजना जिला अदालतों के लिए धन समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11। ''उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों में ली गई फीस'' के लिए प्रवेश 3, और प्रवेश 63 (राज्य सूची), साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 282 के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कवर या योजना/गैर योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत अनुदान व्याख्यान का हिस्सा बना। तीन कोर बजटिंग वर्गीकरण अर्थात ''इनपुट आधारित बजटिंग'' ''आउटपुट आधारित बजटिंग'' और ''शून्य आधार बजटिंग'', स्पष्ट किया गया।

पी – 1193: सीबीआई कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्सः 06 से 08 दिसंबर 2019

रिफ्रेशर कोर्स में उन परिस्थितियों पर चर्चा की गई, जिनके तहत सेशन कोर्ट सीआरपीसी के अनुसार किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। इसके बाद जे जयललिता आय से अधिक संपत्ति मामले और जेएमएम रिश्वत मामले सहित संबंधित मामले कानूनों की मदद से सीबीआई जांच की विशेष

विशेषताओं की गणना की गई। सुब्रमण्यन स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) और विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1998) के सिविल सेवकों के मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 पर विस्तार से चर्चा की गई। आर्थिक अपराधों/सफेदपोश अपराधों जैसे धोखाधड़ी, विश्वास भंग, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, चिटफंड घोटाले आदि पर चर्चा करते हुए ऐसे अपराधियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल जांच के बारे में विस्तार से बताया गया। कुछ संबंधित मामलों की सहायता से महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में फोरेंसिक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह बताया गया कि भारत में कोई निश्चित सजा नीति नहीं है इसलिए हर न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी पसंद के अनुसार विवेक का प्रयोग कर सकता है। यह रेखांकित किया गया कि जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामलों का संबंध है, प्राथमिक उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता है और इसलिए सजा दी जानी चाहिए ताकि इसी प्रकार की मानसिकता के लोगों को समान अपराध करने से रोका जा सके।

एसई–07: विदेशी न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी (बांग्लादेश): 13–19 दिसंबर, 2019

संगोष्ठी में भारत में संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक और मानवाधिकार कानून और सहसंबद्ध न्यायशास्त्र के साथ प्रतिभागियों को परिचित किया गया। भारत और बांग्लादेश की कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में समानताएं खींचने के लिए उन्हें भारत में अदालत और मामले प्रबंधन प्रणालियों और न्याय प्रशासन में आईसीटी के उपयोग से परिचित कराया गया. लोगों की संप्रभु इच्छा को पहचानने वाले सामाजिक अनुबंध के रूप में संविधान पर जोर दिया गया और खुद पर लोगों द्वारा लगाए गए अधिकार और प्रतिबंध। उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान में लचीलेपन की आवश्यकता और संविधान की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन के उपाय के रूप में संशोधन प्रावधानों के महत्व पर भी चर्चा की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 111 के बीच तुलना की गई। समानता जिला न्यायपालिका और भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बीच तैयार की गई थी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना और भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों के बारे में भी बताया गया।

एक अच्छे निर्णय के आवश्यक तत्वों को चित्रित किया गया था और यह कहा गया था कि एक निर्णय में आवश्यक रूप से न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष पर पहुंचने के औचित्य को शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को निर्णय में अनुचित टिप्पणी न करने की सलाह दी गई और यह भी कहा गया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके निर्णय अनावश्यक रूप से लंबे नहीं होने चाहिए और उचित समय के भीतर निर्णय देना चाहिए। साक्ष्यों की सराहना में स्वीकार्यता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता की अवधारणाओं पर चर्चा की गई और संभावना के रूप में साक्ष्य की प्रशंसा के मापदंड को समझाया गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में साक्ष्य के मानक, दोषी को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उद्देश्य के बारे में बताया गया। सबूत के बोझ के मानकों, सबूत के रिवर्स बर्डन की अवधारणा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अनुमानों पर चर्चा की गई। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के मानक से अनुमान और मौलिक तथ्यों की तर्कसंगत मान्यताओं के रूप में कुछ तथ्यों की स्वीकार्यता पर जोर दिया गया था। नमूनों के संग्रहण, भंडारण और संरक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा करने के अलावा आपराधिक मामलों में साक्ष्य के रूप में डीएनए प्रोफाइलिंग के उपयोग पर प्रकाश डाला गया।

प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि उनके व्यक्तिगत नजरिए, मान्यताओं, पूर्वाग्रही धारणाओं और रायों से न्यायनिर्णयन प्रक्रिया प्रभावित न हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ बने रहें। अदालतों में व्यावसायिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और व्यावसायिकता को गुणवत्ता और दक्षता की कुंजी के रूप में आयोजित किया गया। विश्वास निर्माण के उपायों के रूप में बॉडी लैंग्वेज, संगठनात्मक कौशल पर जोर दिया गया। न्यायपालिका में आईसीटी की आवश्यकता और लाभों और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसके योगदान पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन जे डी जी)के कामकाज का प्रदर्शन किया गया और अदालत और मामले प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया गया।

यह राय दी गई कि अभियुक्तों और पीड़ितों के लिए परीक्षण में निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अभियुक्तों से पूछताछ में मानवाधिकार मानकों का पालन करना चाहिए और अभियुक्त या विचाराधीन कैदियों को प्रताड़ित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस द्वारा मानवाधिकारों की अनदेखी और मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम करने के तरीकों पर चर्चा की गई। निरंतरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने में उदाहरणों की भूमिका पर चर्चा की गई। समन्वय पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों के मामले में निर्णायक और बाध्यकारी मिसाल के निर्धारण के लिए किए गए तरीकों को विस्तार से बताया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन, जनहित याचिका (पी.आई.एल.) और लैंगिक न्याय से संबंधित विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों पर भी चर्चा की गई।

पी–1194: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 पर कार्यशाला, : 21–22 दिसंबर 2019

कार्यशाला में कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया (इसके बाद सीसीएल) के रूप में बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए क्षमता है द्वारा शुरू किया और ऐसा परिवर्तन तभी हो सकता है जब बच्चों को प्रक्रिया उन्मुख प्रतिबिंबित/जीवन कौशल अधिग्रहण और प्रशिक्षण/अन्य अपेक्षित उपचार और हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हों। चर्चा में विभिन्न अन्यायों पर भी प्रकाश डाला गया कि सी सी एल को उनके सुधार में बाधा पैदा करने के माध्यम से जाना है और अक्सर अधिक निराशाजनक स्थितियों की ओर जाता है। चर्चा में स्कूलों में यौन शिक्षा और कामुकता शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया क्योंकि पाठ्यक्रम में सहमति, निजता, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि किसी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कथित अपराध की गंभीरता के साथ–साथ सीसीएल की असुरक्षा के स्तर के अनुपात में होना चाहिए। यह सलाह दी गई कि प्रारंभिक मूल्यांकन जैसे परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूहों, बाल श्रम, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के लिए विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुमताज अहमद नासिर खान विरुद्ध महाराष्ट्र और अन्य राज्य के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें चार पहलुओं अर्थात शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, समझ और परिस्थितियों पर जोर दिया गया और यह दोहराया गया कि अधिनियम की धारा 15 के तहत मामले का निर्धारण करने के लिए सभी चार पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अधिनियम की धारा 15 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक मूल्यांकन विचारण नहीं है यह कथित अपराध के परिणामों को प्रतिबद्ध करने और बच्चे की समझने की क्षमता का आकलन करने की कवायद है।

इसमें बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम का पूरा प्रयास कानून के द्वंद्व में बच्चे को आत्म विनाश के रास्ते से बचाना और समाज के लिए खतरा होने से बचाना है। यह अधिनियम सुधारात्मक है न कि प्रतिकारशील। यह सुझाव दिया गया था कि जेजेबी को सीसीएल को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए प्रणाली के सभी पदाधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) सीसीएल की स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सुरक्षा और अन्य जरूरतों को शामिल करते हुए गतिशील होनी चाहिए। अंत में, यह जोर देकर कहा गया कि कानून के साथ संघर्ष में हर बच्चा भी देखभाल और संरक्षण की जरूरत में एक बच्चा है। हमें हर बच्चे को बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है।

पी–1195: न्याय वितरण में गुणवत्ता और दक्षता के अनुकूलन पर पूर्व क्षेत्र–I क्षेत्रीय सम्मेलनः चुनौतियां और अवसरः 21–22 दिसंबर, 2019

पूर्व क्षेत्र–1 क्षेत्रीय सम्मेलन उड़ीसा उच्च न्यायालय और कटक स्थित ओडिशा ज्यूडिशियल एकेडमी के सहयोग से आयोजित की गई।

सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि पदानुक्रम के बावजूद सभी अदालतें संवैधानिक अदालतें हैं और जिला न्यायपालिका को संविधान में निहित सिद्धांतों को लागू करने की जरूरत है ताकि निर्माताओं द्वारा परिकल्पित लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। आईसीटी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाने के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि वादियों को कठिनाई कम करने के लिए न्यायालयों को शारीरिक कार्यवाही से आभासी कार्यवाही में प्रवास करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिभागी न्यायाधीशों ने ई–कोर्ट परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, सक्षम कर्मचारियों के चयन और वैचारिक बदलाव जैसे अदालत प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के उपायों पर परिलक्षित किया। पेपरलेस कोर्ट, ई–कियोस्क, वीडियो कांफ्रेंसिंग और कोर्ट के रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन पर विस्तार से चर्चा की गई। अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और आगे की राह के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

पी–1196: पॉक्सो कोर्ट के लिए रिफ्रेशर कोर्सः 03– 05 जनवरी, 2020

रिफ्रेशर कोर्स में पॉक्सो अधिनियम के तहत सबूतों की रिकॉर्डिंग और सराहना, आयु निर्धारण और यौन अपराधों के शिकार बाल पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की सुविधा दी गई। इस पाठ्यक्रम ने पॉक्सो अदालत के न्यायाधीशों को पॉक्सो न्यायनिर्णयन से संबंधित मुद्दों पर अनुभवों, अंतर्दृष्टि और सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। चर्चा में चाइल्ड फ्रेंडली माहौल के साथ–साथ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट प्रक्रियाओं की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। बच्चे की गवाही और गवाही देने के लिए एक बच्चे को खुला बनाने के तरीकों के महत्व पर चर्चा की गई। इसके बाद एक जज द्वारा बाल मनोविज्ञान को समझने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही, पीड़ित की आयु के साथ–साथ अपराधी के दृढ़ निश्चय के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह बताया गया कि पॉक्सो अधिनियम के धारा 34 में आयु निर्धारित करने के लिए विशेष न्यायालय को अधिकार दिया गया है, लेकिन न तो पॉक्सो अधिनियम और न ही इसके तहत नियम आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कोई प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इस संबंध में जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2013) 7 एससीसी 263,] के मामले में किशोर

न्याय अधिनियम और किशोर न्याय नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतों द्वारा पीड़ित और अपराधी की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए। सबूत के रिवर्स बोझ और पीछे तर्क जैसी अवधारणाओं को समझाया गया। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अनुमानों पर संबंधित मामले कानूनों की सहायता से विस्तार से चर्चा की गई। पॉक्सो एक्ट 2018 संशोधनों की विशेष विशेषताओं पर भी काफी विस्तार से चर्चा की गई। पीड़ित और पीड़ित मुआवजा योजना के पुनर्वास के महत्व पर चर्चा की गई।

पी–1197: वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला: (4– 5 जनवरी, 2020)

कार्यशाला में जीएसटी काउंसिल के फैसलों की समीक्षा के लिए हाईकोर्ट की शक्तियों के दायरे पर चर्चा की गई। मुनाफाखोरी विरोधी के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में चुनौतियों का ध्यान किया गया। मुनाफाखोरी विरोधी शब्द की परिभाषा की कमी को इसके निर्धारण में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में पहचाना गया। यह संकेत दिया गया था कि जीएसटी उन व्यवस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं या व्यक्तिगत प्रकृति हैं जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है। बिना विचार किए की गई आपूर्ति की कराधान की कर योग्यता पर चर्चा की गई। यह राय दी गई थी कि जीएसटी अधिनियम में परिभाषित आपूर्ति शब्द बहुत व्यापक था और यह बहुत व्याख्या के अधीन होगा, संभावित रूप से मुकदमेबाजी को जन्म दे रहा है।

मिश्रित आपूर्ति और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं पर चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया गया कि प्रमुख आपूर्ति पर लागू कर की दर समग्र आपूर्ति में पूरी आपूर्ति के लिए कर की दर होगी जबकि आपूर्ति में आइटम जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करता है, पूरी आपूर्ति के लिए कर की दर होगी। यह कहा गया था कि आपूर्ति का प्राप्तकर्ता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति शब्द की परिभाषा से अनुपस्थित है और यह मुद्दा स्वयं को की गई आपूर्ति की करूणा के संबंध में संभावित रूप से उत्पन्न होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट और एनुअल रिटर्न के मिलान, उलटा और रिक्लेम करने से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गई।

पी–1198: अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला: जनवरी 10–12, 2020

कार्यशाला में जिला स्तर पर न्यायनिर्णयन से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार–विमर्श शामिल था। इन सत्रों में एडीआर प्रणाली के कार्यान्वयन में चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श शामिल था न्यायालय और मामले प्रबंधन में न्यायाधीशों की भूमिका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साइबर अपराध सजा से संबंधित मुद्दे और निष्पक्ष सत्र परीक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं। न्यायालय और मामले प्रबंधन पर यह रेखांकित किया गया कि त्वरित निपटान को सुगम बनाने और सीआईएस 3.0 का कुशल उपयोग करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया के दौरान धार्मिक रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सिविल न्याय प्रशासन के बारे में मधुकर बनाम संग्राम एआईआर 2001 एस सी 2171 के मामले में यह दोहराया गया कि अपीलीय अदालत के एक फैसले के कारणों से समर्थन करने वाले निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। निष्पक्ष सत्र विचारण पर सत्र के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि आरोप तय करने के चरण में एक न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि संवीक्षा उचित हो। विभिन्न कारकों

जो एक न्यायाधीश को सजा के संबंध में इस तरह के रूप में प्रतिबिंबित करना चाहिए जिस तरीके से अपराध (वस्तुनिष्ठ), अपराध की प्रकृति, उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों (व्यक्तिपरक) आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। इस चर्चा में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और कानून प्रवर्तन द्वारा अपराधों का पता लगाने, आईएसपी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से गैर–निगम, गुमनामी और कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचे के बारे में सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

पी–1199: जूनियर डिवीजन जजों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रमः 10– 16 जनवरी, 2020

कार्यक्रम में उदाहरण दिया गया है कि यद्यपि भारत का संविधान ''न्याय तक समान पहुंच'' का आश्वासन देता है, लेकिन शायद कानूनी सहायता की गुणवत्ता अक्सर न्यायसंगत या अंधाधुंध नहीं होती है। समानता की दो अवधारणाओं यानी औपचारिक समानता और आनुपातिक समानता के बारे में बताया गया। एक ''ईमानदार न्यायाधीश'' होने की आक्सीमोरन अवधारणा स्पष्ट रूप से स्थापित है कि ईमानदारी और अखंडता कार्डिनल न्यायाधीश के लिए निहित मूल्य रहे है। यह आग्रह किया गया था कि एक न्यायाधीश को न्यायिक भूमिका में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कपटी उपद्रव के लिए देखना चाहिए क्योंकि न्याय वितरण की उसी प्रेरित तोड़फोड़ को प्रेरित करता है। ''शाब्दिक'' और ''शुद्ध'' व्याख्या से संबंधित कानून के विस्तृत दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। सामाजिक–आर्थिक हितों को संतुलित करने में न्यायाधीश की बेदाग भूमिका पर चर्चा की गई। हाल के मामले कानून न्यायशास्त्र के आलोक में व्याख्या में बाहरी कारकों के प्रभाव पर चर्चा की गई थी। ई–कोर्ट परियोजना के चरण 1 और 2 की उपलब्धियों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में न्यायालयों द्वारा आईसीटी के आगमन और गोद लेने से चर्चा का रास्ता तय हो गया। एक पारंपरिक कार्यात्मक ''कागज आधारित'' अदालत के परिवर्तन के लिए एक पूरी तरह से ''कागज कम अदालत'' अपने महत्वपूर्ण लाभ के साथ चर्चा की थी। एडीआर और दलील सौदेबाजी पर विचार–विमर्श में सुझाव दिया गया कि एडीआर पारंपरिक नागरिक और आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया के विकल्प के रूप में कार्य करता है जो आम तौर पर एक जीत–हार मॉडल में संकल्प प्रदान करता है। मध्यस्थता को वरीय एडीआर होने का तर्क दिया गया। यह समझाया गया था कि प्रकृति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अमूर्त, उत्परिवर्तनीय और नाजुक है जो इसे पर्याप्त रूप से अतिसंवेदनशील बनाता है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के मामले में प्रमाण का मानक नियमित दस्तावेजी साक्ष्यों की तुलना में अधिक होना चाहिए। जघन्य अपराधों के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों की बल को रेखांकित किया गया था। आतंकवादी गतिविधियां, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण आदि। यह सुझाव दिया गया था कि आपराधिक परीक्षणों में आरोप अभियोग की नींव है इसलिए यह देखने के लिए बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे सही ढंग से तैयार किया गया है।

इस बात पर जोर दिया गया कि कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो अधीनस्थ न्यायपालिका को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए निर्णय लेखन को पहचानने और निर्णय लेने में इस पर विचार किया जा सकता है। निष्पक्ष विचारण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 21, 22 और 23 का उल्लेख किया गया था जिस पर गहन चर्चा की गई थी। लैंगिक न्याय की अवधारणा की जांच शब्दों की त्रयी के माध्यम से की गई–उदासीनता, सहानुभूति और सहानुभूति। न्यायाधीशों में व्यावसायिक तनाव पर व्याख्यान के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि, स्थितियों के एक ही सेट में तनाव का प्रबंधन करने की रणनीतियां व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। तनाव के लक्षण और लक्षण जो

किसी को चार आयामों में से किसी में सामना कर सकते हैं– भावनात्मक, शारीरिक, व्यवहार और संज्ञानात्मक स्पष्ट था। यह सुझाव दिया गया था कि अपराध, उदासी, क्रोध, दुश्मनी, नफरत, असंतोष, ईर्ष्या की भावनाओं को खुलेआम करीबी लोगों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि वे व्यावसायिक तनाव का प्रबंधन करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है।

पी–1200: वाणिज्यिक अदालतों के लिए रिफ्रेशर कोर्स : 17– 19 जनवरी, 2020

रिफ्रेशर कोर्स ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2018 की गहन समझ प्रदान की। इस पाठ्यक्रम में नीति ढांचे और ऑपरेटिव चुनौतियों, संयुक्त उद्यम समझौतोंः परिभाषा, विवाद और समाधान, भारत में बीमा और पुर्नबीमा के नियामक ढांचे, कॉपीराइट और पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन, वाणिज्यिक अदालतों की तुलना में मध्यस्थता, निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंधों और अधिनियम के तहत विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित आईपीआर विवादों पर चर्चा की गई।

संयुक्त उद्यम की वस्तु और दायरा, संयुक्त उद्यम भागीदारों की भूमिका/योगदान, पूंजी का वित्तपोषण/जारी करना, वित्तीय व्यवस्था, बोर्ड/शासी निकाय की संरचना, संयुक्त उद्यम का प्रबंधन–सीईआ/एमडी की नियुक्ति, संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच मुनाफे का वितरण, शेयरों की हस्तांतरणीयता और गतिरोध संकल्प पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि साझेदारी फर्म और ट्रस्ट 'अनिगमित' संयुक्त उद्यम के तहत आता है जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म शामिल हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि संयुक्त उद्यमों में मुख्य विवाद शेयरों की हस्तांतरणीयता के हैं। पुनर्बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले पुनः बीमा अनुबंधों और मौजूदा आईआरडीएआई विनियमों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। यह कहा गया था कि पुनर्बीमा बीमा का अनुबंध है। यह सुझाव दिया गया था कि बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच विवाद का निपटारा कानूनी कार्यवाही का सहारा लिए बिना जल्दी और अधिमानतः किया जाना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया गया कि पेटेंट दावे को पढ़ते समय अदालत को उन तकनीकों और उत्पादों के खुलासे को ध्यान में नहीं रखना चाहिए जो पहले से ही उद्योग में इस्तेमाल की जाती हैं। यह सुझाव दिया गया था कि एक पेटेंट विनिर्देश एक शुद्ध शाब्दिक एक के बजाय एक शुद्ध निर्माण दिया जाना चाहिए। आईपीआर में पेटेंट और मध्यस्थता के अमान्य होने के आधार व्याख्यान का हिस्सा बने। यह सुझाव दिया गया था कि अदालतों में मामलों की उच्च लंबित होने और मुकदमेबाजी की लागत के कारण एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 भारत में अदालतों द्वारा वाणिज्यिक विवादों का निर्णय लेने के तरीके को मौलिक रूप से फिर से व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन और इन बाधाओं को दूर करने की रणनीतियों के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा विचार किए गए उद्देश्यों की उपलब्धियों के बीच खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई।

पी–1201: नव प्रोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए कार्यशाला: 18 और 19 जनवरी, 2020

कार्यशाला की शुरुआत इस बात पर प्रकाश डालते हुए हुई कि न्यायपालिका को न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कानूनी पेशे और न्याय प्रशासन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित प्रभाव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में आगे यह निर्दिष्ट किया गया कि न्याय वितरण प्रणाली में हितधारकों के लिए भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए तैयार और अनुकूल होना अनिवार्य है। यह राय थी कि मानव संवेदनशीलता और सामाजिक वास्तविकताओं और विवेक की समझ महत्वपूर्ण है और मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता और न्यायाधीश की जगह नहीं होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की नियम समिति और ई–समिति को बैठक करनी चाहिए और उन नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए जो इस कारण से प्रौद्योगिकीय प्रगति के अनुरूप नहीं हैं और अधिकांश मौजूदा नियम प्रकृति में अप्रचलित हैं। यह सुझाव दिया गया था कि अधिवक्ता की किसी भी कार्रवाई के कारण क्रोध को न्यायनिर्णयन के दौरान अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे मामले के परिणाम और वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब वकील दोहराव या अप्रासंगिक हो जाता है तो न्यायाधीश का प्रस्तुतियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अंत में, एक न्यायाधीश को सुनवाई की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अभिनव तरीके ईजाद करने चाहिए।

पी–1202: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी: 31 –01 फरवरी,2020

संगोष्ठी की शुरुआत इस बात पर प्रकाश डालते हुए हुई कि न्याय तक पहुंच लोगों की मानवाधिकार मानकों के अनुपालन में शिकायतों के लिए न्याय वितरण प्रणाली के माध्यम से एक उपाय प्राप्त करने और प्राप्त करने की क्षमता है। न्याय का विभिन्न लोगों के लिए अलग–अलग अर्थ है। प्रस्तावना, अनुच्छेद 38 (1), संविधान के अनुच्छेद 39ए और कहत्री द्वितीय बनाम बिहार राज्य (1981) 1 एससीसी 627 पर चर्चा करते हुए मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार पर जोर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच संकल्पनात्मक रूप से आपस में जीती गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, न्याय प्रणाली में हितधारकों की उम्मीदों को बढ़ाया गया है और इसलिए अदालतों की कार्यक्षमता में सुधार करने की निरंतर आवश्यकता है।

इस बात पर जोर दिया गया कि एक आदर्श कानूनी प्रणाली बनने के लिए, पीड़ित और अभियुक्त के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और यह बुनियादी मौलिक सिद्धांत यानी ऑडी अल्टरम पार्टम और मासूमियत की धारणा का पालन करके हासिल किया जा सकता है। अंत में, यह दबाव डाला गया कि न्याय में न तो देरी होनी चाहिए और न ही जल्दबाजी की जानी चाहिए बल्कि इसे समय पर किया जाना चाहिए।

पी–1203: न्याय वितरण में गुणवत्ता और दक्षता के अनुकूलन पर दक्षिण जोन–1 क्षेत्रीय सम्मेलनः चुनौतियां और अवसरः 1–2 फरवरी, 2020

यह सम्मेलन तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी के लिए उच्च न्यायालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन संविधान के दायरे में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे संविधान के मूल, संवैधानिक मूल्यों, बुनियादी संरचना सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन पर दबाव बनाकर शुरू हुआ। इस बात पर जोर दिया गया कि कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि संविधान की पवित्रता बरकरार रहे।

इस चर्चा में पारंपरिक सामाजिक संबंधों की तुलना में विघटनकारी नवाचार, हाइपर लूप और सोशल नेटवर्किंग वीजा पर आगे विचार–विमर्श किया गया। जिला न्यायपालिका में संवर्ग प्रबंधन पर नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्त के माध्यम से संवर्ग प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 का संदर्भ दिया गया था जो जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के मामलों में उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। मौजूदा न्यायिक सेवा भर्ती प्रक्रिया में प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती को मौजूदा और आवश्यकता के तरीकों के रूप में चिन्हित कर विचार–विमर्श किया गया।

जिला न्यायपालिका के लिए राजकोषीय और बजटीय योजना पर राजस्व और व्यय सहित बजट की प्रमुख श्रेणियों पर प्रकाश डाला गया। बजट सुधार के साझा सिद्धांत पर चर्चा की गई जिससे बजटीय वार्ताओं के साथ–साथ सरकार की योजना और रिपोर्टिंग ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। कुशल राजकोषीय और बजटीय योजना के लिए विभिन्न कार्यकारी विभागों और न्यायिक पदाधिकारियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि वास्तविक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भंडारों और खाता कार्यालयों के साथ एकीकरण को सहसंबद्ध किया जाना चाहिए।

पी–1204: मनी लॉन्ड्रिंग अदालतों के लिए रिफ्रेशर कोर्सः 7–9 फरवरी, 2020

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (इसके बाद, पीएमएलए) के तहत नामित अदालतों के लिए रिफ्रेशर कोर्स ने पीएमएलए अदालतों के कामकाज का आकलन किया, मामलों के न्यायनिर्णयन में आने वाली बाधाओं की पहचान की और ऐसी बाधाओं और चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतियों को विकसित करने पर चर्चा की। आर्थिक अपराध के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा में 'टेरर फाइनेंसिंग', फंड के कानूनी और अवैध स्रोतों, मुख्य प्लेयर, स्रोतों और फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विशेष अदालतों की भूमिका पर चर्चा करते हुए एक सतत और गतिशील अपराध के रूप में जोर दिया गया जो संपत्ति जब्त करने तक जारी है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच अधिकारी की शक्तियों पर भी चर्चा हुई। पीएमएलए मामलों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। शत्रुतापूर्ण गवाहों के साक्ष्यों के मूल्य का भी विश्लेषण किया गया।

साक्ष्य के अर्थ, प्रासंगिकता के सिद्धांतों, स्वीकार्यता और साक्ष्यों की सराहना पर चर्चा की गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत अधिकृत अधिकारी के समक्ष दर्ज बयान की स्वीकार्यता पर चर्चा की गई। पीएमएलए की धारा 19 के तहत इसके लिए गिरफ्तारी की शक्ति और पूर्व–आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओ अधिनियम) क्षेत्राधिकार और पीएमएलए अदालतों की शक्तियों और एफईओ अधिनियम के तहत सबूत के मानक पर चर्चा की गई। पीएमएलए मामलों में धारा

209 सीआरपीसी की क्रॉसबैंडर मनी लॉन्ड्रिंग प्रयोज्यता पर चर्चा की गई। परस्पर लेन–देन के संबंध में पीएमएलए की धारा 23 के तहत होने वाली धारणा पर भी चर्चा की गई।

पी– 1205: अंतरराष्ट्रीय पंचाट सहित मध्यस्थता पर उच्च न्यायालय के न्यायमूतियों के लिए कार्यशाला: 8–9 फरवरी, 2020

कार्यशाला में पंचाट और सुलह अधिनियम की योजना जैसे विभिन्न मॉड्यूल पर विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान की गई: एक मॉडल विवाद समाधान व्यवस्था की दिशा मेंय क्षेत्राधिकार चुनौतियां:अदालत और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की भूमिका संतुलन और घरेलू और विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन। कार्यशाला में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण और आपातकालीन मध्यस्थता जैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में वर्तमान और उभरते रुझानों पर विचार–विमर्श भी शामिल था। चर्चा में चुनौतियों की पहचान की गई और गुणात्मक न्याय वितरण को प्रभावित करने के लिए इष्टतम समाधान/रणनीतियां विकसित की गईं। अधिनियम में 2019 संशोधनों और भारत में तदर्थ से संस्थागत मध्यस्थता में शासन में बदलाव पर चर्चा पर प्रकाश डाला गया। क्षेत्राधिकार चुनौतियों पर चर्चा करते समय ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के दायरे, अमान्य या गैर–बाध्यकारी मध्यस्थता समझौते और अधिकार की अधिकता पर चर्चा की गई। कार्यशाला में अधिनियम के भाग–1 और भाग–2 के तहत पुरस्कार लागू करने की प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति शब्द के निर्माण और व्याख्या, पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए सीमा अवधि और प्रवर्तन में शामिल मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाल दिया गया। थर्ड पार्टी फंडिंग और एक्सपर्ट गवाह की अवधारणा पर विस्तार से कार्रवाई की गई जिससे यह बताया गया कि थर्ड पार्टी फंडिंग को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वर्जित। चर्चा के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया गया जैसे ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स लिमिटेड बनाम कामची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 929, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी 2018 (9) एससीसी 49, मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम. एम शशिकला एंड ओआरएस। 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ईस्टर्न बल्क कंपनी लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1404, बूज एलन हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस (2011) 5 एससीसी 532 आदि।

एसई–04: आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए संगोष्ठी: 11–13 फरवरी, 2020

संगोष्ठी में सदस्यों को आईटीएटी के संवैधानिक और सांविधिक जनादेश पर चर्चा करने और उनकी जांच करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया न्यायनिर्णयन चुनौतियां और इसके प्रभावी कामकाज में आने वाली बाधाओं का समाधान। संगोष्ठी में कर कानूनों में विकसित न्यायशास्त्र पर विचार–विमर्श में प्रतिभागियों को शामिल करके कर कानून में उभरते मुद्दों पर एक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान किया गया। व्याख्या के मौलिक नियम और कर कानूनों में स्पष्ट मानक। इसके अलावा, सत्रों में अदालत और मामले प्रबंधन और मिसाल के सिद्धांत के लिए तरीकों पर चर्चा शामिल थी।

अध्यक्ष ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र और राज्यों की विधायी शक्ति के आवंटन के बारे में विस्तार से बताया। यह कहा गया था कि आईटीएटी के सदस्य तटस्थ होने चाहिए और उन्हें राज्य और करदाता के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सदस्यों को यह भी सलाह दी गई कि उन्हें मामलों का निर्णय करते समय व्यावसायिकता बनाए रखनी चाहिए और

कानून के पत्र के अनुसार कानून लागू करना चाहिए। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया था कि मामलों का निर्णय अत्यंत सावधानी, एहतियात और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। यह राय थी कि निर्णय पूर्वाग्रहों, भावनाओं, आदतों और न्यायनिर्णयक की गहरी प्रतिबद्धता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आईटीएटी बेंचों को न्यायिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए और बड़ी पीठ के फैसलों का पालन करना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि अधिकरण के सदस्यों को अपने डॉकेट का प्रबंधन करना चाहिए ताकि साधारण मामलों को एक विशेष समय सीमा के भीतर निपटाया जा सके। यह भी सलाह दी गई कि उत्पादकता बढ़ाने और समय की बर्बादी में कटौती के लिए आईसीटी को आईटीएटी में शामिल किया जाना चाहिए। यह सिफारिश की गई थी कि न्यायाधीश मुद्दों और मामलों की जटिलता को सुव्यवस्थित और कम करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यायाधीशों को सलाह दी गई थी कि वे साक्ष्यों के माध्यम से सावधानीपूर्वक छान लें जिससे वे प्रभावी ढंग से निर्णय ले सके। इसके अलावा यह राय दी गई कि अदालत को निम्नलिखित वरीयता यानी परिभाषा, शब्द के संदर्भ और करार करने वाले पक्षों के विचारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि संधि की प्रस्तावना पर केवल उन स्थितियों में ही भरोसा किया जाना चाहिए जिनमें प्रावधान अस्पष्ट हो।

एसई–09: विदेशी न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठी [बांग्लादेश]:14–20 फरवरी, 2020

संगोष्ठी में संवैधानिक कानून के क्षेत्र में उभरते मुद्दों, दीवानी और आपराधिक मामलों में साक्ष्य से संबंधित कानून के सिद्धांत, न्यायिक कौशल, मानवाधिकार और अदालतों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर विचार–विमर्श शामिल था। विभिन्न देशों के संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक समान आधार तलाशने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के प्रयास किए गए।

न्यायिक नैतिकता पर सत्र में इस बात पर चर्चा की गई कि न्यायिक शक्ति का स्त्रोत संविधान है, तथापि, न्यायपालिका के प्राधिकार की सार्वजनिक स्वीकार्यता और न्यायिक अधिकारियों की सत्यनिष्ठा न्यायिक शक्ति का फव्वारा है। न्यायिक आचरण के बंगलौर सिद्धांतों में निहित न्यायाधीशों के छह मूल मूल्यों पर भी चर्चा की गई। यह सुझाव दिया गया था कि 'ऐसा लगता है' या 'ऐसा लगता है' जैसे अभिव्यक्तियों को निर्णयों में टाला जाना चाहिए क्योंकि वे अनिश्चितता का तत्व दिखाते हैं और निर्णय संक्षिप्त, सटीक और महत्वाकांक्षी होने चाहिए। चर्चा में समान वर्ग के मामलों को एक साथ निपटाने, उचित डॉकेट/केस डायरी बनाए रखने, केस फ्लो नियमों का पालन करने, लंबित मामलों की निगरानी और निपटान और अनावश्यक देरी की निगरानी पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा कोर्ट प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मानव संसाधन के मुद्दों की पहचान की गई और समाधानों पर चर्चा की गई।

यह देखा गया कि अनुमान के नियम में यह निर्धारित किया गया है कि अदालतें किसी विशेष तथ्य या साक्ष्य से एक विशेष निष्कर्ष निकाल सकती हैं या करेंगी, जब तक कि जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इसका खंडन नहीं किया जाता है। पारंपरिक खोजी तरीकों पर डीएनए के उजागर लाभ। इस बात पर जोर दिया गया कि डीएनए साक्ष्य विश्वसनीय, वैज्ञानिक और निष्पक्ष है, हालांकि, न्यायाधीशों को आगाह किया गया था कि नमूनों को एकत्र करने और संग्रहीत करते समय विशेषज्ञ का कठोर रवैया, कर्सेरियली रूप से किए गए रक्त परीक्षण फोरेंसिक विज्ञान और साक्ष्यों की विश्वसनीयता में विफल रहते हैं।

इस बात पर जोर दिया गया कि यह सुनिश्चित करना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि सांविधिक कानून, शीर्ष अदालत के दिशा–निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून का पालन करते हुए जांच कराई जाए। चर्चा में अदालतों के कामकाज को कारगर बनाने के लिए कई अभिनव तरीकों को भी विस्तार से बताया गया और अदालतों को तकनीकी रूप से उन्नत ढांचागत इमारतों से लैस करने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह सुझाव दिया गया कि अदालतों को पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण, गवाहों की जांच के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदालतों में माहौल बनाने जैसे तकनीकी नवाचारों की जरूरत है जो समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप है।

इस बात पर जोर दिया गया कि न्याय वितरण प्रणाली से स्थिरता, निरंतरता और जायज अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने में उदाहरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समापन सत्र में भारत के ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा की गई और प्रासंगिक मामले कानूनों के साथ न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पर विचार–विमर्श किया गया।

पी–1206: वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलनः उच्च न्यायालयों में राजकोषीय और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को मजबूत करनाः 15–16 फरवरी, 2020

अकादमी में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें उच्च न्यायालयों के भावी मुख्य न्यायाधीशों को कार्यालय से जुड़े गैर न्यायिक कार्यों के प्रति जागरूक करने की मांग की गई। कन्वेंशन में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई, विशेष रूप से ''प्रशासनिक प्रोटोकॉल'' के क्षेत्रों में और ''राजकोषीय प्रबंधन और कार्यक्षमताओं'' की जटिलताओं और बारीकियों को विचार–विमर्श के माध्यम से सक्षम बनाने के माध्यम से उनमें सर्वोत्तम प्रथाओं को जुटाने में सक्षम बनाया गया।. परिचालन सुविधाओं के लिए 25 उच्च न्यायालयों को 12 और 13 उच्च न्यायालयों के दो समूहों में विभाजित किया गया था। 26 मनोनीत न्यायाधीशों (जे–1:जे–3) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 12 उच्च न्यायालयों के पहले समूह ने कन्वेंशन में भाग लिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर सत्र में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया। मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय (धारणा, कार्य और प्रशासन) मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय की कोलेजियम प्रणाली और सामान्य प्रशासन। सत्र में मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के सामरिक पहलुओं पर ध्यान दिया। अंतर–न्यायालय परिचालन कठोरता में आकर्षित करने के लिए ''मानक परिचालन प्रक्रियाओं'' को विकसित करने के महत्व पर चर्चा की गई। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष में मुख्य दक्षताओं को विकसित करने और विशेष रूप से पूर्ण न्यायालय और विभिन्न समिति की बैठकों में उच्च न्यायालय के कार्यकरण को विकसित करने और एजेंडा आधारित कार्य करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की आंतरिक भूमिका पर जोर दिया गया। बजट पूर्व योजना और ट्रैवॉक्स प्रेपरटोयर पर सत्र के दौरान बजट तैयार करने की सर्वोत्तम प्रथाओं और आमतौर पर सामने आई गलती लाइनों पर चर्चा की गई। यह बताया गया कि राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) नीति दस्तावेज में विशेष रूप से बजट तैयार करने में उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रारंभिक और पुरातन प्रक्रियाओं के बारे में टिप्पणी की गई थी। असफलता के साधनों के एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पर चर्चा की गई, जिसमें

अप्रयुक्त समर्पण की महत्वपूर्ण राशि, ख) बजट निर्माण के ऊपर–नीचे दृष्टिकोण, ग) पिछले वर्षों के बजट में एक तदर्थ और सपाट यांत्रिक वृद्धि अर्थात पिछले वर्षों के बजट में 15ः के अलावा, अत्यंत खराब जवाबदेही, उपयोग की निगरानी और रिपोर्टिंग, ई) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन आदि। इसके अलावा, बजट पर सत्रः मुद्दों और चुनौतियों एक अच्छी बजट प्रणाली के तत्वों पर चर्चा की। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक सुधारों को चलाना लंबे समय से लंबित है। कुछ पहल जो मुख्य न्यायाधीश राजकोषीय और समग्र प्रशासनिक कठोरता सुनिश्चित करने के लिए देख सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैंः वित्त और योजना, खरीद और सूचना प्रणालियों के संबंध में इन–हाउस क्षमता निर्माण बाहर करार/बाहर सोर्सिंग दिनचर्या, प्रक्रियात्मक कार्य और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह एक अलग एजेंसी। प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका का समर्थन करने के लिए एक एजेंसी, सीजे को रिपोर्टिंग। प्रशासन (वित्त, खरीद, और सिस्टम) उत्पादन और परिणामों के लिए आदानों को जोड़ने की दिशा में सक्षम होना चाहिए।

पी–1207ः जूनियर डिवीजन जजों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्रामः 21–27 फरवरी, 2020

न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण पर सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी से संपन्न है और यह व्याख्या न केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार तक सीमित है बल्कि जिला न्यायपालिका तक भी है। संवैधानिक लोकतंत्र में अदालतों की भूमिका और मूल न्यायिक मूल्यों के पालन पर चर्चा करते हुए यह दबाव डाला गया कि न्यायपालिका को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के अनुसार कानून लागू करने की जरूरत है। कानून में बहुत सारे अपराधों को शामिल किया गया है और न्यायालयों का उद्देश्य उन विसंगतियों को दूर करना है। वर्तमान न्यायिक तरीकों की खोज पर सत्र में न्यायाधीशों को यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि समकालीन न्यायिक तरीके न्याय तक पहुंचने में कैसे मदद करते हैं। सत्र अदालत प्रौद्योगिकी मेंः अदालतों में आईसीटी के उपयोग कई संबद्ध सर्वोत्तम प्रथाओं है कि अदालत प्रणाली में वृद्धि हुई है इस पर चर्चा की गई। विवेचना में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मामले के प्रबंधन का दायरा प्रक्रियात्मक और ठोस दोनों है और इसलिए ढांचागत संवेदनशीलता की आवश्यकता है। एडीआर और दलील सौदेबाजी पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को उनके सामने मामलों की जांच करते समय एक वृत्तिमूलक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया था और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि अदालतों को वह जगह नहीं होनी चाहिए जहां विवादों का समाधान शुरू होता है बल्कि अदालतें वह जगह होनी चाहिए जहां विवादों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जाए और कोशिश की जाए। इसके अलावा, *साइबर अपराधों से संबंधित कानून पर सत्रः* अग्रिम और बाधाओं पर जोर दिया है कि समकालीन समय में यह अपरिहार्य है कि न्यायाधीशों के लिए साइबर अपराधों और संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित कानून के संबंध में बुनियादी जानकारी हो। *इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर व्याख्यान* संग्रह, संरक्षण और प्रशंसा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 (बी) की स्वीकार्यता पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। चर्चा में न्यायाधीशों को सटीक निर्णय पर पहुंचने में सहायता करने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

निर्णयों का मसौदा तैयार करने के कौशल और कला को पहचानने पर, और चर्चा का सुझाव दिया है कि निर्णय की भाषा सरल होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अप्रासंगिक उदाहरण या तर्क से अप्रासंगिक कोटेशन से बचा जाना चाहिए। एक न्यायिक अधिकारी के पास स्थगन, वार्ताकार कार्यवाही, गवाहों और परामर्शदाताओं का प्रबंधन करने और निष्पक्ष विचारण और न्यायिक नैतिकता सुनिश्चित करने

के लिए न्यायिक और प्रशासनिक कौशल होना चाहिए। सुनवाई के विषय कला पर, यह जोर दिया गया था कि एक न्यायाधीश के रूप में सक्रिय सुनना महत्वपूर्ण है और यह सबूत की रिकॉर्डिंग के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है अपवादजनक और कष्टप्रद अधिवक्ताओं द्वारा पूछे गए सवाल पर जांच करें। लैंगिक न्याय हासिल करने में न्यायालयों की भूमिका पर सत्र में अदालतों की महिलाओं और बच्चों को अनुकूल बनाने में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवोन्मेषी विचारों का विस्तार किया गया। उदाहरणों के कानून पर चर्चा में उदाहरणों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। न्यायाधीशों और तकनीकों में व्यावसायिक तनाव के संबंध में एक ही प्रबंधन करने के लिए यह दबाव डाला गया था कि नीचे एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र धीमा तनाव को कम करने के लिए एक प्रमुख तरीका है।

पी–1208: अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला: 21– 23 फरवरी, 2020

कार्यशाला की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ निष्पक्ष सत्र परीक्षणों में शामिल मुद्दों पर चर्चा करके हुई। चर्चा हर स्तर पर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की भूमिका पर केंद्रित थी। आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता मिलने के अधिकार पर भी चर्चा हुई। संशोधन और अपील से संबंधित विभिन्न निर्णयों पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि संशोधन को अपील में बदला जा सकता है, लेकिन अपील को संशोधन में नहीं बदला जा सकता क्योंकि अपील अपीलकर्ता का वैधानिक अधिकार है और इसलिए अपील को संशोधन में परिवर्तित करना अपीलकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

इसके बाद सजा के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की गई और अपराध की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त, सुधार की गुंजाइश, समाज पर प्रभाव और क्रूरता जिसके साथ अपराध किया गया था सहित सजा तय करते समय उन प्रमुख कारकों पर विचार करने की जरूरत थी। एडीआर के लिए जाने के लिए पार्टियों को मनाने में न्यायाधीशों की भूमिका जहां मामला इसके लिए उपयुक्त है और पक्षकारों को इसके संभावित लाभों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। न्यायिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व सहित अदालत में प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, मामले की प्रगति के अदालती पर्यवेक्षण, विश्वसनीय तारीखों के लिए लिस्टिंग और लागत लगाकर स्थगन के सख्त नियंत्रण पर चर्चा की गई.। यह स्पष्ट है कि पहली अपील कानून द्वारा प्रदान की जाती है और मूलतः एक ठोस अधिकार है जो केवल डिक्री, या अपीलीय आदेश के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है और न केवल एक प्रतिकूल खोज के खिलाफ। अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पुनरीक्षण और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके अलावा, पूर्व जांच मूल्यांकन, अपराध के दृश्य का मूल्यांकन, भौतिक साक्ष्यों का संग्रह, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए एहतियात, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने, फोरेंसिक दोहराव, डिजिटल साक्ष्यों की जब्ती, पैकेजिंग, लेबलिंग और परिवहन, जब्ती के बाद कानूनी प्रक्रिया और विभिन्न एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने सहित डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई।

पी–1209: पश्चिम क्षेत्र–II: न्याय वितरण में अनुकूलन गुणवत्ता और दक्षता पर क्षेत्रीय सम्मेलनः चुनौतियां और अवसर, 29 फरवरी–01 मार्च 2020

सम्मेलन का आयोजन उच्च न्यायालय बंबई और महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन–ठाणे के सहयोग से किया गया था। सम्मेलन में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच पारिवारिक समुदाय के अनुभवों पर दबाव डाला गया, इसके अलावा न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण के स्थापित और अनिवार्य मानदंडों पर पुनर्विचार करने और लोकतंत्र में न्यायाधीश की भूमिका, सम्मेलन में अदालतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहित न्याय तक पहुंच से संबंधित विषयों, अदालतों और मामले प्रबंधन और महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।

इस बात पर जोर दिया गया कि जब भी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश उनके द्वारा लागू किए जाने वाले मामले की अंतिम परीक्षा का निर्णय लेता है तो यह होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोर्ट सिस्टम पर इसके प्रभाव से उत्पन्न मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे दैनिक जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और हमें नई तकनीक से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए यह चर्चा का केंद्र बना रहा। जिला न्यायपालिका में कैडर प्रबंधन के संबंध में भर्ती प्रक्रिया और योग्यता परीक्षा (पूरे पैराग्राफ रखें) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के विचार और इसकी व्यवहार्यता पर चर्चा की गई। यह रेखांकित किया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संचार में निश्चित रूप से कुछ अंतर है और इसलिए बुनियादी ढांचे और बजट के बारे में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर संवाद की जरूरत है।

6. कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट

अगस्त 2019

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	सामान्य
1	**P-1163**	**40:39**	90.26	9.74	0.00	87.79	12.21	0.00	87.88	12.13	0.00	96.60	3.40	95.67	4.34	93.93	6.07	0.00	86.82	13.18	0.00
2	**SE-01**	**40:40**	68.00	32.00	0.00	67.88	32.12	0.00	53.75	46.25	0.00	59.30	40.70	65.86	34.14	77.85	22.15	0.00	86.75	13.25	0.00
3	**P-1164**	**37:37**	86.90	10.94	2.16	74.54	23.73	1.74	81.79	17.20	1.01	93.47	6.53	95.87	4.13	92.69	7.31	0.00	97.29	2.72	0.00

सितंबर 2019

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	सामान्य
4	**P-1165**	**42:41**	95.12	4.88	0.00	76.17	19.64	4.18	87.82	11.50	0.68	94.72	5.28	97.31	2.70	86.99	13.01	0.00	79.30	19.02	1.69
5	**P-1166**	**37:37**	90.52	9.48	0.00	78.10	21.90	0.00	85.10	14.90	0.00	86.66	13.34	92.11	7.90	96.29	3.71	0.00	90.28	9.26	0.46
6	**P-1167**	**38:34**	84.12	15.88	0.00	59.31	36.13	4.56	79.92	17.59	2.50	82.62	17.38	93.24	6.76	94.03	5.97	0.00	74.87	24.09	1.04
7	**P-1168**	**31:31**	92.90	7.10	0.00	72.42	27.58	0.00	77.42	22.58	0.00	90.79	9.21	85.73	14.27	89.47	10.53	0.00	88.78	10.67	0.56
8	**P-1170**	**38:37**	85.28	14.72	0.00	87.54	12.46	0.00	80.62	19.38	0.00	89.90	10.10	93.09	6.91	87.96	11.11	0.93	85.60	13.94	0.46
9	**P-1171**	**28:28**	72.92	27.08	0.00	64.30	34.79	0.91	60.38	36.24	3.37	84.14	15.86	83.61	16.39	72.15	27.85	0.00	81.12	18.29	0.60

अक्टूबर 2019

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोषप्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोषप्रद	सामान्य
10	**P-1172**	**35:35**	89.86	10.14	0.00	79.55	19.84	0.61	74.27	24.46	1.33	84.07	15.93	88.33	11.67	90.11	9.89	0.00	76.11	22.94	0.95
11	**P-1173**	**14:13**	64.62	35.38	0.00	51.33	43.22	5.45	56.41	43.59	0.00	59.30	40.70	56.77	43.23	43.59	56.08	0.00	88.46	8.97	2.56
12	**SE-03**	**18:18**	88.89	10.00	1.11	68.47	29.03	2.50	60.08	31.85	8.08	81.69	18.32	85.36	14.64	90.52	9.48	0.00	82.54	17.46	0.00
13	**P-1174**	**21:17**	75.83	24.17	0.00	63.79	34.87	1.33	87.78	12.23	0.00	92.94	7.06	95.71	4.29	78.43	21.57	0.00	89.65	8.27	2.08
14	**P-1175 to P-1184**	**43:43**	87.44	12.56	0.00	61.87	34.89	3.24	78.30	21.02	0.68	93.72	6.28	93.50	6.50	85.10	14.90	0.00	87.20	12.80	0.00
15	**P-1185**	**105:78**	88.16	11.84	0.00	74.39	24.51	1.10	86.79	13.21	0.00	89.54	10.46	91.75	8.25	83.10	16.90	0.00	91.55	7.11	1.34

नवम्बर 2019

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	असंतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	सामान्य
16	**SE-05**	**39:38**	88.95	11.05	0.00	76.84	23.16	0.00	77.79	22.21	0.00	82.88	17.12	82.67	17.33	89.48	10.52	0.00	97.32	2.68	0.00
17	**P-1186**	**24:17**	72.17	27.83	0.00	64.46	35.54	0.00	73.43	26.57	0.00	79.56	20.44	78.03	21.97	83.06	16.94	0.00	80.14	18.82	1.04
18	**P-1187**	**39:39**	87.69	12.31	0.00	83.26	16.21	0.53	84.59	15.41	0.00	94.53	5.47	93.89	6.11	86.67	13.33	0.00	82.57	16.12	1.32
19	**P-1188**	**39:39**	87.67	11.82	0.51	76.47	22.96	0.57	81.28	16.92	1.80	85.87	14.13	82.58	17.42	94.51	5.49	0.00	84.91	14.22	0.88
20	**P-1189**	**39:39**	93.29	6.71	0.00	84.10	15.90	0.00	86.62	13.38	0.00	92.40	7.60	94.67	5.33	94.83	5.17	0.00	88.83	10.75	0.43
21	**P-1190**	**39:38**	95.68	3.78	0.54	79.21	20.12	0.67	81.27	18.73	0.00	79.85	20.15	95.75	4.26	92.48	7.52	0.00	80.74	18.83	0.44
22	**SE-02**	**29:28**	94.90	5.10	0.00	82.19	16.21	1.60	85.49	14.51	0.00	90.49	9.51	88.96	11.04	96.30	3.70	0.00	90.48	9.52	0.00
23	**P-1191**	**33:31**	81.16	18.84	0.00	73.55	26.45	0.00	79.32	18.68	2.00	81.72	18.28	82.00	18.00	88.17	11.83	0.00	91.42	7.38	1.21
24	**P-1192**	**133:109**	75.35	24.10	0.55	58.24	38.83	2.93	54.89	41.17	3.94	76.19	23.81	84.84	15.16	76.15	23.22	0.62	85.81	8.84	0.36

दिसम्बर 2019

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	असंतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	सामान्य
25	**P-1193**	**33:31**	92.26	7.74	0.00	69.07	30.19	0.74	76.85	23.15	0.00	90.65	9.35	89.35	10.65	93.10	6.90	0.00	86.25	13.75	0.00
26	**SE-07**	**40:39**	88.72	11.28	0.00	89.94	10.06	0.00	80.18	19.82	0.00	83.87	16.13	87.48	12.52	88.68	11.32	0.00	87.31	12.69	0.00
27	**P-1194**	**42:42**	90.63	9.37	0.00	77.50	20.96	1.54	82.54	16.41	1.05	87.19	12.81	91.77	8.23	90.24	9.76	0.00	90.42	8.76	0.81
28	**P-1195**	**105:96**	81.22	18.36	0.42	73.60	24.96	1.43	58.91	38.82	2.26	73.96	26.04	80.19	19.81	82.07	17.93	0.00	76.30	21.14	2.56

जनवरी 2020

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	असंतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	सामान्य
29	**P-1196**	**36:33**	92.73	7.27	0.00	80.38	18.28	1.33	89.84	9.42	0.74	96.57	3.43	95.33	4.67	95.87	4.13	0.00	81.04	18.44	0.52
30	**P-1197**	**23:21**	69.48	30.52	0.00	54.18	44.65	1.18	71.43	25.40	3.18	67.00	33.00	71.80	28.20	73.68	26.32	0.00	88.77	11.23	0.00
31	**P-1198**	**41:41**	85.36	14.15	0.49	73.70	25.28	1.02	70.78	27.90	1.32	86.08	13.92	88.40	11.60	92.60	7.40	0.00	83.54	16.06	0.41
32	**P-1199**	**35:35**	89.14	10.86	0.00	86.04	13.96	0.00	87.59	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28	6.72	0.00	85.94	14.06	0.00
33	**P-1200**	**33:33**	91.87	8.13	0.00	78.61	20.71	0.64	80.66	18.23	1.11	86.49	13.51	83.12	16.88	94.15	5.85	0.00	86.43	13.57	0.00
34	**P-1201**	**24:22**	81.82	18.18	0.00	66.95	32.00	1.05	79.80	18.61	1.59	79.09	20.91	93.75	6.25	68.18	31.82	0.00	92.20	7.00	0.79
35	**P-1202**	**40:40**	83.78	16.22	0.00	72.40	25.60	2.00	70.11	26.76	3.13	86.24	13.76	87.53	12.47	72.03	26.28	1.69	75.41	21.56	3.03

फरवरी 2020

क्रं.	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागी संख्या तथा फिडबैक प्रपत्रों की संख्या	प्रशिक्षु प्रतिभागियों की संतुष्टि का प्रतिशत																		
			समग्र			ज्ञान			कार्यक्रम संरचना			सत्र शः भार				कार्यक्रम सामग्री			सत्कार		
												प्रत्येक सत्र में संवाद प्रभावी रूप से आयोजित किये गये		विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त रूप से सत्र विषय वस्तु को संबोधित किया गया								
			बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	असंतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	प्रभावी एवं उपयोगी	संतोष प्रद	बहुत सीमा तक	कुछ सीमा तक	बिल्कुल नहीं	अच्छा	संतोष प्रद	सामान्य
36	**P-1203**	**132:103**	84.06	15.34	0.60	75.79	23.45	0.77	70.18	28.06	1.76	90.95	9.05	90.11	9.89	89.73	10.27	0.00	95.16	4.68	0.16
37	**P-1204**	**24:24**	85.69	13.48	0.83	68.22	30.94	0.83	66.67	33.33	0.00	82.64	17.36	87.54	12.46	71.68	28.32	0.00	78.91	19.70	1.39
38	**P-1205**	**24:21**	77.86	22.14	0.00	59.77	36.02	4.21	64.84	33.85	1.32	70.43	29.57	60.50	39.50	81.15	18.85	0.00	78.00	20.00	2.00
39	**SE-04**	**31:28**	77.70	21.59	0.71	75.73	22.79	1.48	65.78	30.62	3.60	76.83	23.17	71.51	28.49	72.62	26.19	1.19	86.61	13.39	0.00
40	**SE-09**	**40:40**	95.00	5.00	0.00	89.91	10.09	0.00	88.12	11.03	0.85	92.03	7.97	96.68	3.32	94.02	5.98	0.00	95.81	4.19	0.00
41	**P-1206**	**26:22**	71.82	28.18	0.00	51.51	44.21	4.29	60.43	35.83	3.73	64.62	35.38	75.81	24.19	52.63	45.61	1.76	76.90	21.43	1.67
42	**P-1207**	**39:39**	84.19	15.38	0.43	65.71	32.26	2.03	76.95	22.43	0.62	86.90	13.10	90.94	9.06	74.27	25.29	0.44	89.21	9.42	1.38
43	**P-1208**	**37:37**	80.54	18.92	0.54	58.35	38.76	2.89	64.19	34.60	1.22	79.82	20.18	87.12	12.88	88.29	11.71	0.00	76.74	21.40	1.85
44	**P-1209**	**107:98**	77.08	22.72	0.20	61.51	34.50	3.99	70.56	27.48	1.96	84.25	15.75	84.13	15.87	74.31	25.34	0.35	64.21	26.21	9.58

7. इंटरशिप

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 5 वर्ष के एलएलबी कार्यक्रमों से युवा छात्रों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का हिस्सा बनने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है। ये इंटर्नशिप युवा कानूनी दिमागों को एक्सपोजर प्रदान करती हैं और उन्हें भारत और विदेशों में न्यायपालिका के सामने आने वाली समकालीन चिंताओं और चुनौतियों को समझने में सहायता करती हैं। यह उन्हें कानून और संबंधित अनुशासन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा और बातचीत में शामिल होने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 सत्र के लिए, 19 छात्रों को एनजेए में इंटर्नशिप दी गई।

8. वैश्विक उपस्थिति

शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने दुनिया भर में न्यायपालिकाओं के लिए प्रोगाम का आयोजन किया।

1. मुख्य न्यायिक मुद्दों पर बांग्लादेश गणराज्य के विभिन्न संवर्गों के न्यायाधीशों के लिए तीन सम्मेलन आयोजित किए गए।
2. एनजेए में संघीय न्यायिक केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और सीईईएलआई प्राग के समन्वय से आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दो सम्मेलन आयोजित किए गए।
3. म्यांमार से जिला और टाउनशिप स्तर पर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इन उपर्युक्त प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा, न्यायिक सेवा आयोग, मालदीव के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का दौरा किया। इसके बाद मालदीव न्यायपालिका के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनजेए के निदेशक और न्यायिक सेवा आयोग मालदीव के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए।

9. शोध एवं प्रकाशन

शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 के लिए, एनजेए ने भाग लेने वाले न्यायाधीशों और राज्य न्यायिक अकादमियों को वितरण के लिए अकादमी की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट, तीन समाचार पत्र और संसाधन सामग्री की 3523 प्रतियां प्रकाशित कीं।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने दिसंबर 2018 से जनवरी 2020 तक एक शोध परियोजना शुरू की जिसका शीर्षक था 'न्याय विभाग के न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना के तहत मध्य प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों का विश्लेषण और लंबित मामलों को कम करने के तरीके'। इस परियोजना को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस परियोजना ने मध्य प्रदेश राज्य में पारिवारिक न्यायालयों के समग्र कामकाज पर क्षेत्रों को कवर करते हुए गहन अनुसंधान किया और पारिवारिक विवाद के मामलों में न्याय की त्वरित व्यवस्था में

देरी के कारण संस्थागत और क्षमता अंतराल की पहचान की। इस शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे विभिन्न लोकतंत्रों ने अपनी प्रणालियों में सुधार किया है और पारिवारिक अदालतों में मुख्य मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने वाले सुझावों का प्रस्ताव किया है जिन्हें मध्य प्रदेश में पारिवारिक न्यायालयों की वर्तमान योजना में व्यावहारिक बनाया जा सकता है। इस परियोजना में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के महत्व और पारिवारिक विवादों के समाधान में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन सुझावों में मध्य प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में केवल लंबित मामलों को कम करने के लिए कुछ नीतिगत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल हैं, लेकिन इसी तरह की विशेष अदालतों में देरी को दूर करने के लिए राज्यों में एक समान मॉडल लागू किया जा सकता है।

10. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया। वर्ष 2022–23 तक की अवधि का लेखा परीक्षण सौंपा गया है। ये वित्तीय–पत्रक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रबंधन की जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय–पत्रकों पर अभिमत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उचित लेखांकन कार्य प्रणालियों के साथ अनुरूपता, लेखाकंन प्रमापों एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ समाहित है। कानून, नियमों (उपयुक्तता एवं नियमानुकुलता) एवं कुशलता–सह–कार्य निष्पादन स्थिति आदि, के संबंध में वित्तीय व्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, निरीक्षण, प्रतिवेदन/सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से पृथक से प्रतिवेदित है।

3. हमने अपना लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत प्रमापों के अनुसार निष्पादित किया है। ये प्रमाप हमें लेखा–परीक्षा योजना एवं संपादन हेतु यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं, कि वित्तीय–पत्रक महत्वपूर्ण अशुद्ध वर्णन से मुक्त है। लेखा परीक्षा में नमूना आधार पर जाँच, राशियों के सहायक में तथ्य एवं वित्तीय विवरण पत्रकों में प्रकटीकरण सम्मिलित है। इस लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग एवं सार्थक प्राक्कलन तथा वित्तीय पत्रकों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के निर्धारण का भी लेखा परीक्षा सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारे अभिमत के उचित आधार हमारी लेखा परीक्षा प्रदान करती है।

4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैः–

(i) हमने उन समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, प्रारूप लेखा परीक्षा के उत्तर को छोड़कर जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र एवं आय–व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों पर तैयार किए गए है।

(iii) हमारे मतानुसार अकादमी ने उचित लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित अभिलेख संधारित किए है ऐसा इन पुस्तकों के परीक्षण से प्रकट होता है।

(iv) हम पुनः प्रतिवेदित करते है।

अ. सामान्य

अकादमी ने वर्ष 2019–20 के स्वीकृत वार्षिक खातों को निर्धारित तिथि से नौ माह की देरी के बाद अप्रैल 2021 में कार्यालय डीजीए (सीआर) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर को प्रस्तुत किये गये।

ब. अनुदान सहायता

वर्ष 2019–20 के दौरान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अनुदान राशि रु. 15.00[1] करोड़ प्राप्त हुए। अनुदान सहायता राशि का पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रु. 1.62 करोड था। अकादमी ने वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान सहायता राशि पर रु. 0.06 करोड़ ब्याज प्राप्त किया। एन.जे.ए. के पास कुल उपलब्ध रशि रु. 16.68 करोड़ थी, जिसमें से रु. 15.00 करोड़ का उपयोग कर लिया गया। शेष राशि रु. 1.68 करोड़ का उपयोग 20 आवासीय फ्लेट के निर्माण के लिये किया गया।

(v) पूर्वगामी परिच्छेद में हमारी टिप्पणी के अधीन हम प्रतिवेदित करते है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा प्राप्ती एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों से समानता रखते है।

(vi) हमारे मतानुसार एवं मुझे प्राप्त समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इन वित्तीय पत्रकों को लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी एवं उपर्युक्त उल्लेखित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अन्य तथ्यों को अनुसूची में उल्लिखित के साथ पढ़ने पर भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य और त्रृजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है।

[1] आवर्ती अनुदान सहायता – रु. 15.00 करोड़ और 20 आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए कैपिटल ग्रांट–इन–एड – रु. शून्य।

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च 2020 को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के कार्यों के तुलन–पत्र से संबंधित है एवं

(ब) जहाँ तक यह तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते की न्यूनतम से संबंधित है।

वास्ते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

हस्ता./–

महानिदेशक (लेखा परीक्षा)

(केन्द्रीय प्राप्तियाँ)

अनुलग्नक

1. आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता

कार्यालय मुख्य नियंत्रक लेखा कानून एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019–20 के समय तक आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक नियंत्रक प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त थी :–

(i) अकादमी का लेखा मेनुअल नहीं है, जिससे अकादमी सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करें।

(ii) इस कार्यालय द्वारा सम्पन्न आडिट के 17 पैरा 04/2014 से 02/2019 से संबंधित सुधारात्मक कार्यवाही के लिये लंबित थे।

3. सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019–2020 के दौरान स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सम्पन्न हुआ था। अंकेक्षण के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई गई थी।

4. माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019–2020 के दौरान माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया। अंकेक्षण के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई गई।

5. वैधानिक देयताओं का भुगतान

वैधानिक देय राशि के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

सीनियर ऑडिट ऑफिसर/एएमजी– II

अनुलग्नक–3(ii)

11. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा पैरा सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही / उत्तर
अ.	**सामान्य**	
	अकादमी ने वर्ष 2019–20 के स्वीकृत वार्षिक खातों को निर्धारित तिथि से नौ माह की देरी के बाद अप्रैल 2021 में कार्यालय डीजीए (सीआर) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर को प्रस्तुत किये गये।	अकादमी के वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखा खातों को अकादमी के शासी परिषद् एवं सामान्य निकाय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। तदुपरान्त, अकादमी ने अनुमोदित वार्षिक लेखा खातों को पत्र क्रमांक : एनजेए / वार्षिक खाते / 2019–20 / 230 / 1063 दिनांक 21.04.2021 के माध्यम से कार्यालय महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर, चतुर्थ तल, लेखापरीक्षा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर को लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये है।
ब.	**अनुदान सहायता**	
	वर्ष 2019–20 के दौरान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अनुदान राशि रु. 15.00 करोड़ प्राप्त हुए। अनुदान सहायता राशि का पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रु. 1.62 करोड थ। अकादमी ने वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान सहायता राशि पर रु. 0. 06 करोड़ ब्याज प्राप्त किया। एन.जे.ए. के पास कुल उपलब्ध राशि रु. 16.68 करोड़ थी, जिसमें से रु. 15.00 करोड़ का उपयोग कर लिया गया। शेष राशि रु. 1. 68 करोड़ का उपयोग 20 आवासीय फ्लेट के निर्माण के लिये किया गया।	वर्ष 2019–20 में अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज रु. 6,31,499 / – मुख्य लेखा नियंत्रक, कानून, न्याय मंत्रालय, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, नई दिल्ली को चैक क्रमांक 355458 दिनांक 10.11.2020 के माध्यम से वापस किया गया।

अनुलग्नक		
1	**आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता**	
	अकादमी का आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2019–20 तक की अवधि का मुख्य लेखा–नियंत्रक, कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि, एनजेए में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा मौजूद नहीं होने के कारण कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली उपयोग में नहीं है। हालांकि, अकादमी का वर्ष 2019–20 का आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा आयोजित किया गया था।	वास्तविक स्थिति
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता**	
	आंतरिक नियंत्रक प्रणाली निम्न कारणों से अपर्याप्त थी :– (i) अकादमी का लेखा मेनुअल नहीं है, जिससे अकादमी सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करें।	अकादमी में दिन–प्रतिदिन के वित्तीय लेनदेनों में अति सतर्कतापूर्वक सामान्य वित्तीय नियमों 2017 का पालन करती है।
	(ii) इस कार्यालय द्वारा सम्पन्न आडिट के 17 पैरा 04/2014 से 02/2019 से संबंधित सुधारात्मक कार्यवाही के लिये लंबित थे।	अकादमी द्वारा अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सभी ऑडिट पैरा के उत्तर कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा–ग्वालियर, चतुर्थ तल, लेखापरीक्षा भवन, झांसी रोड़, ग्वालियर–474002 को उपलब्ध करा दिये गये है। प्रत्युत्तर में, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा–ग्वालियर, चतुर्थ तल, लेखापरीक्षा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्र. सीईए/एएमजी–III/डी–219 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से बताया गया कि अकादमी के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन के उत्तर पर विचार करने के बाद केवल 6 पैरा

		बकाया है। (संलग्नक–3(ii) ए) इसके अलावा, उन्होंने सूचित किया कि आगामी लेखापरीक्षा द्वारा 4 पैरा (बकाया 6 पैरा में से) के तथ्यों का सत्यापन किया जायेगा। इसके अलावा, शेष 2 पैरा इस प्रकार है : पहला लेखापरीक्षा पैरा श्री डी.एस.नेगी, भृत्य के राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान से संबंधित है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है : (i) अकादमी द्वारा पत्र क्र. एनजेए/लेखा/एनपीएस/डीएसनेगी/2021/112–ए/1247 दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से श्री डी.एस. नेगी, भृत्य के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजा गया है। (ii) इसके अलावा, जैसा कि वांछित था, नवीन पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पत्र क्र. एनजेए/लेखा/एनपीएस/डी.एस.नेगी/2021/112–ए/1347 दिनांक 18.06.2021 को न्याय विभाग को भेजा गया। (iii) इसके जबाव में, अकादमी का पंजीकरण एनपीएस के तहत केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (सीआरए) द्वारा कर दिया गया है। (iv) इसके अलावा, श्री डी.एस. नेगी, भृत्य का स्थायी पेंशन खाता संख्या जारी करने के लिए पंजीकरण फार्म अकादमी द्वारा केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को प्रस्तुत किया गया है, जोकि अभी प्रतिक्षित है। (v) जैसे ही स्थायी पेंशन खाता संख्या आवंटित किया जाता है, वैसे ही अकादमी के पास रखी निधि (कर्मचारी एवं अकादमी का योगदान) श्री डी.एस. नेगी, भृत्य के खाते में जमा करवा दी जायेगी। (vi) उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त, संबधित लेखापरीक्षा पैरा का उत्तर कार्यालय

		महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा–ग्वालियर, चतुर्थ तल, लेखापरीक्षा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर को भेजा जायेगा। अन्य पैरा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी जमा न करने से संबंधित है। इस संबंध में, कॉर्पोरेट गारंटी की राशि रु. 88.30 लाख राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पक्ष में जमा करवाने का अनुरोध मैसर्स एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड से किया जा चुका है।
3	**सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	वर्ष 2019–2020 के दौरान स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सम्पन्न हुआ था। अंकेक्षण के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई गई थी।	कोई टिप्पणी नहीं
4	**माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	वर्ष 2019–2020 के दौरान माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया। अंकेक्षण के दौरान कोई विसंगति नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
5	**वैधानिक देयताओं का भुगतान**	
	वैधानिक देय राशि के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं

Annexure- 3 (ii) (a)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर, म.प्र.–474 002
Office of the Director General of Audit (Central Receipt), New Delhi,
Br. Gwalior 4th Floor, Audit Bhawan, Jhansi Road Gwalior,
Madhya Pradesh.-474 002 (Phone: 0751-2321459,
(email id- brdgacrgwalior@cag.gov.in)

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक–CEA/AMG-III /D –219 दिनांक – 01/10/21,

प्रति,

निदेशक,
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,
भदभदा रोड, पोस्ट सूरज नगर, भोपाल- 462044 (म.प्र.)

विषयः- लंबित कंडिकाओं पर अनुपालन प्रतिवेदन बावत् ।

सन्दर्भः- (1) No. NJA/Accts/Audit/TRA/03/19/ to/ 20/226-II/1367 Dated 18.06.2021
(2) No. NJA/Accts/Audit/TRA/01-18 to 02-19/183/1390 Dated 24.06.2021
(3) No. NJA/Accts/Audit/TRA/2016-17/181-II/1387 Dated 24.06.2021

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र में प्रस्तुत उत्तर/ साक्ष्यों की समीक्षा उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	कंडिका क्रमांक	लेखापरीक्षा टिप्पणी
08/15 से 02/17	2	आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी, तब तक कंडिका यथावत् है ।
03/17 से 12/17	2	आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी, तब तक कंडिका यथावत् है ।
03/17 से 12/17	8	कंडिका विलोपित मान्य की जाती है ।
1/18 से 02/19	1,4,5,6	दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कंडिकाएँ विलोपित मान्य की जाती है ।
1/18 से 02/19	2,3	प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है, आगामी लेखापरीक्षा में तथ्यों की जाँच की जावेगी तब तक कंडिकाएँ यथावत् है ।
03/19 से 12/20	2,4,5	दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कंडिकाएँ विलोपित मान्य की जाती है ।
03/19 से 12/20	1,3	अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक कंडिकाएँ यथावत् रखी जाती है ।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /ए.एम.जी.–3

12. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2020 पर

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
पूँजीगत निधि एवं दायित्व			
पूँजीगत निधि	1	6 44 92 215.18	6 68 58 983.10
विशिष्ट प्रायोजन निधि	2	1 68 43 270.00	1 62 11 771.00
चालू दायित्व एवं प्रावधान	3	5 96 27 910.39	5 65 07 217.75
योग		**14 09 63 395.57**	**13 95 77 971.85**
परिसंपत्तियाँ :			
स्थिर अस्तियाँ	4		
(क) शासकीय अनुदान से निर्मित (नाम मात्र की लागत पर)		1 801.00	1 801.00
(ख) अन्य स्थिर अस्तियाँ (अपलिखित मूल्य पर)		1 17 27 338.00	1 33 77 981.00
चालू अस्तियाँ, अग्रिम एवं जमा	5	12 92 34 256.57	12 61 98 189.85
कुल		**14 09 63 395.57**	**13 95 77 971.85**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(अविनाश चौधरी)	**(के उत्तीरापती)**	**(न्यायमूर्ति जी रघुराम)**
मुख्य लेखा अधिकारी	**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**	**निदेशक**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

आय और व्यय लेखा

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
अ. आय			
गैर-योजना आयगत अनुदान राशि		15 00 00 000.00	10 00 00 000.00
बैंक जमा एवं सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	6	40 93 596.22	80 67 800.41
ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति		1 18 10 550.00	21 34 900.00
पंजीयन शुल्क		4 89 000.00	5 44 000.00
डाकघर व बैंक से विद्युत प्रभार एवं किराया प्राप्त		77 569.00	1 62 600.14
एनजेए प्रकाशन का विक्रय		13 545.00	16 115.00
विद्युत, जल, केबल और लाइसेंस शुल्क की वसूली		8 66 732.00	8 37 308.00
निविदा शुल्क		0.00	7 300.00
विविध आय		290.00	1 88 356.00
प्रतिभूति जमा जब्त		0.00	10 44 780.00
शैक्षणिक कार्यक्रम प्राप्तियां		1 33 37 732.00	1 10 89 311.00
योग-अ		**18 06 89 014.22**	**12 40 92 470.55**
ब. व्यय			
स्थापना व्यय	7	8 24 12 224.00	7 45 38 371.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	8	9 34 03 890.14	8 47 08 647.26
मूल्यह्रास	4	**18 89 963.00**	20 64 078.00
योग-ब		**17 77 06 077.14**	**16 13 11 096.26**
शेष राशि व्यय का आय पर आधिक्य (अ - ब)		**2982937.08**	**(37218625.71)**
घटाएं : पूर्व अवधि के व्यय		64 59 243.00	1 37 33 246.00
घटाएं : पूर्व अवधि के समायोजन		0.00	0.00
जोड़ें : पूर्व अवधि की आय		11 09 538.00	6 77 775.00
व्यय पर आय के शेष के आधिक्य को पूंजीगत निधि से हस्तान्तरित		**(2366767.92)**	**(50274096.71)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियाँ	9		

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(अविनाश चौधरी)	**(के उत्तीरापती)**	**(न्यायमूर्ति जी रघुराम)**
मुख्य लेखा अधिकारी	**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**	**निदेशक**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राप्ति	(राशि रुपये में)		भुगतान	(राशि रुपये में)	
विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19	विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
प्रारंभिक शेष			**व्यय**		
क) रोकड़ हस्ते	0.00	0.00	क) स्थापना व्यय	71845234.00	66432281.00
ख) रोकड़ बैंक में:			ख) प्रशासनिक व्यय	81541971.32	70450021.26
I) चालू जमा खाते में	314163.33	89724.83	**स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय :**		
II) चालू खाते में (ग्रेच्युटी ट्रस्ट)	306489.50	425032.50	स्थायी सम्पत्तियों की खरीदी	201320.00	3014207.00
III) बचत खाते में	11512515.47	8152230.93	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	2824947.00	897573.00
IV) सावधि जमा खाते में	84300000.00	141600000.00	आयकर (टी.डी.एस.) जमा	5826333.00	5353135.00
ग) एनजेए नवीन पेंशन योजना			आयकर (टी.सी.एस)	0.00	1957.00
I) बचत खाते में	48611.00	55172.00	वृत्तिकर	272750.00	252500.00
II) सावधि खाते में	635000.00	515000.00	विविध लेनदार	4918995.00	7110923.00
गैर योजना राजस्व अनुदान में भारत सरकार से प्राप्त सहायता	150000000.00	100000000.00	निविदा सुरक्षा निधि की वापसी	14400.00	2145310.00
कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए न्याय विभाग से प्राप्त निधि	796000.00	398000.00	कार्य अनुसंधान परियोजना के पक्ष में भुगतान	559993.00	162578.00
जमा पर प्राप्त ब्याज			लेखा परीक्षा शुल्क देय	144013.00	188842.00
क) बैंक में सावधि जमा खाते पर	3439341.00	4755919.41	कर्मचारियों को देय	0.00	1900.00
ख) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना पर ब्याज	2737.00	1446.00	जी.एस.एल.आई. देय	0.00	21342.00
ग) बचत खाते पर	685370.00	1060489.00	कार्य निष्पादन सुरक्षा निधि की वापसी	44587.00	164495.00
घ) एमपीएमकेवीवीसीएल के साथ प्रतिभूति जमा पर	113334.04	100816.00	प्रतिधारण राशि की वापसी	385397.00	804791.00
ड़) ब्याज (अन्य)	11231.00	103414.00	रोकी गई राशि का भुगतान	683588.00	1097111.00
अर्जित ब्याज के लिए	2640629.00	3599147.01	ग्रेच्युटी का भुगतान	0.00	117717.00
पंजीयन शुल्क	485000.00	538000.00	पुराने धनादेश का भुगतान	135531.00	48905.00
आवास और बोर्डिंग शुल्क	11750550.00	2121850.00	वेतन कटौती	6470470.00	5905676.00
एन.जे.ए. प्रकाशन का विक्रय	13545.00	16115.00	देय व्यय	14022426.00	6752470.00
म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जमा सुरक्षा राशि की वापसी	65716.00	0.00	अनुदान सहयता राशि पर अर्जित ब्याज की वापसी	0.00	678346.00
निविदा शुल्क	0.00	7300.00	मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड के साथ जमा प्रतिभूति	6400.00	101523.00
पुराने समाचार-पत्रों की बिक्री	0.00	31526.00	पूर्वदत्त व्यय	1314440.00	1308817.00
पूर्व अवधि की आय	0.00	615915.00	बैंक और अन्य विभागों द्वारा टीडीएस कटौत्रा	668833.00	219377.00

जी.एस.एल.आई. देय	0.00	14228.00	वेतन देय	4943798.00	4443118.00
शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए	5770782.00	13692298.00	रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को अव्ययति राशि वापसी	164937.00	524826.00
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	2824947.00	897573.00	उपादान निवेश खाता	4018359.00	1882167.00
फ्लैट्स के निर्माण के लिए अनुदान सहायता	0.00	11500000.00	पूंजीगत कार्य - प्रगति पर (एनबीसीसी)	0.00	25898867.00
डाकघर/बैंक से किराया एवं बिजली प्रभार	77569.00	66963.14	पूर्व अवधि के व्यय	4449679.00	5591354.00
आवास एवं बोर्डिंग शुल्क की अधिक प्राप्ति	11800.00	0.00	बांग्लादेश के न्यायाधीशों के कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी को भुगतान	923796.00	0.00
विविध प्राप्तियाँ	11658260.00	80538.00	बांग्लादेश के न्यायाधीशों के कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी को भुगतान	185499.00	0.00
निविदा प्रतिभूति	46400.00	760810.00	बांग्लादेश के न्यायाधीशों के कार्यक्रम के लिए गुजरात के रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय को भुगतान	96089.00	0.00
अचल सम्पत्ति की बिक्री	0.00	148000.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय को अव्ययित राशि की वापसी	646705.00	0.00
विविध आय	290.00	8830.00	रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अधिकरण को अव्ययित राशि की वापसी	28337.00	0.00
टीडीएस की वापसी	254244.00	0.00	आयकर अपीलीय अधिकरण को अव्ययित राशि की वापसी	272191.00	0.00
वसूली/कटौतियाँ उद् गम स्थान			उपभोक्ता मामलों के विभाग, वेतन और लेखा कार्यालय को अव्ययित राशि की वापसी	80334.00	0.00
क) वेतन पर टीडीएस कटौती	4103902.00	3266553.00	डाक शुल्क की वापसी	346.00	0.00
ख) ठेकेदारों/कंसल्टेंसी/अन्य के भुगतान पर टीडीएस कटौती	1722431.00	2086582.00	**अंतिम शेष**		
ग) वेतन से कटौतियाँ	5962486.00	5409515.00	क) रोकड़ हस्ते	0.00	0.00
घ) कार्य निष्पादन प्रतिभूति	5000.00	337461.00	**ख) रोकड़ बैंक में :**		
ड़) रोकी गई राशि	389299.00	2137994.00	I) बचत खाते में	63595241.58	11512515.47
च) पुराने धनादेश	1160779.00	276938.00	II) चालू खाते में	139225.94	314163.33
छ) प्रतिधारण राशि	1929926.00	1936079.00	III) चालू खाते में (ग्रेच्युटी ट्रस्ट)	305840.50	306489.50
ज) केवल, पानी एवं विद्युत प्रभार	718390.00	705739.00	IV) सावधि जमा में	31700000.00	84300000.00
झ) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	106703.00	91541.74			
ञ) प्रतिभूति जब्त/सुरक्षा राशि	0.00	754613.00	**ग) एनजेए नवीन पेंशन योजना**		
ट) लाइसेंस शुल्क	86130.00	75098.00	I) बचत जमा खाते में	25314.00	48611.00
ठ) वृत्तिकर	272750.00	252500.00	II) सावधि जमा में	765000.00	635000.00
ढ़) टीसीएस	0.00	1957.00			
योग	**304222320.34**	**308688908.56**	**योग**	**304222320.34**	**308688908.56**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(के उत्तीरापती)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

हस्ता/-
(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2020 पर तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-1

पूँजीगत निधि

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
वर्ष के प्रारंभ में	66858983.10	117133079.81
जोड़ें : 1. वर्ष के दौरान समायोजन	0.00	0.00
2. आय एवं व्यय लेखा अनुसार वर्ष के दौरान कमी	(2366767.92)	(50274096.71)
वर्षान्त शेष	**64492215.18**	**66858983.10**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2020 पर तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-2

विशिष्ट प्रयोजन निधि - एनजेए में 20 आवासीय फ्लैट्स का निर्माण

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
(अ) निधि का प्रारंभिक शेष	16211771.00	30678644.00
(ब) निधि में जोड़ेंगे		
I. दान/अनुदान	0.00	11500000.00
II. निधि खाते के अंतर्गत निवेशित राशि से प्राप्त आय	631499.00	610340.00
योग (अ + ब)	**16843270.00**	**42788984.00**
(स) निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
I. पूंजीगत व्यय		
अचल सम्पत्ति - एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भुगतान	0.00	25898867.00
अन्य- वेतन एवं लेखा कार्यालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय को ब्याज वापसी	0.00	678346.00
योग	**0.00**	**26577213.00**
II. राजस्व व्यय		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	0.00	0.00
किराया	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्च	0.00	0.00
योग (स)	**0.00**	**26577213.00**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष राशि (अ + ब - स)	**16843270.00**	**16211771.00**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)	(के उत्तीरापती)	(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
मुख्य लेखा अधिकारी	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2020 पर तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-3

चालू दायित्व एवं प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
चालू दायित्व		
चालू दायित्व	3887425.00	4240804.00
1. वेतन कटौतियाँ		
जी.पी.एफ.	16002.00	16002.00
जी.आई.एस.	1560.00	1560.00
टियर-1 एन.पी.एस. कर्मचारी अंशदान	3686.00	3427.00
जी.एस.एल.आई.	9736.00	9736.00
2. अन्य दायित्व		
तदर्थ बोनस देय	3454.00	3454.00
देय अंकेक्षण शुल्क	401667.00	397138.00
एनजेए नवीन पेंशन योजना	875283.00	721750.00
कार्य निष्पादन सुरक्षा निधि	1270603.75	1310190.75
अन्य को देय	699862.00	36651.00
स्टाफ को देय	656.00	656.00
ग्रेच्युटी देय	33634.00	33634.00
पुराने धनादेश	1770860.00	745612.00
सुरक्षा निधि प्राप्त	797880.00	797880.00
अग्रिम किराया (बैंक)	90.00	90.00
रोकी गई राशि	3433738.00	3728027.00
प्रतिधारण राशि	7250603.00	5597976.00
निविदा धरोहर राशि	34520.00	2520.00
बांग्लादेश के न्यायाधीशों के लिए अकादमिक कार्यक्रम	0.00	668575.00
रिसर्च प्रोजेक्ट	150422.00	175422.00
मजिस्ट्रेट पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के लिए अकादमिक कार्यक्रम	0.00	646705.00
श्रीलंकाई प्राधिकरण	0.00	263224.00
कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल	0.00	28337.00
आयकर अपीलीय ट्रूबनल	0.00	272191.00
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	0.00	80334.00
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल	0.00	164937.00
3. वैधानिक दायित्व		
ई.पी.एफ. एनजेए स्टाफ अंशदान	515711.00	477261.00
4. प्रावधान		
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी	**22156699.00**	16946283.00
योग (अ)	**43314091.75**	**37370376.75**
बकाया व्यय:		
देय वेतन	5104661.00	4957167.00
देय व्यय	11209157.64	14179674.00
योग (ब)	**16313818.64**	**19136841.00**
योग (अ+ब)	**59627910.39**	**56507217.75**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)	(के उत्तीरापती)	(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
मुख्य लेखा अधिकारी	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

31 मार्च, 2020 को बैलेंस शीट का हिस्सा

अनुसूची-4

स्थिर अस्तियाँ

पूंजी अनुदान से निर्मित अस्तियाँ

(राशि रुपये में)

स.क्र.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	कुल संपत्तियाँ						अनुदान से कटौतियाँ			पुस्तक मूल्य	
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	03.10.2019 तक वर्धान्तर्गत बढ़ोत्तरी	वर्धान्तर्गत बढ़ोत्तरी 03.10.2019 के बाद	वर्ष के दौरान समायोजन		वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में	वर्ष के अंत में नाममात्र की लागत	गत वर्ष के अंत में नाममात्र की लागत
						बढ़ोत्तरी	कटौती						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13 =9-12	14
अ. स्थायी संपत्तियाँ													
1	**जमीन**		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.00**	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
2	**भवन**		541313260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**541313260.00**	541313160.00	0.00	541313160.00	100.00	100.00
3	**फर्नीचर और फिक्स्चर**												
A.	एफ/एफ वीआईपी गेस्ट हाउस		5766773.00	0.00	0.00	0.00	0.000	**5766773.00**	5766673.00	0.00	5766673.00	100.00	100.00
B.	सभागार का आंतरिक कार्य		7118473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7118473.00**	7118373.00	0.00	7118373.00	100.00	100.00
C.	हॉस्टल फर्नीचर		20812029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**20812029.00**	20811929.00	0.00	20811929.00	100.00	100.00
D.	फर्नीचर और फिक्चर (अन्य)		8806292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8806292.00**	8806192.00	0.00	8806192.00	100.00	100.00
4	**विद्युत संस्थापना**												
A.	वायु अनुकूलन संयंत्र		40004017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**40004017.00**	40003917.00	0.00	40003917.00	100.00	100.00
B.	श्रव्य-दृश्य प्रणाली		6039975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6039975.00**	6039875.00	0.00	6039875.00	100.00	100.00
C.	अन्य विद्युत संस्थापन		45167255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**45167255.00**	45167155.00	0.00	45167155.00	100.00	100.00
D.	सौलर वाटर हीटिंग प्रणाली		1575135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1575135.00**	1575035.00	0.00	1575035.00	100.00	100.00
5	**जलापूर्ति व्यवस्था**		9408568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9408568.00**	9408468.00	0.00	9408468.00	100.00	100.00
5	**कार्यालय उपकरण**												
A.	ईपीएबीएक्स		1804700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1804700.00**	1804600.00	0.00	1804600.00	100.00	100.00
B.	अन्य कार्यालय उपकरण		335462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**335462.00**	335362.00	0.00	335362.00	100.00	100.00
6	**कम्प्यूटर**		11485756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11485756.00**	11485656.00	0.00	11485656.00	100.00	100.00
7	**टीवी**		449000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**449000.00**	448900.00	0.00	448900.00	100.00	100.00
8	**रसोईघर उपकरण**		6097995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6097995.00**	6097895.00	0.00	6097895.00	100.00	100.00
9	**व्यायामशाला उपकरण**		880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**880000.00**	879900.00	0.00	879900.00	100.00	100.00
10	**वाहन**		34462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**34462.00**	34362.00	0.00	34362.00	100.00	100.00
11	**पुस्तकालय हेतु पुस्तकें**		14420903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14420903.00**	14420803.00	0.00	14420803.00	100.00	100.00
योग			**721520056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721520056.00**	**721518255.00**	**0.00**	**721518255.00**	**1801.00**	**1801.00**

स्वयं की निधि से उपार्जित निर्मित अस्तियॉ

(राशि रुपये में)

स. क्र.	विवरण	मूल्यह्रास की दर (%)	सकल सम्पत्तियॉ						मूल्यह्रास					शुद्ध सम्पत्तियॉ	
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	03.10.2019 तक वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी 03.10.2019 के बाद	वर्ष के दौरान समायोजन		वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के प्रारंभ में शुरू अतिशेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के अंत में लागत	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
						बढ़ोत्तरी	कटौती								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13	14=10-11+12+13	15=(16+5+6)-(12+13)	16
1	वाहन	15%	3391721.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	**3491721.00**	1292568.00	0.00	314873.00	15000.00	1622441.00	1869280.00	2099153.00
2	ओवरहेड प्रोजेक्टर	15%	14093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14093.00**	12983.00	0.00	287.00	0.00	13270.00	1625.00	1912.00
3	पार्किंग शेड	15%	905637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**905637.00**	230675.00	0.00	101244.00	0.00	331919.00	573718.00	674962.00
4	फोटोकॉपियर	15%	142788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**142788.00**	79067.00	0.00	9558.00	0.00	88625.00	54163.00	63721.00
5	विद्युत संस्थापन	10%	2768944.00	101320.00	0.00	0.00	0.00	**2870264.00**	896416.00	0.00	187253.00	10132.00	1093801.00	1776462.00	1872527.00
6	कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर 1, 2	40%	7509382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7509382.00**	6796511.00	0.00	285149.00	0.00	7081660.00	427723.00	712872.00
7	फर्नीचर और फिक्चर 1	10%	4835980.00	0.00	38000.00	0.00	0.00	**4873980.00**	1739746.00	0.00	309623.00	1900.00	2051269.00	2822710.00	3096233.00
8	व्यायामशाला उपकरण	15%	989999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**989999.00**	382016.00	0.00	91197.00	0.00	473213.00	516786.00	607983.00
9	कार्यालय उपकरण 1	10%	323709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**323709.00**	86470.00	0.00	23724.00	0.00	110194.00	213516.00	237240.00
10	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली	15%	1457355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1457355.00**	562357.00	0.00	134250.00	0.00	696607.00	760748.00	894998.00
11	एलईडी टीवी	15%	3112962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3112962.00**	1230254.00	0.00	282406.00	0.00	1512660.00	1600302.00	1882708.00
12	जल आपूर्ति पाइपलाइन	10%	1692280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1692280.00**	458608.00	0.00	123367.00	0.00	581975.00	1110305.00	1233672.00
योग			**27144850.00**	**201320.00**	**38000.00**	**0.00**	**0.00**	**27384170.00**	**13767671.00**	**0.00**	**1862931.00**	**27032.00**	**15657634.00**	**11727338.00**	**13377981.00**
महायोग			748664906.00	201320.00	38000.00	0.00	0.00	748904226.00	735285926.00	0.00	723381186.00	27032.00	15657634.00	11729139.00	13379782.00

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(के उत्तीरापती)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

हस्ता/-
(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च 2020 पर तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-5

चालू सम्पत्तियाँ, अग्रिम एवं जमा

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
(क) चालू सम्पत्तियाँ		
1. विविध प्राप्ति योग्य	*5071544.00*	*4807631.00*
2. रोकड़ एवं बैंक शेष		
क. हस्तगत रोकड़	*0.00*	*0.00*
ख. अनुसूचित बैंक में शेष		
बचत खाते में	63595241.58	11512515.47
बचत खाते में (एनजेए नवीन पेंशन योजना)	25314.00	48611.00
एसबीआई के साथ चालू खाते में		
ग्रेच्युटी फंड के लिए	305840.50	306489.50
ईपीएफओ को ई-पेमेंट के लिए	139225.94	314163.33
सावधि जमा खातों में	32465000.00	84935000.00
ग. निवेश (एलआईसी के साथ)		
ग्रेच्युटी फंड	22156699.00	16946283.00
योग (अ)	**123758865.02**	**118870693.30**
(ख) अग्रिम एवं जमा		
1. अग्रिम एवं जमा		
एम.पी.एस.ई.बी. के साथ प्रतिभूति जमा	1735852.55	1795168.55
बी.एस.एन.एल. के साथ प्रतिभूति जमा	7800.00	7800.00
नगर निगम भोपाल के साथ प्रतिभूति जमा	200000.00	200000.00
माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम	1.00	1.00
अन्य के साथ प्रतिभूति जमा	11500.00	11500.00
पूर्वदत्त व्यय	1367543.00	1317377.00
बैंक, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लि. एवं एन.ए.सी.आई.एन द्वारा टीडीएस	1114547.00	699958.00
अन्य के साथ जमा	31826.00	31826.00
स्टाफ के लिए अग्रिम (एलटीसी)	0.00	136500.00
2. उपार्जित आय		
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	547873.00	2668917.00
3. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		
पीएफ खाते पर क्षतिपूर्ति	458449.00	458449.00
योग (ब)	**5475391.55**	**7327496.55**
योग (अ+ब)	**129234256.57**	**126198189.85**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)	(के उत्तीरापती)	(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
मुख्य लेखा अधिकारी	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-6

अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा पर	3738846.00	7396548.41
एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा एवं टीडीएस पर	113661.22	109402.00
अनुसूचित बैंक में बचत खातों पर	229858.00	450149.00
अन्य जमा पर ब्याज	11231.00	111701.00
योग	**4093596.22**	**8067800.41**

अनुसूची-7

स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	नोट नं.	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
तदर्थ बोनस		0.00	476652.00
संतान शिक्षा भत्ता	1	66833.00	119235.00
उपादान		0.00	235438.00
मानदेय-संसाधन व्यक्ति		3048000.00	3891000.00
नवीन पेंशन योजना में एनजेए का अंशदान	2	60833.00	39944.00
एनजेए कर्मचारियों के लिए पी एफ अंशदान	3	6451654.00	5915958.00
बीमांकिक मूल्यांकन और ग्रेच्युटी बीमा प्रीमियम के आधार पर उपादान का प्रावधान	4	4018359.00	1945846.00
वेतन और भत्ते	3	68157415.00	61399692.00
कर्मचारी कल्याण व्यय		125329.00	139766.00
यात्रा व्यय (एलटीसी)	5	483801.00	374840.00
योग		**82412224.00**	**74538371.00**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)	(के उत्तीरापती)	(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
मुख्य लेखा अधिकारी	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	निदेशक

टिप्पणियाँ: -

1 अकादमी के तीन स्टाफ सदस्यों को संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की गई।

2 भारत शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्र. 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के अनुसार नवीन पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन + डीए के 10% के मासिक अंशदान दर के बजाय मूल वेतन + डीए के 14% किया गया, इस कारण मासिक योगदान में वृद्धि हुई ।

3 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पी.एफ. अंशदान एवं महंगाई भत्ता की दरों और वार्षिक वेतन वृद्धि में परिवर्तन होने कारण वृद्धि हुई।

4 बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर उपादान का प्रावधान शासी परिषद् की बैठक दिनांक 09/02/2016 में पारित संकल्प के अनुसार उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व प्रभावी अवधि से किया गया।

5 यात्रा व्यय (लीव ट्रैवल कंसेशन) अकादमी के 11 स्टाफ सदस्यों से संबंधित है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-8

अन्य प्रशासनिक खर्च

(राशि रुपये में)

विवरण	नोट नं.	चालू वर्ष 2019-20	गत वर्ष 2018-19
विज्ञापन व्यय		229927.00	394550.00
लेखा परीक्षण शुल्क	1	148542.00	144013.00
बैंक प्रभार	2	116827.92	12866.26
केबल प्रभार	3	521391.00	434712.00
खानपान व्यय		6278999.00	6319477.00
विद्युत व्यय		13546825.22	13096207.00
बागवानी एवं भूनिर्माण	4	10968581.00	5169986.00
अतिथि गृह व्यय		125178.00	346611.00
हाउसकीपिंग व्यय	5	10581111.00	9192308.00
धुलाई व्यय		99261.00	349263.00
पुस्तकालय व्यय		1387980.00	1414944.00
म्यांमार के प्रतिभागियों प्रशिक्षुओं को रहायशी भत्ता	6	420000.00	0.00
चिकित्सा व्यय और सेवाएं		2562538.00	2578127.00
समाचार पत्र और पत्रिकायें		110077.00	124617.00
कार्यालय व्यय		97185.00	82180.00
परिचालन, मरम्मत और रखरखाव व्यय		5446154.00	5988291.00
पीए एवं ध्वनि प्रणाली		0.00	4138.00
प्रतिभागी बैग		321609.00	559320.00
अध्यापन सामग्री की पृष्ठभूमि तैयार करना		1653180.00	1904994.00
डाक व्यय		263869.00	227113.00
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय		1217653.00	1286863.00
वृत्तकर व्यय		32790.00	46200.00
संपत्ति सेवा कर		692801.00	692801.00
क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यय		0.00	646946.00
सुरक्षा व्यय	7	24358598.00	17949268.00
दूरभाष व्यय		810787.00	786730.00
प्रशिक्षण (अन्य खर्च)		140654.00	196905.00
परिवहन व्यय		3654032.00	3539388.00
यात्रा व्यय		5854306.00	9338894.00
वर्दी एवं पोशाक व्यय		0.00	141577.00
वाहन चालन और रखरखाव		483224.00	336489.00
वीडियो और फोटोग्राफी व्यय	8	90713.00	65770.00
जलापूर्ति व्यवस्था		962297.00	1073915.00
योगा उपदेशक शुल्क		226800.00	263184.00
योग		**93403890.14**	**84708647.26**

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(अविनाश चौधरी)	(के उत्तीरापती)	(न्यायमूर्ति जी रघुराम)
मुख्य लेखा अधिकारी	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची से संबंधित नोट्स- 8

1 अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 148542/- जिसमें वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण शुल्क का प्रावधान भी शामिल है जो कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, नई दिल्ली को देय है।

2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अकादमी ने प्रतिभागी न्यायाधीशों/न्यायिक अकधरियों के आवास, बोर्डिंग और पंजीयन शुल्क के ऑनलाईन संग्रह हेतु भारतीय स्टेट बैंक से दो प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें किराये पर ली गई है। चूंकि बैंक उपरोक्त लेनदेन पर संग्रह शुल्क वसूल करता है, इसलिए बैंक शुल्क में वृद्धि हुई है।

3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण केबल शुल्क में वृद्धि हुई है।

4 बागवानी एवं भूनिर्माण व्यय में वृद्धि, श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 54/विविध/एमडब्ल्यूआर(68)/209 दिनांक 30.09.2019 के अनुसार कामगारों की श्रेणी में परिवर्तन के कारण हुआ है। पूर्व में अकादमी द्वारा बागवानी एवं भूनिर्माण कामगगारों को कृषि सेवाओं की श्रेणी में माना जाता था, जो कि भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, एस.ओ. क्रमांक 188(ई) दिनांक 10.01.2017 के अनुसार बागवानी कामगारों को निर्माण या सड़क/रनवे का रखरखाव या भवन/भवन रखरखाव की श्रेणी में रखा गया था।

5 हाउसकीपिंग खर्चों में वृद्धि न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि के कारण है ।

6 भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के बीएम डिवीजन द्वारा जारी आदेश क्रमांक I/ii/206/02/2017 दिनांक 16.07.2019 के आदेश की तर्ज पर म्यांमार के 40 न्यायिक अधिकारियों को सात दिनों के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन की दर से रहायशी भत्ता दिया गया।

7 सुरक्षा खर्चों में वृद्धि न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि के कारण है।

8 कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि के कारण वीडियो और फोटोग्राफी खर्चों में वृद्धि हुई है।

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(अविनाश चौधरी)	**(के उत्तीरापती)**	**(न्यायमूर्ति जी रघुराम)**
मुख्य लेखा अधिकारी	**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**	**निदेशक**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का हिस्सा है

अनुसूची-9

तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ

A. लेखांकन नीतियां

1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अंतिम खाते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किये गये है, जो सभी स्वायत्त संस्थाओं के लिये है।

2 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वित्तीय विवरण लेखों को उपार्जित पद्धति एवं एतिहासिक लागत चलन के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक अन्यथा विवर्णित न हो।

3 **स्थायी सम्पत्ति -**

3.1 स्वयं की निधि से निर्मित/प्राप्त सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत जिसमें प्राप्त करने से संबंधित भाड़ा शुल्क एवं कर तथा प्रत्यक्ष एवं अन्य व्ययों को सम्मिलित किया गया है।

3.2 अनुदान से निर्मित/प्राप्त स्थायी अस्तियों की लागत को प्राप्त अनुदान से समायोजित किया गया है और तुलन-पत्र में इन्हें नाम मात्र की लागत पर दर्शाया गया है।

4 **मूल्यह्रास :**

4.1 स्वंय की निधि से निर्मित सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अपलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ठ दरों के अनुसार प्रावधित किया गया है।

4.2 पूंजीगत अनुदान की राशि से निर्मित/अधिग्रहित परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया और इन्हें तुलन-पत्र में नाम मात्र पर ले जाया गया है।

4.3 रु. 5,000/- अथवा उससे कम की संपत्ति लागत को पूर्णत: प्रावधित किया गया है, या लाइब्रेरी पुस्तकों जो रु. 5000/- से अधिक की हैं, आयकर 1961 के अंतर्गत 100 प्रतिशत ह्रासित किया गया है।

5 **सरकारी अनुदान :**

5.1 सरकारी अनुदान सहायता की गणना प्राप्ती के आधार पर है।

5.2 वर्ष के दौरान अकादमी को 20 आवासीय फ्लेटों के निर्माण के लिये पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ है जो कि एनबीसीसी अग्रिम भुगतान कर कटौती किया गया है और अव्ययित राशि पर ब्याज अर्जित से वृद्धि की गई है।

5.3 पूंजीगत अनुदान जो सम्पत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है उसे सम्पत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने की लागत से घटाया गया है एवं अर्जित की गई सम्पत्तियाँ नाम मात्र की लागत पर दर्शायी गई है।

6 **ब्याज :**

6.1 राजस्व अनुदान पर अर्जित ब्याज समिति की आय के रूप में उपार्जन के आधार पर दर्शाया गया है।

B. लेखांकन टिप्पणियाँ :

1 मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 3/43/32 दिनांक 18.07.1994 के द्वारा अकादमी को भवन निर्माण हेतु 62 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

2 पूंजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों की लागत पूंजीगत अनुदान की राशि में से समायोजित की गई हैं। शेष अनुदान राशि को आगे बढ़ाया गया है। सुसंगत लेखांकन नीतियों के अनुसार उपयोग किये गये, पूंजीगत अनुदान की राशि को पृथक से पूंजी संचय का निर्माण नहीं किया गया है और इन सम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। निर्मित/प्राप्त सम्पत्तियों की कुल लागत दिनांक 31.03.2020 तक निम्नानुसार है -

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(I) भवन	541313260.00	541313260.00
(II) ग्रन्थालय पुस्तकें	14420903.00	14420903.00
(III) फर्नीचर और फिक्चर्स	42503567.00	42503567.00
(IV) कम्प्यूटर	11485756.00	11485756.00
(V) विद्युत संस्थापनाएं	92786382.00	92786382.00
(VI) पानी की आपूर्ति प्रणाली	9408568.00	9408568.00
(VII) कार्यालीन उपकरण	2140162.00	2140162.00
(VIII) रसोईघर उपकरण	6097995.00	6097995.00
(IX) व्यायामशाला के उपकरण	880000.00	880000.00
(X) टेलीविजन	449000.00	449000.00
(XI) वाहन	34462.00	34462.00
कुल	**721520055.00**	**721520055.00**

Contd.....2

3 अकादमी की लेखा पुस्तकों में उपादान का बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर जोखिपात प्रीमियम राशि रु. 40,18,359/- सम्मिलित करते हुये प्रावधान किया गया और स्थापना व्यय के अंतर्गत प्रभारित किया गया ।

4 वर्ष के दौरान, अकादमी द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय से ''मध्य प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों का विश्लेषण और लंबित मामलों को कम करने के तरीके'' शीर्षक से अनुसंधान परियोजना के लिए रु. 7,96,000/- रुपये की राशि प्राप्त की गई थी । अकादमी के पास रु. 1,75,422/- रुपये की अव्ययित राशि है जिसे आगे लाया गया था और इसे "अन्य देनदारियों" के अधीन शामिल किया गया था। अकादमी ने मानदेय के लिये रु. 8,21,000/- (रु. 6,00,000 का उपयोग मानदेय के लिये, राशि रु. 41,181/- स्टेशनरी व्यय, राशि रु. 79,819/- यात्रा, परिवहन और विविध व्यय के लिये, राशि रु. 1,00,000/- संस्थान ओवरहेड्स और आकस्मिकताओं के कारण)। 31.03.2020 तक अव्ययित राशि रु. 1,50,422 रुपये थी।

5 भारत सरकार, न्याय एवं कानून विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ राजस्व अनुदान प्राप्त किया। अकादमी द्वारा वर्ष 2019-20 में राशि 15.00 करोड़ को पूर्ण उपयोग किया गया। 15.00 करोड़ रुपये से अधिक व्यय को एनजेए की आय के आंतरिक उपार्जन यानी अर्जित ब्याज, पंजीकरण शुल्क, आवास और बोर्डिंग शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों से पूरा किया गया है।

6 अकादमी द्वारा डाक विभाग और भारतीय स्टेट बैंक को दी गई किराये की दुकानों के नवीकरणीय समझौते प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर प्राप्त किराया।

7 पूर्व अवधि के खर्चों में निम्नलिखित शामिल हैं:

	(राशि रुपये में)
(i) खानपान खर्च	1776765.00
(ii) हॉस्टल/वीआईपी गेस्ट हाउस व्यय	119551.00
(iii) समाचार-पत्र एवं पत्र-पत्रिकाएं (प्रशिक्षण) व्यय	3657.00
(iv) पीए और साउंड सिस्टम व्यय	110241.00
(v) फोटोकॉपी एंड बाइंडिंग (पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना)	326287.00
(vi) यात्रा व्यय	827342.00
(vii) वीडियो और फोटोग्राफी व्यय	1470.00
(viii) योगा उपदेशक व्यय	5671.00
(ix) चिकित्सा व्यय	33659.00
(x) कानूनी और पेशे व्यय	8260.00
(xi) कंप्यूटर रखरखाव/एएमसी व्यय	12119.00
(xii) विद्युत और मरम्मत रखरखाव व्यय	38940.00
(xiii) बागवानी एवं भूनिर्माण व्यय	797025.00
(xiv) एचवीएसी प्रणाली व्यय	100584.00
(xv) संचालन, मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	37696.00
(xvi) जलापूर्ति व्यवस्था व्यय	79680.00
(xvii) वाहन मरम्मत और रखरखाव व्यय	23277.00
(xviii) तदर्थ बोनस (कम)	830192.00
(xix) लाइब्रेरी सदस्यता व्यय	38727.00
(xx) समाचार पत्र और पत्रिका (Lib/Adm) व्यय	25732.00
(xxi) प्रशिक्षुओं को मानदेय	15000.00
(xxii) मानदेय/कंसल्टेंसी-प्रशा. व्यय	19740.00
(xxiii) संतान शिक्षा भत्ता व्यय	10350.00
(xxiv) सुरक्षा सेवाओं के व्यय	2877662.00
योग (रु.)	**6459243.00**

8 उपादान का मूल्यांकन उपचय आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के लिये प्रावधान किया गया है।

9 वर्ष 2019-20 में अकादमी के लेखा पुस्तकों के अनुसार संचयी राशि रुपये 9,59,34,061/- में रुपये 88,30,000/- का पूंजीगत कार्य प्रगति में अग्रिम भी शामिल है।

10 वर्ष 2019-20 में पूंजीगत अनुदान-सहायता पर अर्जित ब्याज राशि रुपये 6,31,499/- को कार्यालय, मुख्य लेखा नियंत्रक, न्याय एवं कानून मंत्रालय, नई दिल्ली को वापस की गई थी।

11 राशि रुपये 4,58,449/- कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से क्षतिपूर्ति वापसी के प्राप्त योग्य है जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से वसूली एक अपील ए.टी.ए. क्र. 296(8) 2016 जो कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अभिकरण, अव केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अभिकरण-कम-श्रम न्यायालय (सी.जी.आई.टी.) के समक्ष लंबित है, उस राशि को अन्य चालू अस्तियों अनुसूचि-5 मद में दर्शाया गया है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे ले जाया गया है।

12 अकादमी द्वारा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर पंजीयन शुल्क, आवास और बोर्डिंग शुल्क प्राप्त किया गया।

13 बकाया देनदारों की श्रेणी को वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि देश के उच्च न्यायालयों, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य सरकारी निकायों से प्राप्त की जा सकती है ।

14 पूर्वगामी वर्षों के आकड़ों को पुनः एकत्र/पुनः व्यवस्थित कर जहाँ कही आवश्यक हो उन्हें तुलनायोग्य बनाया गया है।

भोपाल, दिनांक: 02.09.2020

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(अविनाश चौधरी)	**(के उत्तीरापती)**	**(न्यायमूर्ति जी रघुराम)**
मुख्य लेखा अधिकारी	**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**	**निदेशक**

नोट्स











NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

P.O. Suraj Nagar, Bhopal-462044, Madhya Pradesh, India

EPABX : 0755-2432555, Fax No. : 0755-2696904

Website : www.nja.nic.in, E-mail : njabhopal@nja.gov.in

Design by
Nishant Sharma, NJA